आर.आर.सैल
R.R. Cell

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिये

(राजस्व प्राप्तियाँ)

राजस्थान सरकार

www.cag.gov.in

विषय सूची

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना		v
विहंगावलोकन		vii

अध्याय-I
सामान्य

राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति	1.1	1
संशोधित अनुमानों और वास्तविक आंकडों में अन्तर	1.2	5
संग्रहण की लागत	1.3	6
बिक्री कर का प्रति करदाता संग्रहण	1.4	6
राजस्व की बकाया का विश्लेषण	1.5	7
कर निर्धारणों में बकाया	1.6	9
कर का अपवंचन	1.7	9
राजस्व का अपलेखन एवं अधित्याग	1.8	10
प्रतिदाय	1.9	10
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.10	11
बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ- उत्तरदायित्व की कमी एवं जवाबदेही का अभाव	1.11	11
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें	1.12	13
ड्राफ्ट लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों के उत्तर	1.13	13
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही-संक्षिप्त स्थिति	1.14	14

अध्याय-II
बिक्री कर

लेखापरीक्षा के परिणाम	2.1	15
समीक्षाः बिक्री कर का निर्धारण एवं संग्रहण	2.2	16

	सन्दर्भ अनुच्छेद	पृष्ठ
खाद्य तेल उद्योगों को अधिक छूट प्रदान करना	2.3	26
कर से अधिक छूट प्रदान करना	2.4	27
लघु श्रेणी की इकाइयों को अधिक छूट प्रदान करना	2.5	28
गणना में त्रुटि के कारण अधिक छूट प्रदान करना	2.6	28
छूट की अनियमित स्वीकृति देना	2.7	29

अध्याय-III
मोटर वाहनों पर कर

लेखापरीक्षा के परिणाम	3.1	30
शास्ति आरोपित न करना	3.2	31
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (रा.रा.प.प.नि.) के मंजिली वाहनों के संबंध में विशष पथ कर की कम वसूली	3.3	31
संविदा वाहनों के संबंध में विशेष पथ कर की अवसूली/कम वसूली	3.4	32
भार वाहनों के संबंध में मोटर वाहन कर एवं विशेष पथ कर की अवसूली/कम वसूली	3.5	32
संविदा वाहनों के संबंध में मोटर वाहन कर एवं विशेष पथ कर की अवसूली/कम वसूली	3.6	33
मंजिली वाहनों से विशेष पथ कर की अवसूली/कम वसूली	3.7	34
गैर अस्थाई अनुज्ञापत्रों के बिना रखे गये यात्री वाहनों पर मोटर वाहन कर की अवसूली	3.8	34
अन्य राज्यों के मंजिली वाहनों के संबंध में विशेष पथ कर की अवसूली/कम वसूली	3.9	35

सन्दर्भ	अनुच्छेद	पृष्ठ

अध्याय-IV
भू-राजस्व

लेखापरीक्षा के परिणाम	4.1	36
भूमि की कीमत की कम वसूली	4.2	37
रूपान्तरण प्रभारों की अवसूली	4.3	38
जुर्माने की कम वसूली	4.4	38
सरकारी भूमि की कीमत की कम वसूली	4.5	39

अध्याय-V
मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

लेखापरीक्षा के परिणाम	5.1	40
सम्पत्ति के अवमूल्यांकन के कारण मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण	5.2	41
पट्टा विलेखों पर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण	5.3	43
पट्टा विलेखों का पंजीयन नहीं होना	5.4	46

अध्याय-VI
राज्य उत्पाद शुल्क

लेखापरीक्षा के परिणाम	6.1	47
स्टॉक स्थानान्तरण शुल्क की अवसूली	6.2	48
उत्पाद शुल्क की कम वसूली	6.3	48
एकाकी विशेषाधिकार राशि की कम वसूली	6.4	49
एकाकी विशेषाधिकार राशि की अनियमित छूट	6.5	50

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ

अध्याय-VII
कर-इतर प्राप्तियाँ

लेखापरीक्षा के परिणाम	7.1	51
अ.देवस्थान विभाग		
देवस्थान प्राप्तियाँ एवं सम्पत्ति प्रबन्धन	7.2	52
ब.खान एवं भूविज्ञान विभाग		
समीक्षाः खान एवं खनिजों से प्राप्तियां	7.3	59

प्रस्तावना

31 मार्च 2005 को समाप्त हुए वर्ष का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (दायित्व, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत की जाती है। यह प्रतिवेदन प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के परिणाम प्रस्तुत करता है, जिसमें राज्य की बिक्री कर, मोटर वाहनों पर कर, भू-राजस्व, मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क तथा अन्य कर एवं कर-इतर प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित मामले उनमें से हैं जो वर्ष 2004-05 के दौरान अभिलेखों की मापक लेखापरीक्षा के अनुक्रम में ध्यान में आए तथा उनमें से भी है जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए थे, किन्तु विगत प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके।

विंहगावलोकन

इस प्रतिवेदन में कर, ब्याज, शास्ति इत्यादि के अनारोपण/कम आरोपण से संबंधित दो समीक्षाओं सहित 27 अनुच्छेद हैं, जिसमें 276.63 करोड़ रुपये अन्तर्निहित है। प्रमुख निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख नीचे दिया गया है:-

I. सामान्य

वर्ष 2003-04 में 15,423.84 करोड़ रुपये के विरूद्ध वर्ष 2004-05 की राज्य सरकार की प्राप्तियाँ 17,763.59 करोड़ रुपये थी। राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व 10,560.97 करोड़ रुपये था (कर राजस्वः 8,414.82 करोड़ रुपये तथा कर-इतर राजस्वः 2,146.15 करोड़ रुपये), जबकि शेष 7,202.62 करोड़ रुपये संघ के विभाज्य करों में से राज्य का भाग (4,305.61 करोड़ रुपये) तथा सहायतार्थ अनुदान (2,897.01 करोड़ रुपये) के रूप में भारत सरकार से प्राप्त हुए।

(अनुच्छेद 1.1)

2004-05 के अन्त में राजस्व के मुख्य शीर्षों के अंतर्गत कुल 2,977.66 करोड़ रुपये की बकाया अवसूल रही। ये बकाया प्रमुख रूप से बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद शुल्क, कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्तियों पर कर, वृहद एवं मध्यम सिंचाई, भूमि एवं सम्पत्ति के विक्रय, भू-राजस्व तथा अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योगों से संबंधित थी।

(अनुच्छेद 1.5)

वर्ष 2004-05 के दौरान बिक्री कर, भू-राजस्व, आबकारी, मोटर वाहन कर, मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क, विद्युत शुल्क, अन्य कर प्राप्तियों, वन प्राप्तियों तथा अन्य कर-इतर प्राप्तियों के अभिलेखों की, की गई मापक जांच से 16,964 मामलों में 658.29 करोड़ रुपये के राजस्व के अवनिर्धारण/कम आरोपण/हानि का पता चला। वर्ष के दौरान विभागों ने 7,866 मामलों में 49.52 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण स्वीकार किये। शेष मामलों के संबंध में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

(अनुच्छेद 1.10)

II. बिक्री कर

'बिक्री कर का निर्धारण एवं संग्रहण' पर समीक्षा में निम्न बिन्दु प्रकट हुएः-

- 19 कार्यालयों में, मार्बल कटिंग का कार्य कर रही 323 औद्योगिक इकाइयों को अनियमित रूप से 129.69 करोड़ रुपयों की कर छूट प्रदान कर दी गई।

(अनुच्छेद 2.2.8)

- मिनरल्स वाटर बनाने का कार्य कर रही दस औद्योगिक इकाइयों को अनियमित रूप से 8.93 करोड़ रुपये की छूट का लाभ स्वीकृत कर दिया गया।

(अनुच्छेद 2.2.9)

- छियत्तर औद्योगिक इकाइयां जो पहले से ही 1987/1989 की अन्य बिक्री कर प्रोत्साहन योजनाओं के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कररही थी, को उद्योगों के लिये बिक्री कर छूट योजना, 1998 के अन्तर्गत अनियमित रूप से 149.67 करोड़ रुपये की छूट प्रदान कर दी गई।

(अनुच्छेद 2.2.11)

- 54 इकाइयों के द्वारा शर्त के उल्लंघन पर लाभ वापस नहीं लेने के परिणामस्वरूप कर एवं ब्याज के 39.09 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 2.2.12)

III. मोटर वाहनों पर कर

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के स्वामित्व के मंजिली वाहनों के संबंध में विशेष पथ कर के विलम्ब से किये गये भुगतान पर 2.73 करोड़ रुपये की शास्ति आरोपित नहीं की गई।

(अनुच्छेद 3.2)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मंजिली वाहनों के संबंध में 2.28 करोड़ रुपये का विशेष पथ कर कम वसूल हुआ।

(अनुच्छेद 3.3)

संविदा वाहनों के संबंध में 89.42 लाख रुपये का विशेष पथ कर या तो कम वसूला गया या आरोपित नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 3.4)

IV. भू-राजस्व

अकृषि प्रयोजन के लिये आवंटित कृषि भूमि के अवमुल्यांकन के परिणामस्वरूप भूमि की कीमत की 1.38 करोड़ रुपये की राशि कम वसूल हुई।

(अनुच्छेद 4.2.1)

तीन तहसीलों में राजकीय भूमि के संबंध में रूपान्तरण प्रभारों के 98 लाख रुपये की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 4.3)

V. मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

हस्तान्तरण पत्र के द्वारा हस्तान्तरित सम्पत्ति के अवमूल्यांकन के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क के कुल 3.89 करोड़ रुपये का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 5.2)

मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क के कुल 1.09 करोड़ रुपये का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 5.3.1)

VI. कर-इतर प्राप्तियाँ

अः खान एवं भूविज्ञान विभाग

'खान एवं खनिजों से प्राप्तियाँ' पर समीक्षा में निम्न बिन्दु प्रकट हुएः-

- कार्यानुमति अवधि के बाद दो मामलों में 105.22 करोड़ रुपये मूल्य के खनिज का अनाधिकृत उत्खनन एवं प्रेषण किया गया।

(अनुच्छेद 7.3.8)

- पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति धारक बिना लागत भुगतान के अनुज्ञप्ति में निहित मात्रा से 1.76 करोड़ रुपये मूल्य की विभिन्न खनिजों की 22,892 मैट्रिक टन अधिक म्रात्रा ले गये।

(अनुच्छेद 7.3.13)

- ईंटों के उत्पादन के लिए ईंट मिट्टी के उपयोग पर अधिशुल्क 4.89 करोड़ रुपये प्रभार्य नहीं किये।

(अनुच्छेद 7.3.17)

- अनुमति से अधिक उत्खनन के कारण खनिजों के मूल्य की राशि 11.75 करोड़ रुपये प्रभार्य नहीं किये।

(अनुच्छेद 7.3.18)

अध्याय-I: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति

1.1.1 राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 के दौरान वसूल किया गया कर एवं कर-इतर राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाजित होने वाले संघीय करों में राज्य का भाग और सहायतार्थ अनुदान और गत चार वर्षों के तद्नुरूपी आंकड़े नीचे दिये गये हैं:

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	विवरण	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
I.	राज्य सरकार द्वारा वसूल किया गया राजस्व					
	(क) कर राजस्व	5,299.96	5,671.17	6,253.34	7,246.18	8,414.82
	(ख) कर-इतर राजस्व	1,687.98	1,508.46	1,569.00	2,071.64	2,146.15
	योग	**6,987.94**	**7,179.63**	**7,822.34**	**9,317.82**	**10,560.97**
II.	भारत सरकार से प्राप्तियाँ					
	(क) विभाजित होने वाले संघीय करों में राज्य का भाग	2,836.61	2,882.36	3,063.10	3,602.22	4,305.61
	(ख) सहायतार्थ अनुदान	2,577.23	2,091.30	2,196.42	2,503.80	2,897.01
	योग	**5,413.84**	**4,973.66**	**5,259.52**	**6,106.02**	**7,202.62**
III.	**राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ (I और II)**	**12,401.78**	**12,153.29**	**13,081.86**	**15,423.84**	**17,763.59**[1]
IV	**I से III का *प्रतिशत***	**56**	**59**	**60**	**60**	59

[1] ब्यौरे के लिए, कृपया राजस्थान सरकार के वर्ष 2004-05 के वित्त लेखे की 'विवरणी संख्या-11-लघु शीर्षवार राजस्व के विस्तृत लेखे' देखें। वित्त लेखों में 'क-कर राजस्व' के अन्तर्गत प्रदर्शित मद 0020-निगम कर, '0021-निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0028 आय एवं व्यय पर अन्य कर, 0032-सम्पदा पर कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, 0044-सेवा कर एवं 0045-वस्तु एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क-शुद्ध प्राप्तियों में से राज्य को दिया गया भाग' के आंकड़ों को उपरोक्त विवरण में राज्य द्वारा वसूल किये गए राजस्व में से घटाया गया है एवं विभाजित होने वाले संघीय करों में 'राज्य का भाग' जोड़ा गया है।

1.1.2 वर्ष 2004-05 के दौरान वसूल किये गए कर राजस्व का विवरण गत चार वर्षों के आंकडों सहित नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपयों मे)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2004-05 में 2003-04 पर *प्रतिशत* वृद्धि (+)/कमी (-)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	(क) बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	2,644.51	2,869.23	3,229.79	3,751.80	4,500.78	(+) 20
	(ख) केन्द्रीय बिक्री कर	176.70	199.80	208.11	233.63	296.75	(+) 27
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	1,118.48	1,110.27	1,142.34	1,163.15	1,276.07	(+) 10
3.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	436.73	478.89	515.73	611.77	817.83	(+) 34
4.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	251.90	250.88	239.85	280.29	442.76	(+) 58
5.	वाहनों पर कर	511.30	566.33	646.14	904.31	817.21	(-) 10
6.	यात्रियों एवं माल पर कर	19.55	23.10	130.44	150.50	144.01	(-) 4
7.	आय एवं व्यय पर अन्य कर, व्यवसाय, व्यापार, पेशा एवं रोजगार पर कर	10.99	15.56	17.23	20.11	1.85	(-) 91
8.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	52.89	54.04	47.12	46.85	47.56	(+) 2
9.	भू-राजस्व	44.81	79.17	57.98	71.44	68.86	(-) 4
10.	अन्य कर	32.10	23.90	18.61	12.33	1.14	(-) 91
योग		**5,299.96**	**5,671.17**	**6,253.34**	**7,246.18**	**8,414.82**	

वर्ष 2003-04 की तुलना में वर्ष 2004-05 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में कमी/वृद्धि के कारण, जो विभागों द्वारा सूचित किये गए हैं, नीचे दिये जा रहे हैं:-

बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर तथा केन्द्रीय बिक्री कर:-विभाग द्वारा कर अपवंचन रोकथाम तथा वसूली प्रयास के कारण वृद्धि (क्रमशः 20 *प्रतिशत* तथा 27 *प्रतिशत*) हुई है।

राज्य उत्पाद शुल्क:- वृद्धि (10 *प्रतिशत*) मुख्यतया मदिरा, भाँग और डोडा पोस्त के वास्तविक ठेका राशि के कारण थी।

मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्कः-पंजीकृत दस्तावेजों, जिसमें राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर विकास प्राधिकरण तथा नगर विकास न्यास के पट्टा विलेख सम्मिलित है, की संख्या में वृद्धि के कारण वृद्धि (34 *प्रतिशत*) हुई।

विद्युत पर कर एवं शुल्कः-परिरोध विद्युत उत्पादन सेटस पर विद्युत शुल्क लागू करने के कारण वृद्धि (58 *प्रतिशत*) हुई।

वाहनों पर करः-राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से 2003-04 के दौरान 177.10 करोड़ रुपये के विरूद्ध 2004-05 के दौरान विशेष पथ कर का कम पुस्तकीय समायोजन (9.31 करोड़ रुपये) के कारण कमी (10 *प्रतिशत*) हुई।

आय एवं व्यय पर अन्य कर, व्यवसाय, व्यापार, पेशा एवं रोजगार पर करः-वास्तविक प्राप्तियों में कमी (91 *प्रतिशत*) व्यवसाय कर समाप्त करने के कारण हुई।

1.1.3 वर्ष 2004-05 के दौरान राज्य द्वारा वसूल किया गया, मुख्य कर-इतर राजस्व का विवरण गत चार वर्षों के आंकडों सहित नीचे दिया जा रहा है:-

(करोड़ रुपयों मे)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2004-05 में 2003-04 पर *प्रतिशत* वृद्धि (+)/कमी (-)
1.	ब्याज प्राप्तियाँ	589.55	583.77	607.04	685.12	754.94	(+) 10
2.	वानिकी एवं वन्य जीवन	37.02	44.82	41.63	39.53	39.41	-
3.	अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	370.13	412.98	449.38	513.70	645.35	(+) 26
4.	विविध सामान्य सेवाएं	241.92	46.23	43.88	340.50	90.47	(-) 73
5.	ऊर्जा	0.10	0.02	1.40	0.02	0.10	(+) 400
6.	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	36.48	18.43	20.74	43.23	56.50	(+) 31
7.	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	16.13	24.57	22.40	16.28	29.84	(+) 83
8.	सहकारिता	7.33	6.79	7.90	6.93	8.71	(+) 26
9.	सार्वजनिक निर्माण	22.33	17.49	19.69	16.45	17.85	(+) 9
10	पुलिस	57.43	48.66	57.59	46.16	54.04	(+) 17
11.	अन्य प्रशासनिक सेवायें	43.65	34.76	38.21	50.65	91.79	(+) 81
12.	अन्य कर-इतर प्राप्तियाँ	265.91	269.94	259.14	313.07	357.15	(+) 14
	योग	**1,687.98**	**1,508.46**	**1,569.00**	**2,071.64**	**2,146.15**	

वर्ष 2003-04 की तुलना में वर्ष 2004-05 के दौरान प्राप्तियों में कमी/वृद्धि के कारण, जो विभागों द्वारा सूचित किये गए हैं, नीचे दिये जा रहे हैं:-

ब्याज प्राप्तियाँ:-वृद्धि, विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों, नकद शेषों के निवेश तथा सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों से अधिक ब्याज प्राप्ति के कारण (10 *प्रतिशत*) हुई।

अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग:- अधिशुल्क की दरों में संशोधन होने के कारण वृद्धि (26 *प्रतिशत*) हुई।

विविध सामान्य सेवाऐं :-उप शीर्ष 'अन्य प्राप्तियों' में कम प्राप्ति के कारण कमी (73 *प्रतिशत*) हुई।

ऊर्जा:-विद्युत कम्पनियों से अनुज्ञा शुल्क में वृद्धि के कारण वृद्धि (400 *प्रतिशत*) हुई।

वृहद एवं मध्यम सिंचाई:-चम्बल परियोजना, भाखड़ा बाँध सिंचाई शाखा तथा गंग नहर से प्राप्तियों में वृद्धि के कारण वृद्धि (31 *प्रतिशत*) हुई। सिंचाई विभाग ने भी सूचित किया है कि बजट अनुमानों में माँग के अनुसार वृद्धि नहीं की गई थी।

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य- मुख्यतया राज्य कर्मचारी बीमा योजना से प्राप्तियों में वृद्धि के कारण वृद्धि (83 *प्रतिशत*) हुई।

सहकारिता:-राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 1.87 करोड़ रुपये की अधिक प्राप्ति के कारण वृद्धि (26 *प्रतिशत*) हुई।

पुलिस:-अन्य सरकारों एवं पार्टियों को पुलिस बल भेजने के कारण अधिक प्राप्तियों से वृद्धि (17 *प्रतिशत*) हुई।

अन्य प्रशासनिक सेवाऐं:-लघु शीर्ष 'चुनाव' के अन्तर्गत अन्य प्राप्तियों में वृद्धि के कारण वृद्धि (81 *प्रतिशत*) हुई।

1.2 संशोधित अनुमानों और वास्तविक आंकडों में अन्तर

वर्ष 2004-05 के लिए कर एवं कर-इतर राजस्व के मुख्य शीर्षों से संबंधित संशोधित अनुमानों और वास्तविक राजस्व प्राप्तियों के अन्तर नीचे दिये गए हैः-

(करोड़ रुपयों मे)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	संशोधित अनुमान	वास्तविक	अन्तर वृद्धि (+) कमी (-)	बजट अनुमानों के संदर्भ में अन्तर का प्रतिशत
कर राजस्व					
1.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	4,720.00	4,797.53	(+) 77.53	(+) 2
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	1,300.00	1,276.07	(-) 23.93	(-) 2
3.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	790.00	817.83	(+) 27.83	(+) 4
4.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	471.01	442.76	(-) 28.25	(-) 6
5.	वाहनों पर कर	785.00	817.21	(+) 32.21	(+) 4
6.	भू-राजस्व	70.08	68.86	(-) 1.22	(-) 2
7.	कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर	0.37	1.15	(+) 0.78	(+) 211
	योग	**8,136.46**	**8,221.41**	**(+) 84.95**	**(+) 1**
कर-इतर राजस्व					
1.	अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	625.00	645.35	(+) 20.35	(+) 3
2.	ब्याज प्राप्तियां	772.93	754.94	(-) 17.99	(-) 2
3.	विविध सामान्य सेवाऐं	75.20	90.47	(+) 15.27	(+) 20
4.	वानिकी एवं वन्य जीवन	37.20	39.41	(+) 2.21	(+) 6
5.	पुलिस	66.14	54.04	(-) 12.10	(-) 18
	योग	**1,576.47**	**1,584.21**	**(+) 7.74**	**(+) 0.49**

कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर करः-प्रस्तावित प्रतिदाय 91.67 लाख रुपये को अन्तिम रूप न देने के कारण वृद्धि (211 *प्रतिशत*) हुई।

विविध सामान्य सेवाऐंः-भूमि एवं सम्पत्ति की ब्रिकी में बढ़ोतरी के कारण वृद्धि (20 *प्रतिशत*) हुई।

1.3 संग्रहण की लागत

वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान प्रमुख राजस्व प्राप्तियों में सकल संग्रहण, उनके संग्रहण पर किया गया व्यय और सकल संग्रहण के लिए किये गए ऐसे व्यय का *प्रतिशत*, वर्ष 2003-04 के लिए संबंधित अखिल भारतीय औसत *प्रतिशत* के साथ नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपयों मे)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण पर व्यय का *प्रतिशत*	वर्ष 2003-04 के लिये अखिल भारतीय औसत का *प्रतिशत*
1.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	2002-03 2003-04 2004-05	3,437.90 3,985.43 4,797.53	32.69 37.05 41.85	1.0 0.9 0.9	1.15
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	2002-03 2003-04 2004-05	1,142.34 1,163.15 1,276.07	18.60 19.82 22.39	1.6 1.7 1.8	3.81
3.	वाहनों पर कर	2002-03 2003-04 2004-05	646.14 904.31 817.21	10.27 11.49 13.30	1.6 1.3 1.6	2.57
4.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	2002-03 2003-04 2004-05	515.73 611.77 817.83	10.40 11.23 14.32	2.0 1.8 1.8	3.66

1.4 बिक्री कर का प्रति करदाता संग्रहण

(लाख रुपयों में)

वर्ष	करदाताओं की संख्या	बिक्री कर राजस्व	प्रति करदाता राजस्व
2000-2001	1,79,418	2,82,121	1.57
2001-2002	1,87,281	3,06,903	1.64
2002-2003	2,19,052	3,43,790	1.57
2003-2004	2,09,216	3,98,543	1.90
2004-2005	2,16,462	4,79,753	2.21

1.5 राजस्व की बकाया का विश्लेषण

31 मार्च 2005 को राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों के संबंध में राजस्व की बकाया की राशि 2,977.66 करोड़ रुपये थी जिसमें से 540.05 करोड़ रुपये पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जिसका विवरण नीचे दिया है:-

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2005 को बकाया राशि	पांच वर्षों से अधिक बकाया राशि	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.
01.	बिक्री व्यापार इत्यादि पर कर	2,249.17	370.40	2,249.17 करोड़ रुपयों में से 368.67 करोड़ रुपये की मांगें न्यायालय एवं न्यायिक अधिकारियों द्वारा स्थगित कर दी गई थी। 114.18 करोड़ रुपये की मांग भू-राजस्व अधिनियम तथा राजस्व वसूली अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व वसूली प्रमाण पत्रों के द्वारा आच्छादित थी। 60.37 करोड़ रुपये की वसूली व्यापारियों के दिवालिया घोषित होने के कारण रुकी हुई थी। 1.76 करोड़ रुपये की माँग अपलिखित होने की संभावना है। 166.73 करोड़ रुपये की माँग व्यापारियों जिनका पता नहीं चल सका, के विरुद्ध बकाया थी। 62.09 करोड़ रुपये की वसूली सरकारी विभागों के विरुद्ध बकाया थी। 1,475.37 करोड़ रुपये बकाया की वसूली विभिन्न स्तरों पर थी।
02.	राज्य उत्पाद शुल्क	213.34	56.70	सभी मांगें भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व वसूली प्रमाण-पत्रों के द्वारा आच्छादित थीं।
03.	वाहनों पर कर	20.55	8.84	20.55 करोड़ रुपयों में से 2.29 करोड़ रुपयों की मांगें न्यायालय/सरकार द्वारा स्थगित कर दी गई। 16.67 करोड़ रुपये की मांगें वसूली प्रमाण पत्रों के द्वारा आच्छादित थी। 1.59 करोड़ रुपये की बकाया वसूली के विभिन्न स्तरों पर थीं।
04.	यात्रियों एवं माल पर कर	1.90	1.90	परिवहन विभाग द्वारा वसूली के स्तर सूचित नहीं किए गए।
05.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	53.77	7.62	53.77 करोड़ रुपयों में से 27.47 करोड़ रुपये की मांगें वसूली प्रमाण-पत्रों सें आवृत थीं। 26.30 करोड़ रुपये की मांगें उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित कर दी गई थी।
06.	भू-राजस्व	67.91	21.84	67.91 करोड़ रुपयों में से 6.22 करोड़ रुपये की मांगें सरकार द्वारा रोक दी गई थीं एवं 5.66 करोड़ रुपये की मांगें उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित कर दी गई थी। 56.03 करोड़ रुपये की बकाया वसूली के विभिन्न स्तरों पर थीं।

1.	2.	3.	4.	5.
07.	कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर	58.88	11.11	58.88 करोड़ रुपयों में से 28.22 करोड़ रुपयों की मांगें उच्च न्यायालय/न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित कर दी गई। 15.25 करोड़ रुपये वसूली प्रमाण पत्रों से आवृत्त तथा 15.41 करोड़ रुपये वसूली के विभिन्न स्तरों पर बकाया थे।
08.	ग्रामीण/शहरी जलापूर्ति योजनाओं से जलापूर्ति एवं सफाई प्राप्तियाँ	54.34	17.77	54.34 करोड़ रुपयों में से 0.24 करोड़ रुपये की मांगें उच्च न्यायालय/ अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा एवं 0.39 करोड़ रुपये की मांगें सरकार द्वारा स्थगित कर दी गई। 1.56 करोड़ रुपये की माँगें अपलिखित होने की संभावना थी। 0.03 करोड़ रुपये वसूली प्रमाणपत्रों से आवृत थे एवं 52.12 करोड़ रुपये वसूली के विभिन्न स्तरों पर थे।
09.	अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	67.39	26.38	67.39 करोड़ रुपयों में से 28.21 करोड़ रुपयों की मांगें उच्च न्यायालय/ अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा तथा 2.72 करोड़ रुपये की मांगें सरकार द्वारा स्थगित कर दी गईं। 27.84 करोड़ रुपये की मांगें भू-राजस्व अधिनियम तथा पी डी आर अधिनियम के अन्तर्गत वसूली प्रमाण पत्रों से आवृत थी। 1.80 करोड़ रुपये की बकाया के अपलिखित होने की संभावना थी। 0.06 करोड़ रुपये आवेदन पत्रों में संशोधन/समीक्षा के कारण रोके गए। 6.76 करोड़ रुपये की बकाया की वसूली विभिन्न स्तरों पर थी।
10.	विविध सामान्य सेवाऐं- भूमि की बिक्री	126.76	5.54	126.76 करोड़ रुपये में से 0.59 करोड़ रुपये की मांगें उच्च न्यायालय/अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा तथा 69.71 करोड़ रुपये की माँगें सरकार द्वारा स्थगित कर दी गई थी। शेष 56.46 करोड़ रुपये की राशि वसूली के विभिन्न स्तरों पर थी।
11.	[2]वृहद एवं मध्यम सिंचाई	63.65	11.95	63.65 करोड़ रुपयों में से 52.95 करोड़ रुपये की बकाया जो राजस्व मण्डल से संबंधित है वसूली के विभिन्न स्तरों पर थी। शेष 10.70 करोड़ रुपये की बकाया वसूली के स्तरों, आयुक्त, सिं.क्षे.वि., चम्बल कोटा तथा मुख्य अभियन्ता इ.गा.न.प. बीकानेर द्वारा सूचित नहीं किये गये।
	योग	**2,977.66**	**540.05**	

[2] यह सूचना राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर; आयुक्त, सिंचित क्षेत्र विकास (सिं.क्षे.वि.) चम्बल, कोटा तथा मुख्य अभियंता इंदिरा गांधी नहर परियोजना (इ.गा.न.प.), बीकानेर से संबंधित है।

1.6 कर निर्धारणों में बकाया

वर्ष 2004-05 के आरंभ में लम्बित कर निर्धारणों के मामले, वर्ष के दौरान निर्धारण योग्य मामले, वर्ष के दौरान निपटाये गये मामले और वर्ष 2004-05 के अन्त में लम्बित मामलों का विवरण, जैसा कि विभागों द्वारा प्रेषित किया गया, नीचे दिया गया है:-

राजस्व शीर्ष	प्रारंभिक शेष	निर्धारण हेतु बकाया नये प्रकरण	योग	निपटाये गये प्रकरण	शेष	कालम 5 का 4 पर प्रतिशत
वित्त विभाग						
बिक्री कर	81,346	2,12,397	2,93,743	2,28,913	64,830	77.93
मनोरंजन कर	2,060	2,514	4,574	2,606	1,968	56.97
कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर	26,230	-	26,230	25,137	1,093	95.83
अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	7,714	6,346	14,060	7,705	6,355	54.80

1.7 कर का अपवंचन

वर्ष 2004-05 में विभागों द्वारा कर अपवंचन के पता लगाये गये मामले, अन्तिम रूप दिये गये मामले तथा अतिरिक्त कर की मांग कायमी का विवरण जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया, नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	1 अप्रैल 2004 को प्रारम्भिक शेष	पता लगाये गये मामले	योग	निर्धारण/अन्वेषण पूर्ण किये गये तथा शास्ति आदि सहित अतिरिक्त मांग कायम शुदा मामले		31 मार्च 2005 को बकाया मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग की राशि (करोड़ रुपयों में)	
1.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	455	12,162	12,617	12,336	51.48	281
2.	अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	5,330	4,667	9,997	1,730	सूचित नहीं किया	8,267
3.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	17,444	9,609	27,053	12,495	सूचित नहीं किया	14,558

1.8 राजस्व का अपलेखन एवं अधित्याग

वर्ष 2004-05 के दौरान 5,286 मामलों में 8.75 करोड़ रुपये की मांग अपलिखित/माफ/प्रेषण की गई जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्रकरणों की संख्या	राशि (लाख रुपयों में)	कारण
1.	वाणिज्यिक कर	1,330	723.27[3]	व्यवसाइयों की मृत्यु के कारण, चल/अचल सम्पत्ति नहीं होने, व्यवसाइयों द्वारा व्यावसायिक स्थल छोड़ने के कारण माफ की गई।
2.	आबकारी	7	1.29	दोषियों के पते, ठिकाने मालूम न होने के कारण माफ/अपलिखित की गई।
3.	पंजीयन एवं मुद्रांक	3,949	150.61	2,030 प्रकरणों में दण्ड की राशि 80.61 लाख रुपये माफ की गई तथा 1,919 प्रकरणों में 70.00 लाख की राशि अन्य कारणों से माफ/अपलिखित की गई।
	योग	**5,286**	875.17	

1.9 प्रतिदाय

वर्ष 2004-05 के प्रारम्भ में बकाया प्रतिदाय के मामले, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान प्रतिदाय दिये गये मामले तथा वर्ष 2004-05 के अन्त में बकाया मामलों की संख्या जैसी की विभागों द्वारा सूचित की गई, नीचे दी गई है:-

(करोड़ रुपयों में)

विभाग का नाम	प्रारंभिक शेष		प्राप्त दावे		अनुमत्य दावे		अन्तिम शेष	
	प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि
वाणिज्यिक विभाग	846	7.31	5,134	39.70	4,608	39.23	1,372	7.78
पंजीयन एवं मुद्रांक	1,917	1.30	1,348	2.13	1,183[4]	1.79	2,082	1.64
भू-राजस्व	19	0.07	42	0.08	56	0.08	5	0.07
उपनिवेशन	37	0.10	39	0.16	32	0.14	44	0.12
भूमि एवं भवन कर	18	0.80	9	0.41	7	0.21	20	1.00
अलौह धातु एवं खनन उद्योग	226	0.57	122	0.36	179	0.62	169	0.31
योग	**3,063**	**10.15**	**6,694**	**42.84**	**6,065**	**42.07**	**3,692**	**10.92**

[3] इसमें 352.75 लाख रुपये एमनेस्टी योजना में माफ की गई राशि सम्मिलित हैं।

[4] इसमें विभाग द्वारा अस्वीकृत किये गये 125 प्रकरणों में 0.08 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं।

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा देर से प्रतिदाय के कारण 610 प्रकरणो में 4.39 करोड़ रुपये तथा अन्य कारणों से जिनका उल्लेख नहीं किया गया था, 517 प्रकरणों में 1.38 करोड़ रुपये के ब्याज का भुगतान किया गया था।

इस प्रकार यह विदित होगा कि वर्ष समाप्ति पर रहा अवशेष वर्ष के प्रारंभ पर रहे बकाया शेष से 8 *प्रतिशत* अधिक था।

1.10 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2004-05 के दौरान बिक्री कर, भू-राजस्व, राज्य उत्पाद शुल्क, मोटर वाहन कर, मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क, एवं अन्य कर-इतर प्राप्तियाँ के अभिलेखों की मापक जांच में 16,964 मामलों में 658.29 करोड़ रुपयों की राशि के अवनिर्धारण, कम आरोपण तथा राजस्व हानि का पता चला। संबंधित विभागों द्वारा अवनिर्धारण आदि की निहित राशि 49.52 करोड़ रुपये के 7,866 मामले स्वीकार किये गये, जिनमें से निहित राशि 26.37 करोड़ रुपये के 3,714 मामले वर्ष 2004-05 की लेखापरीक्षा के दौरान और बाकी पूर्व वर्षों में बताये गये थे। वर्ष 2004-05 के दौरान लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर 1,164 मामलों में 3.37 करोड़ रुपये की राशि विभागों ने वसूल कर ली।

इस प्रतिवेदन में कर, शुल्क, ब्याज एवं शास्ति इत्यादि के अनारोपण/कम आरोपण से संबंधित दो समीक्षाओं सहित 27 अनुच्छेद, जिनमें 276.63 करोड़ रुपये निहित है, सम्मिलित किए गए हैं। सरकार/विभागों ने जुलाई 2005 तक 4.22 करोड़ रुपयों की लेखापरीक्षा टिप्पणियां स्वीकार की हैं जिसमें से 54.06 लाख रुपये वसूल हो चुके हैं।

1.11 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ-उत्तरदायित्व की कमी एवं जवाबदेही का अभाव

करों, शुल्कों, फीस आदि का अवनिर्धारण, कम निर्धारण/वसूली और प्रारंभिक लेखों के रख-रखाव में त्रुटियां जिनका मौके पर निस्तारण नहीं हुआ है, निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से विभागाध्यक्षों को सूचित किए जाते हैं। अधिक महत्व की अनियमितताएें भी निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से कार्यालय महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) द्वारा सरकार/विभागों को सूचित की जाती हैं, जिसके प्रथम उत्तर इनके प्रेषण होने के एक माह में भेजे जाने होते हैं।

31 दिसम्बर 2004 तक जारी किये गये राजस्व प्राप्तियों से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदन और लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ जो 30 जून 2005 को विभागों से निपटारे हेतु बकाया थे, गत दो वर्षों के आंकडों सहित नीचे दिये गये हैं:-

क्र. सं.	विवरण	30 जून को		
		2003	2004	2005
1.	निपटारे हेतु बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,914	2,971	2,800
2.	बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या	6,102	7,477	7,701
3.	निहित राजस्व राशि (करोड़ रुपयों में)	892.82	1,117.84	1,511.54

30 जून 2005 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा टिप्पणियों का विभागानुसार विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	विभाग	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपयों में)	सर्वप्रथम वर्ष जिससे निरीक्षण प्रतिवेदन संबिंधत है	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या जिनके प्रथम बार भी उत्तर प्राप्त नहीं हुए
1.	वाणिज्यिक कर	647	1,938	296.33	1989-90	-
2.	भू-राजस्व	541	1,045	200.02	1988-89	37
3.	पंजीयन एवं मुद्रांक	654	1,446	54.87	1994-95	53
4.	परिवहन	412	1,386	54.40	1996-97	10
5.	वन	158	393	4.24	1997-98	14
6.	खान एवं भू-विज्ञान	169	754	477.90	1994-95	21
7.	राज्य उत्पाद शुल्क	94	264	396.61	1998-99	-
8.	भूमि एवं भवन कर	95	411	25.34	1992-93	17
9.	विद्युत निरीक्षण	30	64	1.83	1995-96	-
	योग	**2,800**	**7,701**	**1,511.54**		**152**

लेखापरीक्षा आपत्तियों के निपटान में लम्बित रहने की अवधि सात से 16 वर्षों के मध्य थी। सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 327(1) के अनुसार लेखापरीक्षा के बाद विभिन्न लेखांकन अभिलेखों की परिरक्षण अवधि एक वर्ष एवं तीन वर्ष के मध्य हैं। अभिलेखों की निर्धारित परिरक्षण अवधि में विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों के आक्षेपों की अनुपालना में विफलता के परिणामस्वरूप भविष्य में अभिलेखों के न मिलने के कारण उनके निस्तारण में रूकाव/ठहराव की संभावना बढ़ जाती है।

सरकार को प्रकरण में ध्यान देना चाहिये एवं सुनिश्चित करना चाहिए कि (अ) लेखापरीक्षा आपत्तियों का उत्तर निर्धारित समय सारणी में प्रेषित करने में असफल रहने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही हो (ब) राजस्व वसूली की तथा (स) लेखापरीक्षा आपत्तियों पर तुरन्त कार्यवाही एवं उचित उत्तर देने की पद्धति सरल एवं कारगर हो।

उपरोक्त स्थिति अक्टूबर 2005 में सरकार के ध्यान में लाई गई।

1.12 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

प्रत्येक विभाग द्वारा, एक वर्ष में दो बार छमाही आधार पर क्रमशः जून एवं दिसम्बर तक, लेखापरीक्षा समिति की बैठक आयोजित करनी थी। वर्ष 2004 के दौरान विभाग-वार आयोजित बैठकों की स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	विभाग का नाम	2004 के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या		
		जून 2004 को समाप्त छमाही	दिसम्बर 2004 को समाप्त छमाही	योग
1.	वाणिज्यिक कर	1	1	2
2.	आबकारी	शुन्य	1	1
3.	परिवहन	1	1	2
4.	पंजीयन एवं मुद्रांक	1	1	2
5.	भूमि एवं भवन कर	1	1	2
6.	भू राजस्व	शुन्य	1	1
7.	खान एवं भू गर्भ विज्ञान	शुन्य	1	1
	योग	4	7	11

1.13 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों के उत्तर

वित्त विभाग ने अगस्त 1969 में सभी विभागों को, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावित ड्राफ्ट लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के उत्तर उनकी प्राप्ति से तीन सप्ताह के अन्दर भिजवाने हेतु निर्देश जारी किये थे। ड्राफ्ट अनुच्छेद संबंधित लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा संबंधित विभागों के सचिवों को अर्द्धशासकीय पत्रों के माध्यम से; लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान दिलाये जाने तथा यह अनुरोध करते हुए भेजे जाते हैं कि वे अपने उत्तर तीन सप्ताह में भिजवा दें। सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं होने के तथ्य को, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक अनुच्छेदों के अन्त में समान रूप से दर्शाया जाता है।

31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) में सम्मिलित ड्राफ्ट अनुच्छेद संबंधित विभागों के सचिवों को अर्द्ध शासकीय पत्रों के द्वारा जून 2005 एवं अगस्त 2005 के मध्य प्रेषित किये गये थे। जारी किये गये 71 मामलों (27 पैराग्राफ में सम्मिलित) में से 31 मामलों में विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया।

1.14 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही-संक्षिप्त स्थिति

वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सभी विभागों को, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखे जाने के तीन माह के अन्दर उसमें सम्मिलित अनुच्छेदों के संबंध में, अपने व्याख्यात्मक पत्रक लेखापरीक्षा द्वारा जांचोपरान्त राजस्थान विधानसभा सचिवालय को प्रेषित करने होते हैं।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाये तथा 31 जुलाई 2005 को चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेदों की स्थिति परिशिष्ट 'अ' में दर्शायी गई है। इससे विदित होता है कि वर्ष के दौरान 27 लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर जन लेखा समिति द्वारा चर्चा की गई। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1999-2000 तक के प्रतिवेदनों के कोई भी अनुच्छेद जन लेखा समिति में चर्चा हेतु शेष नहीं था तथा वर्ष 2000-01 से 2003-04 की अवधि से सम्बन्धित 92 अनुच्छेद शेष थे।

राजस्थान राज्य विधानसभा की जन लेखा समिति के लिये वर्ष 1997 में बनाये गये नियम एवं कार्यविधि के अनुसार लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर जन लेखा समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर, विधानसभा में प्रस्तुत करने के छः माह के अन्दर क्रियान्विति विषयक प्रतिवेदनों को प्रेषित करने हेतु संबंधित विभाग आवश्यक कार्यवाही करेगें। बकाया क्रियान्विति विषयक प्रतिवेदनों की स्थिति परिशिष्ट 'ब' में दर्शायी गयी है। इससे विदित होता है कि बकाया क्रियान्विति विषयक प्रतिवेदनों की अवधि चार माह से 25 माह तक रही।

अध्याय-II: बिक्री कर

2.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2004-05 के दौरान वाणिज्यिक कर विभाग के कार्यालयों में अभिलेखों की लेखापरीक्षा में की गई मापक जांच से 2,285 मामलों में 185.47 करोड़ रुपयों के अवनिर्धारण आदि का पता चला जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:-

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि (करोड़ रुपयों में)
1.	कर योग्य व्यापारावर्त का निर्धारण नहीं करना	309	3.24
2.	कटौती की अनियमित या गलत स्वीकृति के कारण अवनिर्धारण	127	6.53
3.	कर की गलत दर लगाने के कारण कर का कम आरोपण	268	8.16
4.	अनियमित छूट प्रदान करना	224	30.14
5.	क्रय कर आरोपित नहीं करना	83	0.65
6.	शास्ति/ब्याज आरोपित नहीं करना	332	6.41
7.	अन्य अनियमिततायें	941	32.97
8.	**बिक्री कर के निर्धारण एवं संग्रहण पर समीक्षा**	1	97.37
	योग	**2,285**	**185.47**

वर्ष 2004-05 के दौरान विभाग ने 455 मामले जिनमें 6.27 करोड़ रुपये अन्तर्निहित थे, में अवनिर्धारणों आदि को स्वीकार किया, जिसमें से 227 मामले जिनमें 75.19 लाख रुपये अन्तर्निहित थे वर्ष 2004-05 की लेखापरीक्षा के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। इसके अतिरिक्त, विभाग ने वर्ष 2004-05 के दौरान 27 मामलों में 4.76 लाख रुपये वसूल किये जिनमें से 0.99 लाख रुपये के नौ मामले वर्ष 2004-05 से तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे।

कुछ निदर्शी मामले तथा **बिक्री कर का निर्धारण एवं संग्रहण** पर समीक्षा के निष्कर्षों जिनमें 98.44 करोड़ रुपये सन्निहित हैं, आगामी अनुच्छेदों में दिये गये हैं:-

2.2 बिक्री कर का निर्धारण एवं संग्रहण पर समीक्षा

मुख्य मुख्य बिन्दु

19 कार्यालयों में, मार्बल कटिंग का कार्य कर रही 323 औद्योगिक इकाइयों को अनियमित रूप से 129.69 करोड़ रुपयों की कर छूट प्रदान कर दी गई।

(अनुच्छेद 2.2.8)

मिनरल्स वाटर बनाने का कार्य कर रही दस औद्योगिक इकाइयों को अनियमित रूप से 8.93 करोड़ रुपये की छूट का लाभ स्वीकृत कर दिया गया।

(अनुच्छेद 2.2.9)

छियत्तर औद्योगिक इकाइयां जो पहले से ही 1987/1989 की अन्य बिक्री कर प्रोत्साहन योजनाओं के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर रही थी, को उद्योगों के लिये बिक्री कर छूट योजना, 1998 के अन्तर्गत अनियमित रूप से 149.67 करोड़ रुपये की छूट प्रदान कर दी गई।

(अनुच्छेद 2.2.11)

54 इकाइयों के द्वारा शर्त के उल्लंघन पर छूट वापस नहीं लेने के परिणामस्वरूप कर एवं ब्याज के 39.09 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 2.2.12)

2.2.1 परिचय

राजस्थान बिक्री कर का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण का नियमन राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 (रा.बि.क. अधिनियम) एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियमन 1956 (के.बि.क. अधिनियम) तथा इसके अन्तर्गत विरचित नियमों के अन्तर्गत होता है। अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत देय शास्ति सहित कर के आरोपण एवं अवधारण हेतु मामलों में निर्धारण, कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। डीम्ड कर निर्धारण योजना तथा स्व-कर निर्धारण योजना के आधार पर भी कर निर्धारण किये जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त अधिनियम में प्रावधान है कि जहाँ किसी पारित आदेश के परिणामस्वरूप कोई कर, ब्याज तथा शास्ति इत्यादि देय होती है, तो व्यवसाई को एक मांग पत्र जारी किया जायेगा। मांग पत्र में उल्लेखित देय राशि का 30 दिन के अन्दर भुगतान करना होगा। अधिनियम में आगे प्रावधान है कि जहाँ कर निर्धारण प्राधिकारी के किसी आदेश के विरूद्ध कोई अपील दायर की गई हो तो भी मांग पत्र के अनुसार कर का भुगतान करना होगा चाहे अपील दायर की गई हो।

2.2.2 *संगठनात्मक संरचना*

वाणिज्यिक कर आयुक्त विभाग के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। राजस्थान बिक्री कर अधिनियम तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम से संबंधित कानूनों को लागू करने के उद्देश्यों के लिये छः अतिरिक्त आयुक्त, 23 उपायुक्त 44 सहायक आयुक्त, 91 वाणिज्यिक कर अधिकारी तथा 274 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी उनकी सहायता करते हैं। सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उनको आयुक्त द्वारा आवंटित क्षेत्रों के संबंध में निर्धारण अधिकारी होते हैं जो व्यवसाइयों के लेखों की जांच करते हैं, निर्धारणों को सम्पूरित करते हैं, मांग कायम करते हैं तथा वसूली सुनिश्चित करते हैं। विभाग में 108 वृत्त हैं जहाँ कर निर्धारण सम्पूरित किये जाते हैं।

2.2.3 *लेखापरीक्षा के उद्देश्य*

यह समीक्षा सुनिश्चित करने के लिये की गई थी की क्या

- वाणिज्यिक कर विभाग में कर के समयोचित एवं उचित निर्धारण एवं संग्रहण के लिये पर्याप्त प्रणाली एवं क्रिया विधि विद्यमान है;

- विभन्न योजनाओं के अन्तर्गत छूट सही रूप से प्रदान की गइ और योजनाओं की शर्तों के उल्लंघन करने पर दोषी इकाइयों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही थी तथा;

- अन्य कोई अनियमितताएं जिससे राजस्व हानि हो रही हो।

2.2.4 *लेखापरीक्षा का क्षेत्र*

108 में से 35 वृत्तों में वर्ष 1999-2000 से 2003-04 के कर निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच मई 2004 एवं मार्च 2005 के मध्या की गई।

लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को मई 2005 में सरकार/विभाग को सूचित किया गया। समीक्षा के निष्कर्षों पर परिचर्चा करने हेतु लेखापरीक्षा समीक्षा समिति (ए आर सी) की बैठक 20 जुलाई 2005 को आयोजित की गई ताकि समीक्षा को अंतिम रूप देने से पूर्व सरकार/विभाग के दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जा सके। सरकार का प्रतिनिधित्व उप शासन सचिव (कर) तथा वाणिज्यिक कर विभाग का प्रतिनिधित्व वित्तीय सलाहकार द्वारा किया गया। समीक्षा को अन्तिम रूप देते समय, बैठक में सरकार/विभाग के दृष्टिकोण को ध्यान में रखा गया है। समीक्षा के प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख अनुवर्ती अनुच्छेदों में किया गया है।

2.2.5 बजट अनुमान एवं राजस्व की प्रवृत्ति

वर्ष 1999-2000 से 2003-04 के बिक्री कर के संबंध में संशोधित बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों में अन्तर नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	संशोधित बजट अनुमान	वास्तविक	कमी प्रतिशत में
1999-2000	2,550	2,424.52	(-) 5
2000-2001	2,920	2,821.21	(-) 3
2001-2002	3,150	3,069.03	(-) 3
2002-2003	3,500	3,437. 90	(-) 2
2003-2004	4,200	3985.43	(-) 5

2.2.6 आन्तरिक नियंत्रण

वाणिज्यिक कर विभाग, बिक्री कर सहित 11 विभिन्न करों को प्रशासित करता है। यह विभाग, राज्य सरकार द्वारा संग्रहित कर-राजस्व का प्रमुख अंशदाता है क्योंकि राज्य द्वारा प्राप्त कर-राजस्व का 60 प्रतिशत वाणिज्यिक करों के आरोपण से प्राप्त होता है।

विभाग में वित्तीय सलाहकार के नेतृत्व में एक आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा कार्यरत है जिसमें 11 जांच दल हैं जिनका पर्यवेक्षण दो लेखाधिकारियों द्वारा किया जाता है। सभी वृत्तों एवं घटों की लेखापरीक्षा जांच वार्षिक आधार पर होती है। महत्वपूर्ण निष्कर्षों को वाणिज्यिक कर आयुक्त को सूचित किया जाता है। इस हेतु सहायक आयुक्त (लेखापरीक्षा) का एक पद भी है।

संभाग के उपायुक्त वाणिज्यिक कर कार्यालयों का प्रशासनिक निरीक्षण करते हैं तथा उनके कार्य कलापों पर अपना प्रतिवेदन आयुक्त को प्रस्तुत करते हैं।

यद्यपि यहाँ आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है किन्तु आन्तरिक लेखापरीक्षा के साथ-साथ बाह्य लेखापरीक्षा के माध्यम से सूचित त्रुटि संकेतों के प्रति संवेदनशीलता संषोषजनक नहीं थी; जैसाकि बड़ी संख्या में बकाया लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ-साथ केन्द्रीय लेखापरीक्षा द्वारा उनके निरीक्षण प्रतिवेदनों में ध्यान में लाई गई समान प्रकृति के आक्षेपों की लगातार पुरावृत्ति से स्पष्ट है। इससे यह पता चलता है कि प्रणाली के होते हुए तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा में कोई बकाया नहीं होते हुए भी लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाई गई त्रुटियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये कोई प्रतिविधिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई थी।

2.2.7 बिक्री कर विभाग में कम्प्यूटरीकरण

विभाग में प्रभावी अनुश्रवण एवं नीति निर्धारण के लिये सूचनाओं की गुणवत्ता में सुधार हेतु कम्प्यूटर प्रणाली लागु की गई। विभाग की कार्य प्रक्रिया के स्वचलन के लिये 1999-2000 में कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रारंभ किया गया।

11 संभागों को कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ा गया है। व्यवसाइयों के पंजीकरण तथा कर वसूली संबंधी मॉड्यूल्स पूर्णरूप से चालू हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रोग्राम 'बार्डर चेक पोस्ट डाक्यूमेंट मैनेजमेन्ट सिस्टम' भी चालू है जो राजस्थान से गुजरने वाले दो राज्यों के मध्य वस्तुओं के गमन को संभालता है। इस प्रोग्राम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि अन्य राज्यों को जाने वाले वाहन वास्तव में राजस्थान से पार गये। अब तक केवल सात सीमावर्ती चैक पोस्टें ट्रांजिट पास की सूचनाओं हेतु ऑन-लाईन कार्य कर रही है, 17 अन्य चैक पोस्टों का अब तक पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकरण नहीं हुआ है।

विभाग ने करापवंचन का पता लगाने तथा सही करारोपण के लिये कोई डाटा बेस विकसित नहीं किया है। इस तथ्य के होते हुए कि विभाग ने पांच वर्ष पहले कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रांरभ किया था, वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय संचलन तथा व्यवसाइयों संबंधी सूचनाओं के प्रभावी अनुश्रवण के लिये सूचना एवं संचार तकनीक का उपभोग राज्य में नहीं किया गया है।

बिक्री कर छूट योजनाओं के अन्तर्गत अपात्र इकाइयों को छूट देना

उद्यमियों को नये औद्योगिक विनिवेश तथा राज्य में उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने समय-समय पर बिक्री कर प्रोत्साहन, छूट तथा आस्थगन योजनाएं अधिसूचित की। सर्वप्रथम योजना 1987 में तत्पश्चात एक अन्य योजना 1989 के दौरान अधिसूचित की गई जो क्रमशः 31 मार्च 1997 तथा 31 मार्च 1999 तक प्रचलन में थी। एक अन्य योजना अप्रैल 1998 में अधिसूचित की गई जो 30 मार्च 2000 तक प्रचलन में थी। इन योजनाओं के अन्तर्गत केवल वस्तुओं के निर्माणकर्ताओं को छानबीन समिति की सिफारिशों पर इन योजनाओं में निर्धारित शर्तों के अधीन ही लाभ अनुज्ञेय था। राज्य सरकार, किसी छानबीन समिति द्वारा पारित किसी आदेश को जहां कहीं यह पता चले कि यह गलत तथा राजस्व के हितों के प्रतिकूल है तो लाभार्थी औद्यागिक इकाई को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए स्वप्रेरणा से या अन्यथा संशोधित कर सकती है।

इन योजनाओं के अन्तर्गत छूट प्रदान करने में हुई अनियमितताएं जैसी कि लेखापरीक्षा में देखी गयी, निम्नानुसार है:-

2.2.8 मार्बल कटिंग इकाइयों को गलत छूट प्रदान करना

1987, 1989 तथा 1998 की बिक्री कर प्रोत्साहन योजनाओं के अन्तर्गत केवल निर्माण कर रही इकाइयां ही कर छूट के लिये पात्र हैं। न्यायिक रूप से यह माना[1] गया है कि मार्बल के ब्लाक्स की स्लेबों अथवा टाइलों के रूप में कटिंग निर्माण प्रक्रिया नहीं है। इन निर्णयों के परिपेक्ष्य में मार्बल इकाइयां निर्माणकर्ता नहीं है अतः इनमें से किसी भी छूट योजना के अन्तर्गत छूट की पात्र नहीं हैं।

19 वृत्तों में कर निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच में पता चला कि 323 इकाइयां जो मार्बल कटिंग का कार्य कर रही थी को 129.69 करोड़ रुपये की कर छूट अनियमित रूप से प्रदान कर दी गई, जिसमें से वर्ष 1999-2000 से 2001-02 के मध्य ये इकाइयां 54.79 करोड़ रुपये का लाभ प्राप्त कर चुकी थी दृष्टान्त रूप में कुछ उदाहरण नीचे दर्शाये गये हैं:-

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	वृत्त का नाम	इकाइयों की संख्या	स्वीकृत छूट	प्राप्त छूट	1 अप्रैल 2002 को शेष ई सी लाभ
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	वा.क.अ. विशेष वृत्त, अजमेर	112	4,738	2701	2037
2	वा.क.अ. विशेष वृत्त, अलवर	11	210	184	26
3	वा.क.अ. वृत्त, 'बी' अलवर	05	230	28	202
4	वा.क.अ. वृत्त, बांसवाड़ा	27	397	215	182
5	वा.क.अ. विशेष वृत्त, भीलवाड़ा	58	2,107	1160	947
6	वा.क.अ. विशेष वृत्त-II, जयपुर	05	497	146	351
7	वा.क.अ. विशेष वृत्त-III, जयपुर	02	108	78	30
8	वा.क.अ. विशेष वृत्त-IV, जयपुर	02	212	100	112
9	वा.क.अ. वृत्त-'ए', जयपुर	03	438	69	369
10	वा.क.अ. वृत्त, किशनगढ़	59	1,333	271	1062
11	वा.क.अ. विशेष वृत्त, उदयपुर	03	358	84	274
12	वा.क.अ. वृत्त, 'बी' उदयपुर	27	1,932	265	1667

विभाग द्वारा छूट रद्द करने हेतु कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई (जुलाई 2005)।

2.2.9 मिनरल वाटर तैयार करने पर गलत छूट प्रदान करना

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियमन के अन्तर्गत सरकार ने 'उद्योगों के लिये बिक्री कर छूट योजना, 1998' अधिसूचित (अप्रैल 1998) की, जिसके अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयों को इस योजना में निर्धारित रीति, सीमा एवं अवधि के लिये, उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय ब्यापार या वाणिज्य के दौरान अथवा राज्य के अन्दर किये गये विक्रय पर कर के भुगतान से छूट प्रदान की। 'निर्माण'

[1] सी.आई.टी. बनाम लक्की मिनरल्स (प्रा.) लि. आई.टी.आर. 226 (1996) 245।
राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल बनाम ऐसासिएटेड स्टोन इण्डस्ट्रीज एवं अन्य जे टी 2000 (6) एस सी 552
मै.अमन मार्बल इण्डस्ट्रीज बनाम सी.सी.ई. जयपुर 2003 (58) आर एल टी 595(एस.सी.)।

का अर्थ होगा कच्चे माल का उपयोग तथा उपयोग में लिये गये कच्चे माल से वाणिज्यिक रूप से भिन्न वस्तुओं का उत्पादन। जहां कोई नया उत्पाद अस्तित्व में नहीं आता है तो वहां कोई निर्माण प्रक्रिया नहीं होती है। मिनरल वाटर तैयार करना निर्माण कार्य नहीं है । इस राय की पुष्टि[2] आगे माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा भी की गई है।

आठ वृत्तों[3] में वर्ष 2002-03 से संबंधित अभिलेखों की मापक जांच के दौरान पता चला कि 10 इकाइयां जो मिनरल वाटर तैयार कर रही थी को, जून 1999 से मार्च 2001 की अवधि के दोरान, 11 वर्षों के लिये 8.93 करोड़ रुपये का लाभ अनियमित रूप से स्वीकृत कर दिया गया। न्यायिक निर्णय के बाद, व्यवसाइयों ने वर्ष 2002-03 के दौरान 57.30 लाख रुपये का लाभ प्राप्त कर लिया था। सरकार को स्व-प्रेरणा से छानबीन समिति के छूट प्रदान करने संबंधी आदेशों को रद्द करना चाहिये था जो नहीं किया गया। इस चूक के परिणामस्वरूप अपात्र इकाइयों को 8.93 करोड़ रुपये की छूट प्रदान कर दी गई।

2.2.10 स्टोन क्रशिंग इकाइयों को अनियमित छूट देना

न्यायिक रूप से यह माना गया[4] कि स्टोन क्रशिंग अर्थात पत्थरों से गिट्टी तैयार करना निर्माण गतिविधि नहीं है क्योंकि क्रशिंग के बाद भी पत्थर पत्थर ही रहता है। चूंकि यह गतिविधि निर्माण गतिविधि नहीं है, स्टोन क्रशिंग में लगी इकाइयां तीनों योजनाओं (1987, 1989 तथा 1998) में से किसी के भी अन्तर्गत कर से छूट के लाभ के लिये पात्र नहीं थी।

दो वाणिज्यिक कर कार्यालयों[5] में कर निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच में पता चला कि 1999-2000 से 2000-01 की अवधि के दौरान दो व्यवसाइयों जो स्टोन क्रशिंग में लगे हुए थे, को 58.52 लाख रुपये की छूट प्रदान कर दी गइ थी। ये इकाइयां 2001-02 तक 18.26 लाख रुपये की कर छूट का लाभ प्राप्त कर चुकी थी तथा भविष्य में लाभ प्राप्त करने हेतु 40.26 लाख रुपये की शेष छूट वापस ली जानी थी।

2.2.11 पूर्व में ही छूट का लाभ प्राप्त कर रही इकाइयों को 1998 की योजना के अन्तर्गत अनियमित छूट प्रदान करना

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत सरकार ने 'उद्योगों के लिये बिक्री कर छूट योजना 1998' अधिसूचित (अप्रैल 1998) की जिसके अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयों को इस योजना में निर्धारित रीति, सीमा एवं अवधि के लिये, उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान अथवा राज्य के भीतर किये गये विक्रय पर कर के भुगतान से छूट प्रदान की। इसके

[2] (2002) 128 एस टी सी 216 (केरल) मै. तीजन ब्रुअरिज लि.।

[3] वा.क.अ. वृत्त अजमेर, वा.क.अ. वृत्त 'ए' बीकानेर, वा.क.अ. वृत्त भिवाड़ी, वा.क.अ. वृत्त बीकानेर, वा.क.अ. वृत्त 'सी' जयपुर, वा.क.अ. वृत्त 'जी' जयपुर, वा.क.अ. वृत्त सिरोही तथा वा.क.अ. बाड़मेर।

[4] कमीशनर सेल्स टेक्स बनाम लाल कुंआ स्टोन क्रशर प्रा.लि. (एस.सी.) (2000) 118 एस टी सी 287 ।

[5] वा.क.अ. वृत्त-'ए', जयपुर तथा 'ई' जयपुर।

अतिरिक्त योजना में प्रावधान है कि किसी भी औद्योगिक इकाई को इस योजना के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने की अनुमति नहीं होगी यदि वह कर छूट या कर आस्थगन की किसी अन्य विशिष्ट या सामान्य योजना के अन्तर्गत छूट प्राप्त कर रही हो।

23 वाणिज्यिक कर कार्यालयों[6] के अभिलेखों की मापक जांच में पता चला कि उपरोक्त प्रावधानों की अवहेलना करते हुए 76 औद्यागिक इकाइयां जो पहले से ही 1987/1989 की योजनाओं के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर रही थी को अगस्त 1998 एवं मार्च 2002 के मध्य इस योजना के अन्तर्गत 149.67 करोड़ रुपये का बिक्री कर के छूट का लाभ और स्वीकृत कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप कुल 149.67 करोड़ रुपये की अनियमित छूट प्रदान कर दी गई।

यह इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि विभाग ने कर छूट प्रदान करने की स्वीकृति जारी करते समय, ऐसे लाभ प्रदान करने को प्रशासित करने वाले विद्यमान प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखा।

2.2.12 *शर्त के उल्लंघन पर लाभ वापस नहीं लेना*

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत सरकार ने उद्योगों के लिये बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1987 अधिसूचित (मई 1987) की, जिसके अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयां योजना में निर्धारित अधिकतम मात्रा एवं अवधि के अधीन अपने कर दायित्व की 100 प्रतिशत छूट की अधिकारी थी। इसके अतिरिक्त योजना में प्रावधान है कि लाभार्थी औद्योगिक इकाई को योजना का लाभ उठाने के बाद आगे पांच वर्षों तक अपना उत्पादन जारी रखना होगा जो गत पांच वर्षों के औसत उत्पादन के स्तर से कम नहीं होगा। किसी शर्त के उल्लंघन के मामले में व्यवसाई पर, योजना के अन्तर्गत पूर्व में कर मुक्त विक्रय पर निर्धारित दरों से देय ब्याज सहित सामान्य दरों से प्रभार्य कर का दायित्व होगा।

19 वृत्तों में कर निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच में पता चला कि 54 औद्योगिक इकाइयां जिन्हें 1992-93 से 1997-98 के मध्य पात्रता प्रमाणत्र जारी किये गये थे, 15.64 करोड़ रुपये की कर छूट का लाभ उठाने के बाद 1999-2000 से 2002-03 के मध्य अपना उत्पादन बंद कर दिया। इन इकाइयों को पूर्ण लाभ प्राप्त करने के बाद भी अगले पांच वर्षों तक अपना उत्पादन जारी रखना आवश्यक था।

यहाँ, ऐसी कोई प्रणाली नहीं है जिससे यह जांच की जा सके कि क्या ये इकाइयां लाभ उठाने के बाद अपना निर्धारित उत्पादन जारी रखे हुए है। चूक के परिणामस्वरूप

[6] वा.क.अ. विशेष वृत्त अजमेर एवं अलवर, वा.क.अ. वृत्त 'ए' तथा 'बी' अलवर, वा.क.अ. विशेष वृत्त भीलवाड़ा, वा.क.अ. वृत्त भिवाड़ी, वा.क.अ. वृत्त 'ए' बीकानेर, वा.क.अ. वृत्त चुरू, वा.क.अ. वृत्त 'सी' तथा 'ई' जयपुर, वा.क.अ. विशेष वृत्त II, IV तथा V जयपुर, वा.क.अ. वृत्त जालोर, वा.क.अ. वृत्त 'सी' जोधपुर, वा.क.अ. विशेष वृत्त I एवं II जोधपुर, वा.क.अ. वृत्त 'बी' कोटा, वा.क.अ. प्रतिकरापवंचन-I कोटा, वा.क.अ. विशेष वृत्त एवं वृत्त पाली, वा.क.अ. वृत्त सिरोही तथा वा.क.अ. वृत्त 'बी' श्रीगंगानगर।

कर एवं ब्याज के 39.09 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हुई जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	वा.क.अ. के कार्यालय का नाम	इकाइयों की संख्या	प्राप्त छूट की राशि	ब्याज	योग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	वा.क.अ. विशेष वृत्त, अलवर	3	330.24	473.85	804.09
2.	वा.क.अ. वृत्त 'ए', अलवर	2	20.07	25.28	45.35
3.	वा.क.अ. वृत्त बाड़मेर	5	15.65	25.14	40.79
4.	वा.क.अ. वृत्त भीलवाड़ा	1	24.69	39.39	64.08
5.	वा.क.अ. वृत्त भिवाड़ी	7	443.46	491.25	934.71
6.	वा.क.अ. वृत्त 'ए' बीकानेर	1	7.27	7.17	14.44
7.	वा.क.अ. वृत्त 'बी' बीकानेर	1	6.84	4.52	11.36
8.	वा.क.अ. वृत्त चुरू	6	76.76	137.58	214.34
9.	वा.क.अ. वृत्त दौसा	4	34.34	45.02	79.36
10.	वा.क.अ. वृत्त हनुमानगढ़	1	5.27	4.64	9.91
11.	वा.क.अ. वृत्त 'सी' जयपुर	2	40.49	70.36	110.85
12.	वा.क.अ. वृत्त 'एफ' जयपुर	1	31.57	52.98	84.55
13.	वा.क.अ. वृत्त झुन्झुनु	7	12.32	16.79	29.11
14.	वा.क.अ. वृत्त 'सी' जोधपुर	3	17.80	30.60	48.40
15.	वा.क.अ. वृत्त किशनगढ़	1	19.33	27.66	46.99
16.	वा.क.अ. वृत्त 'ए' कोटा	1	12.17	15.84	28.01
17.	वा.क.अ. विशेष वृत्त पाली	1	61.24	116.52	177.76
18	वा.क.अ. वृत्त सिरोही	6	26.87	35.87	62.74
19.	वा.क.अ. विशेष वृत्त श्रीगंगानगर	1	377.95	724.47	1102.42
	योग	**54**	**1,564.33**	**2,344.93**	**3,909.26**

यह सुनिश्चित करने के लिये कि इकाइयां जो कर छूट का लाभ प्राप्त कर रही है योजना की शर्तों का पालन कर रही है के अनुश्रवण के लिये कोई उचित प्रणाली विद्यमान नहीं होने के कारण ही यह चूक हुई।

2.2.13 1987 से 1989 की छूट योजना का विकल्प देने पर अधिक छूट प्रदान करना

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत सरकार ने उद्योगों के लिये दो बिक्री कर प्रोत्साहन योजनाएं अधिसूचित की (मई 1987 तथा

जुलाई 1989 की योजनाएं) जिनके अन्तर्गत, इन योजनाओं में निर्धारित छूट की अधिकतम मात्रा एवं अवधि के अधीन, कर छूट का लाभ स्थाई पूंजी विनियोजन से जुड़ा था। योजना में आगे प्रावधान है कि एक औद्योगिक इकाई जिसे पहले से ही 1987 की योजना के अन्तर्गत छूट दे दी गई हो, नव प्रोत्साहन योजना के लिये, सादे कागज पर अपने कर निर्धारण प्राधिकारी को आवेदन के द्वारा, विकल्प दे सकता है। कर निर्धारण प्राधिकारी, आवेदन में वर्णित तथ्यों का उचित सत्यापन करने के उपरान्त तथा आयुक्त की पूर्वानुमति प्राप्त करने के बाद, नव प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत, पुरानी योजना की शेष पात्र राशि तथा शेष अवधि के लिये छूट का प्रमाणपत्र जारी करेंगे।

वाणिज्यिक कर अधिकारी भिवाड़ी के कार्यालय में देखा गया कि एक औद्योगिक इकाई को 1987 की योजना से 1989 की कर छूट योजना के लिये विकल्प देने की अनुमति 9 सितम्बर 2000 को प्रदान की गई। 1987 की योजना की कर छूट की शेष 3.23 करोड़ रुपये की राशि के बजाय 1989 की योजना के अन्तर्गत 4.31 करोड़ रुपये की पात्र राशि की पुनर्गणना की गई। इसके परिणामस्वरूप 1.08 करोड़ रुपये की अधिक छूट प्रदान कर दी गई जिसमें से इकाई 72.05 लाख रुपये की छूट प्राप्त कर चुकी थी।

2.2.14 कच्चे माल पर अन्तर कर का अनारोपण

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत सरकार ने सितम्बर 1980 में कर मुक्त वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल के क्रय पर चार प्रतिशत की कर दर निर्धारित की। भारत निर्मित विदेशी मदिरा बिक्री कर से मुक्त है। इसके अतिरिक्त यदि किसी व्यवसाई ने कर का भुगतान निर्धारित अवधि में नहीं किया है तो वह उस तिथि, जिस तक उसे कर का भुगतान करना था, से भुगतान किये जाने की तिथि तक समय समय पर निर्धारित दर से ब्याज भुगतान करने का दायी होगा।

दो वाणिज्यिक कर कार्यालयों (विशेष अलवर तथा भिवाड़ी) में देखा गया कि 1999-2000 एवं 2001-02 के मध्य भारत निर्मित विदेशी मदिरा तथा बीयर के सात निर्माणकर्ताओं ने 69.56 करोड़ रुपये मूल्य का प्रासव का कच्चे मामल के रूप में, प्रपत्र एस टी 17 में घोषणापत्रों के समर्थन पर क्रय किया। उक्त खरीद को विक्रेता व्यवसाइयों से प्रति-सत्यापन करने पर देखा गया कि व्यवसाइयों ने निर्धारित चार प्रतिशत की दर के बजाय गलत रूप से तीन प्रतिशत की दर से कर का भुगतान किया था। इन निर्माणकर्ताओं के कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय (अगस्त 2003 एवं मार्च 2004 के मध्य), कर निर्धारण प्राधिकारी भी अन्तर कर तथा उस पर देय अधिभार आरापित करने में असफल रहे। चूक के परिणामस्वरूप कर एवं ब्याज की 1.38 करोड़ रुपये की राशि का आरोपण नहीं हुआ।

यह दर्शाता है कि कर निर्धारण संपूरित करते समय कच्चे माल की खरीद से संबंधित अभिलेखों की जांच उचित रूप से नहीं की गई।

2.2.15 ब्याज का अनारोपण

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत यदि किसी व्यवसाई ने कर का भुगतान निधारित अवधि में नहीं किया है तो, वह उस तिथि, जिस तक उसे कर का भुगतान

करना था, से भुगतान करने की तिथि तक निर्धारित दर से ब्याज भुगतान करने का दायि होगा।

तीन वृत्तों[7] में अभिलेखों की मापक जांच में देखा गया कि तीन मामलों में, 1997-98 से 2001-02 की अवधि से संबंधित कर के विलम्बित भुगतान पर, जिसका भुगतान व्यवसाइयों द्वारा 1999-2000 से 2003-04 में किया गया था, पर 43.84 लाख रुपये की ब्याज की मांगें कायम नहीं की गई थी। विलम्ब एक दिन से 32 माह के मध्य था।

इस ओर ध्यान दिलाये जाने के बाद एक कर निर्धारण प्राधिकारी (विशेष राजस्थान जयपुर) ने मार्च 2005 में 23.65 लाख रुपये के ब्याज की मांग कायम कर दी थी। वसूली की सूचना तथा शेष राशि के संबंध में की गई कार्यवाही प्राप्त नहीं हुई है।

2.2.16 गणना में त्रुटि के कारण कर की कम वसूली

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा भिन्न भिन्न वस्तुओं के कर योग्य व्यापारावर्त पर निर्धारित दर से कर का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार निर्धारित कर की कुल राशि में से व्यवसाई द्वारा जमा अग्रिम कर को घटाने हुए शुद्ध वसूलनीय राशि की गणना की जाती है। बिक्री कर प्रोत्साहन योजनाओं के लाभार्थियों के मामले में, व्यवसाई को उपलब्ध छूट सीमा के विरूद्ध समायोजन के द्वारा आरोप्य कर की वसूली की जाती है।

तीन कार्यालयों[8] के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पता चला कि तीन व्यवसाइयों (छूट योजनाओं के लाभार्थी) के वर्ष 2001-02 के कर निर्धारणों को फरवरी 2004 एवं अप्रैल 2004 के मध्य अंतिम रूप देते समय, कर निर्धारण प्राधिकारी ने गणना में त्रुटि के परिणामस्वरूप उपलब्ध कर छूट सीमा के विरूद्ध 19.97 लाख रुपये का कम समायोजन किया।

2.2.17 निष्कर्ष

- विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बड़ी संख्या में अपात्र इकाइयों को बिक्री कर छूट स्वीकृत की गई।
- इन योजनाओं के अन्तर्गत शर्त के उल्लंघन पर प्रदत्त कर लाभ वापस नहीं लिया गया।
- छूट पर न्यायिक निर्णयों के प्रभाव का भी उचित रूप से अनुश्रवण नहीं किया।

---

[7] प्रति-करापवंचन III जयपुर, प्रति-करापवंचन जोन II जयपुर एवं विशेष वृत्त जयपुर।

[8] वा.क.अ. वृत्त भिवाड़ी, 'बी' मकराना तथा सिरोही।

2.2.18 सिफारिशें

सरकार विचार करे कि

- छूट के लाभ की स्वीकृति जारी करते समय विभाग को, ऐसे लाभ स्वीकृत करने को प्रशासित करने वाले प्रावधानों का ध्यानपूर्वक अनुश्रवण करना चाहिये।
- न्यायिक निर्णय के प्रभाव को लागू करने के लिये उसे सभी कर निर्धारण प्राधिकारियों को प्रचालित करना चाहिये।
- विभिन्न छूट योजनाओं के अन्तर्गत शर्तों के उल्लंघन के सभी मामलों में कर की वसूली हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिये। कर की वसूली करने के लिये प्रणाली को सरल एवं कारगर बनाया जाना चाहिये।
- सूचना एवं संचार तकनीक का उपयोग उचित करारोपण तथा कर के अपवंचन का पता लगाने में किया जाना चाहिये।

उपरोक्त लेखापरीक्षा निष्कर्षों को विभाग एवं सरकार को सूचित किया गया (मई 2005); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जुलाई 2005)।

2.3 खाद्य तेल उद्योगों को अधिक छूट प्रदान करना

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम (के.बि.क.अधिनियम), 1956 के अन्तर्गत राज्य सरकार ने 6 जुलाई 1989 को 'उद्योगों के लिये बिक्री कर नव प्रोत्साहन योजना, 1989' (योजना) अधिसूचित की जिसके अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयों को इस योजना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान किये गये विक्रय पर कर के भुगतान से छूट प्रदान की। इसके अतिरिक्त, 26 जुलाई 1991 से खाद्य तेल निर्माण करने तथा निकालने वाली इकाइयां, नये उद्योगों के मामले में उनके कर दायित्व के 75 प्रतिशत की सीमा तक तथा उनके विस्तार/विविधिकरण के लिये 60 प्रतिशत की सीमा तक, कर से छूट प्राप्त करने की पात्र थी। इसके अतिरिक्त यदि किसी व्यवसाई ने कर का भुगतान निर्धारित दर में नहीं किया है तो वह उस तिथि, जिस तक उसे कर का भुगतान करना था, से भुगतान किये जाने की तिथि तक निर्धारित दर से ब्याज भुगतान करने का दायी होगा।

तीन वाणिज्यिक कर कार्यालयों[9] में सितम्बर 2003 एवं दिसम्बर 2004 के मध्य यह देखा गया कि तीन खाद्य तेल निर्माण तथा निकालने वाली इकाइयां योजना के अन्तर्गत उनके विस्तार/विविधिकरण के लिये छूट की पात्र थी। तथापि इन इकाइयों के वर्ष 2000-01 तथा 2001-02 के कर निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच में पता चला कि

[9] विशेष-III जयपुर, रायसिंहनगर तथा श्रीगंगानगर।

संबंधित वर्षों के कर निर्धारणों को जुलाई 2002 एवं दिसम्बर 2003 के मध्य अंतिम रूप देते समय कर निर्धारण प्राधिकारियों ने उनके कर दायित्व के 60 प्रतिशत के बराबर 69.74 लाख रुपये की अनुज्ञेय छूट के बजाय गलत रूप से उनके कर दायित्व के 75 प्रतिशत की सीमा तक 1.16 करोड़ रुपये की छूट प्रदान कर दी। इसके परिणामस्वरूप कर के 17.43 लाख रुपये तथा ब्याज के 13.86 लाख रुपये की अधिक छूट प्रदान कर दी गई।

इस ओर ध्यान दिलाये जाने के बाद (अक्टूबर 2003 एवं जनवरी 2005 के मध्य) विभाग ने सूचित किया (नवम्बर 2004) कि जयपुर के मामले में ब्याज सहित 9.49 लाख रुपये की मांग कायम की जा चुकी है। वसूली की सूचना तथा शेष दो मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2005)।

मामला जनवरी 2005 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2005)।

2.4 कर से अधिक छूट प्रदान करना

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत सरकार ने 7 अप्रैल 1998 को 'उद्योगों के लिये बिक्री कर छूट योजना 1998' (योजना) अधिसूचित की जिसके अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयों को, इस योजना में निर्धारित रीति, सीमा एवं अवधि के लिये उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान किये गये विक्रय पर कर के भुगतान से छूट प्रदान की। इसके अतिरिक्त, इस योजना के अन्तर्गत इकाई के विस्तार के लिये बिक्री कर से छूट का लाभ केवल संस्थपित क्षमता के 80 प्रतिशत से अधिक के उत्पादन पर ही उपलब्ध होगा।

टौंक में, मई 2004 में देखा गया कि एक खाद्य तेल निर्माण करने वाली औद्योगिक इकाई, जिसकी संस्थापित क्षमता 4,800 मी.ट. थी, 12.23 मी.ट. तेल के विक्रय जो मूल संस्थापित क्षमता का 80 प्रतिशत से अधिक के उत्पादन के बराबर था, पर 7,276 रुपये के कर छूट के लाभ की पात्र थी। तथापि, व्यवसाई के वर्ष 2001-02 के कर निर्धारण को नवम्बर 2003 में अंतिम रूप देते समय कर निर्धारण प्राधिकारी ने संस्थापित क्षमता के 80 प्रतिशत से आगे के उत्पादन के विक्रय पर 7,276 रुपये के बजाये गलत रूप से 3.86 करोड़ रुपये मूल्य के खाद्य तेल के सकल अन्तर्राज्यीय विक्रय पर 7.34 लाख रुपये की छूट प्रदान कर दी। इसके परिणामस्वरूप 3.82 लाख रुपये के ब्याज सहित 7.27 लाख रुपये के कर की अधिक छूट प्रदान कर दी गई।

जुलाई 2004 में इस ओर ध्यान दिलाये जाने के बाद, विभाग ने सूचित किया कि अप्रैल 2005 में ब्याज सहित 11.74 लाख रुपये की मांग कायम की जा चुकी थी। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (जुलाई 2005)।

मामला जनवरी 2005 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2005)।

2.5 लघु श्रेणी की इकाइयों को अधिक छूट प्रदान करना

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत 6 जुलाई 1989 को 'उद्योगों के लिये बिक्री कर नव प्रोत्साहन योजना, 1989' (योजना) अधिसूचित की जिसके अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयों को इस योजना में निर्धारित रीति, सीमा एवं अवधि के लिये उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के राज्य के भीतर तथा अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान किये गये विक्रय पर कर के भुगतान से छूट प्रदान की। इसके अतिरिक्त नई लघु श्रेणी की औद्योगिक इकाइयां जिला स्तरीय छानबीन समिति द्वारा निर्धारित अपनी स्थायी पूंजी विनियोजन के 125 प्रतिशत तथा अपने विस्तार/ विविधिकरण के लिये अपनी स्थायी पूंजी विनियोजन की 100 प्रतिशत की सीमा तक बिक्री कर छूट की अधिकतम मात्रा की पात्र थी।

जयपुर में, अक्टुबर 2004 में देखा गया कि एक विद्यमान लघु श्रेणी की इकाई, जिसका स्थाई पूंजी विनियोजन 40.83 लाख रुपये था, योजना के अन्तर्गत उसके विस्तार/ विविधिकरण के लिये जिला स्तरीय छानबीन समिति द्वारा पात्र मानी गई। तथापि, इकाई के वर्ष 2001-02 के कर निर्धारण जो दिसम्बर 2003 में संपूरित किया गया कि मापक जांच में पता चला कि कर निर्धारण प्राधिकारी ने उनके विस्तार के लिये स्थाई पूंजी विनियोजन के 100 प्रतिशत की अनुज्ञेय छूट के बजाय गलत रूप से स्थाई पूंजी विनियोजन के 125 प्रतिशत के लिये पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर दिया। इसके परिणामस्वरूप 10.21 लाख रुपये की अधिक छूट प्रदान कर दी गई।

चूक विभाग के ध्यान में लाई गई (अक्टूबर 2004) तथा सरकार को प्रतिवेदित (नवम्बर 2004) की गई; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जुलाई 2005)।

2.6 गणना में त्रुटि के कारण अधिक छूट प्रदान करना

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार ने 'उद्योगों के लिये बिक्री कर छूट योजना 1998' (योजना) अधिसूचित की (7 अप्रैल 1998) जिसके अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयों को इस योजना में निर्धारित रीति, सीमा एवं अवधि के लिये उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के राज्य के भीतर तथा अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान किये गये विक्रय पर कर के भुगतान से छूट प्रदान की। इसके अतिरिक्त, वे औद्योगिक इकाइयां जिनका स्थाई पूंजी विनियोजन 1.50 करोड़ रुपये तक है, वे अपनी स्थायी पूंजी विनियोजन के 125 प्रतिशत की सीमा तक बिक्री कर छूट की अधिकतम मात्रा की पात्र थी जैसाकि जिला स्तरीय छानबीन समिति द्वारा निर्धारित किया गया हो।

ब्यावर में यह देखा गया (अक्टूबर 2004) कि एक औद्योगिक इकाई जिसका स्थाई पूंजी विनियोजन 56.43 लाख रुपये था, को जिला स्तरीय छानबीन समिति द्वारा योजना के अन्तर्गत, उनके स्थाई पूंजी विनियोजन के 125 प्रतिशत की सीमा तक छूट के लिये पात्र माना गया। तथापि, इकाई के वर्ष 2001-02 के कर निधारण जो नवम्बर 2003 में संपूरित किया गया, की मापक जांच में पता चला कि कर निर्धारण प्राधिकारी ने स्थाई पूंजी विनियोजन के 125 प्रतिशत की छूट राशि की गणना 70.54 लाख रुपये के बजाय गलत रूप से 77.33 लाख रुपये की। इसके परिणामस्वरूप 6.79 लाख रुपये की अधिक छूट प्रदान कर दी गई।

अक्टूबर 2004 में ध्यान में लाये जाने के बाद, विभाग ने सूचित किया (अक्टुबर 2004) कि इकाई का पात्रता प्रमाणपत्र संशोधित कर दिया गया है तथा छूट की राशि को निर्धारित सीमा तक सीमित कर दिया गया है।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 2004); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2005)।

2.7 छूट की अनियमित स्वीकृति देना

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत सरकार ने 'उद्योगों के लिये राजस्थान बिक्री कर छूट योजना 1998' (1 अप्रैल 1998 से प्रभावी) अधिसूचित की (7 अप्रैल 1998)। योजना में प्रावधान है कि इस योजना के प्रारंभ होने की दिनांक को, एक औद्योगिक इकाई, जिसका प्रोत्साहन योजना 1989 के अन्तर्गत आवेदन पत्र किसी छानबीन समिति के समक्ष विचाराधीन पड़ा हो तो, इस योजना के अनुसार, इस योजना के प्रारंभ होने की दिनांक से 90 दिनों के अन्दर छानबीन समिति के समक्ष नया आवेदन प्रस्तुत कर इस योजना के लिये विकल्प दे सकती है।

श्री गंगानगर में, फरवरी 2005 में यह देखा गया कि एक औद्योगिक इकाई जिसका आवेदन पत्र 1989 की योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन देने हेतु 1 अप्रैल 1998 को विचाराधीन था, को उक्त योजना के अन्तर्गत 3 अप्रैल 1998 से सात वर्ष के लिये 43.43 लाख रुपये का प्रोत्साहन लाभ स्वीकृत कर दिया गया। इकाई ने, 4 सितम्बर 1998 को, 1998 की योजना के अन्तर्गत लाभ हेतु आवेदन किया जिसे उसी दिनांक से 47.81 लाख रुपये के लिये अनुमति दे दी गई। चूंकि 1998 की योजना के अन्तर्गत आवेदन 4 सितम्बर 1998 को योजना के प्रारंभ होने से निर्धारित 90 दिनों के विरूद्ध 156 दिनों के बाद प्रस्तुत किया गया था, अतः 47.81 लाख रुपये की छूट के लाभ की स्वीकृति अनियमित थी।

अनियमितता मार्च 2005 में विभाग के ध्यान में लाई गई तथा अप्रैल 2005 में सरकार को प्रतिवेदित की गई; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जुलाई 2005)।

अध्याय-III: मोटर वाहनों पर कर

3.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2004-05 में लेखापरीक्षा के दौरान परिवहन विभाग के कार्यालयों के अभिलेखों की मापक जांच में 6,274 मामलों में 16.40 करोड़ रुपयों के कर, शुल्क एवं शास्ति की कम वसूली का पता चला, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैः-

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि (करोड़ रुपयों में)
1.	कर, अधिभार, शास्ति, ब्याज एवं प्रशमन शुल्क का भुगतान न करना/कम करना	5,277	9.97
2.	विशेष पथ कर का निर्धारण/संगणना न करना/कम करना	888	6.34
3.	अन्य अनियमिततायें	109	0.09
योग		**6,274**	**16.40**

वर्ष 2004-05 के दौरान विभाग ने 5,573 मामलों में अन्तर्निहित 11.46 करोड़ रुपये के पथ कर, विशेष पथ कर आदि के कम निर्धारण को स्वीकार किया जिनमें से 4.82 करोड़ रुपये के 2,497 मामले वर्ष 2004-05 की लेखापरीक्षा के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। इसके अतिरिक्त विभाग ने वर्ष 2004-05 के दौरान 551 मामलों में 32.52 लाख रुपये वसूल किये जिनमें से 19.69 लाख रुपये के 150 मामले वर्ष 2004-05 से तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों को दर्शाने वाले कुछ निदर्शी मामले जिनमें 7.82 करोड़ रुपये अन्तर्निहित हैं, आगामी अनुच्छेदों में दिये गये हैः-

3.2 शास्ति आरोपित न करना

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1951 (रा.मो.वा.क.अधिनियम), एवं इसके अधीन विरचित नियमों के अन्तर्गत मंजिली वाहनों (नगर पालिका सीमा के अन्तर्गत संचालित वाहनों के अतिरिक्त) के संबंध में एक फ्लीट स्वामी को निर्धारित दर से विशेष पथ कर (वि.प.क.) का भुगतान मासिक अग्रिम रूप से, उस माह जिससे कर संबंधित है, के चौदहवें दिन या उससे पूर्व करना होता है। यदि निर्धारित अवधि में कर का भुगतान नहीं किया जाता है तो दोषी व्यक्ति प्रत्येक माह या उसके किसी भाग के देय कर का 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से शास्ति भुगतान करने का दायी होगा जो देय कर राशि के दुगने से अधिक नहीं होगी।

प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (प्रा.प.का.) जयपुर के अभिलेखों की जाँच से नवम्बर 2004 में उद्घटित हुआ कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (रा.रा.प.प.नि.) द्वारा संचालित मंजिली वाहनों (नगरपालिका सीमा के अन्तर्गत संचालित वाहनों के अतिरिक्त) के संबंध में वि.प.क. अप्रैल 2003 से जनवरी 2004 के दौरान समय समय पर 26.08 करोड़ रुपये का कम भुगतान किया गया। विलम्ब की अवधि एक माह से 10 माह रही। जिसके परिणामस्वरूप 2.73 करोड़ रुपये की राशि की शास्ति आरोपित नहीं की गई।

दिसम्बर 2004 में ध्यान में लाने के बाद विभाग ने मार्च 2005 में बताया कि राज्य सरकार के फरवरी 2004 के निर्णयानुसार 10 माह के कर भुगतान पर दो माह का कर निगम द्वारा प्रदान की गई मुफ्त/रियायती सेवाओं के विरूद्ध समायोजित किया जाना था। रा.रा.प.प.नि. ने 10 माह का कर उसी वित्तीय वर्ष में भुगतान कर दिया था इसलिए शास्ति आरोपणीय नहीं थी। उत्तर स्वीकार योग्य नहीं था क्योंकि 10 माह के कर का पूर्ण एवं नियमित भुगतान पर ही दो माह का कर समायोजन योग्य था। चूंकि, रा.रा.प.प.नि. द्वारा वि.प.क. का नियमित रूप से देय तिथि पर भुगतान नहीं किया गया इसलिए शास्ति आरोपणीय थी।

मामला सरकार को दिसम्बर 2004 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (जुलाई 2005)।

3.3 राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (रा.रा.प.प.नि.) के मंजिली वाहनों के संबंध में विशेष पथ कर की कम वसूली

रा.मो.वा.क. अधिनियम एवं इसके अधीन विरचित नियमों के अन्तर्गत मंजिली वाहनों के संबंध में विशेष पथ कर का भुगतान चेसिस के मूल्य पर आधारित सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर करना होगा। परिवहन आयुक्त को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में वाहन के मूल्य का निर्धारण करना होता है। सरकार द्वारा अगस्त 2003 में जारी अधिसूचना के अनुसार वर्ष 2003-04 का कर वर्ष 2002-03 के कर से अधिक देय नहीं होगा।

प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (प्रा.प.का.) जयपुर में नवम्बर 2004 में पाया गया कि रा.रा.प.प.नि. (एक फ्लीट स्वामी) ने मंजिली वाहनों के संबंध में अप्रैल 2003 से जनवरी

2004 की अवधि में, कर की गणना हेतु वाहनों की चैसिस की कीमत का कम मूल्यांकन करने के कारण वि.प.क. का कम भुगतान किया। चेसिस लागत के अवमूल्यांकन के परिणामस्वरूप वि.प.क. की 2.28 करोड़ रुपये की कम वसूली हुई।

चूक दिसम्बर 2004 में विभाग एवं सरकार के ध्यान में लाई गई उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (जुलाई 2005)।

3.4 संविदा वाहनों के संबंध में विशेष पथ कर की अवसूली/कम वसूली

रा.मो.वा.क.अधिनियम एवं इसके अधीन विरचित नियमों के अन्तर्गत संविदा वाहनों जिनकी बैठक क्षमता चालक एवं परिचालक को छोड़कर 30 से अधिक हो, उनसे चेसिस मूल्य का 36 प्रतिशत की दर से वि.प.क. देय है। कर का भुगतान मासिक अग्रिम रूप से उस माह जिससे कर संबंधित है, के सातवें दिन या उससे पूर्व करना होता है।

प्रा.प.का. जयपुर एवं सीकर में सितम्बर 2004 मे पाया गया कि 31 संविदा वाहनों के स्वामियों द्वारा अप्रैल 2002 तथा मार्च 2004 के मध्य का वि.प.क. या तो भुगतान नहीं किया गया या कम भुगतान किया गया जिसके परिणामस्वरूप 89.42 लाख रुपये के वि.प.क. की अवसूली/कम वसूली हुई।

अक्टूबर 2004 में ध्यान में लाये जाने पर विभाग ने मार्च 2005 तथा जुलाई 2005 के मध्य बताया कि जयपुर तथा सीकर के नौ वाहनों से 15.80 लाख रुपये वसूल कर लिये गये थे। शेष वाहनों से वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई (जुलाई 2005)।

चूक सरकार को नवम्बर 2004 तथा मार्च 2005 के मध्य प्रतिवेदित की गई, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (जुलाई 2005)।

3.5 भार वाहनों के संबंध में मोटर वाहन कर एवं विशेष पथ कर की अवसूली/कम वसूली

रा.मो.वा.क.अधिनियम एवं उसके अधीन विरचित नियमों के अन्तर्गत सभी वाहनों पर, जिनका राज्य में उपयोग किया जाता है अथवा जो उपयोग हेतु रखे जाते हैं, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों से मो.वा.कर. आरोपित एवं संग्रहित किया जायेगा। मो.वा.क. के अतिरिक्त सभी परिवहन वाहनों पर निर्धारित दरों से वि.प.क. भी देय है।

सात जिला परिवहन कार्यालयों (जि.प.का.)[1] में जुलाई 2004 तथा फरवरी 2005, के मध्य पाया गया कि 371 भार वाहनों के स्वामियों द्वारा अप्रैल 2000 तथा मार्च 2004 के मध्य की अवधि का मो.वा.क. तथा वि.प.क. या तो भुगतान नहीं किया गया या कम भुगतान किया गया। विभाग ने भी देय कर वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की। चूक के परिणामस्वरूप 55.11 लाख रुपये की राशि का वि.प.क. अवसूल/कम वसूल रहा।

अगस्त 2004 तथा मार्च 2005 के मध्य ध्यान में लाने पर विभाग ने जुलाई 2005 में बताया कि बाँरा, झुन्झुनू तथा श्रीगंगानगर के 42 वाहनों से 4.93 लाख रुपये वसूल किये जा चुके थे। शेष वाहनों की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (जुलाई 2005)।

चूक सरकार को नवम्बर 2004 तथा मार्च 2005 के मध्य प्रतिवेदित की गई उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (जुलाई 2005)।

3.6 संविदा वाहनों के संबंध में मोटर वाहन कर एवं विशेष पथ कर की अवसूली/कम वसूली

रा.मो.वा.क.अधिनियम एवं इसके अधीन विरचित नियमों के अन्तर्गत संविदा वाहनों पर, जिनकी बैठक क्षमता 10 तक है, मो.वा.क. एवं वि.प.क. त्रैमासिक अग्रिम रूप से उस माह जिससे कर संबंधित है, के 10 वें दिन या उससे पूर्व सरकार द्वारा समय संमय पर निर्धारित दर से देय है।

सात प्रा.प.का./जि.प.का.[2] में मई 2004 तथा दिसम्बर 2004 के मध्य पाया कि 10 तक बैठक क्षमता के 426 संविदा वाहन स्वामियों द्वारा अप्रैल 2001 तथा मार्च 2004 के मध्य की अवधि का मो.वा.क. एवं वि.प.क. या तो भुगतान नहीं किया गया या कम भुगतान किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भी देय कर वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिसके परिणामस्वरूप मोटर वाहन कर एवं विशेष पथ कर की राशि 53.93 लाख रुपये की अवसूली/कम वसूली हुई।

जून 2004 तथा जनवरी 2005 के मध्य त्रुटि ध्यान में लाने पर विभाग द्वारा जुलाई 2005 में बताया कि बाँसवाड़ा, बाँरा तथा जयपुर के 57 वाहनों से 6.69 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी थी। शेष वाहनों की सूचना प्राप्त नहीं हुई (जुलाई 2005)।

चूक सरकार को जनवरी 2005 तथा मार्च 2005 के मध्य प्रतिवेदित की गई, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (जुलाई 2005)।

[1] बाँरा, जयपुर, जालौर, झुन्झुनू, सवाईमाधोपुर, सिरोही तथा श्रीगंगानगर।

[2] बाँसवाड़ा, बाँरा, जयपुर, जालौर, पाली, राजसमन्द तथा सिरोही।

3.7 मंजिली वाहनों से विशेष पथ कर की अवसूली/कम वसूली

रा.मो.वा.क.अधिनियम एवं इसके अधीन विरचित नियमों के अन्तर्गत मंजिली वाहनों के संबंध में वि.प.क. मासिक अग्रम रूप से प्रत्येक माह के सातवें दिन या इससे पूर्व देय है, तथा वाहन स्वामी को प्रत्येक माह के प्रथम 14 दिन तक एक विवरणी प्रस्तुत करनी होती है। यदि कर सही भुगतान नहीं होता है या स्वामी द्वारा विवरणी प्रस्तुत नहीं की जाती है तो कर निर्धारण अधिकारी देय कर की गणना कर राशि वसूल करने की कार्यवाही करेगा।

चार जि.प.का.[3] में जून 2004 तथा फरवरी 2005 के मध्य पाया कि 94 मंजिली वाहनों के स्वामियों द्वारा अप्रैल 2000 तथा मार्च 2004 के मध्य की अवधि का वि.प.क. या तो भुगतान नहीं किया गया या कम भुगतान किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भी देय कर वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिसके परिणामस्वरूप 42.32 लाख रुपये की राशि वि.प.क. में अवसूल/कम वसूल रही।

जुलाई 2004 तथा मार्च 2005 के मध्य ध्यान में लाने पर विभाग ने जुलाई 2005 में बताया कि झुन्झुनू में 5 वाहनों से 1.38 लाख रुपये की राशि वसूल की जा चुकी थी। शेष वाहनों की सूचना प्राप्त नहीं हुई (जुलाई 2005)।

मामला सरकार के ध्यान में मार्च 2005 में लाया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (जुलाई 2005)।

3.8 गैर अस्थाई अनुज्ञापत्रों[4] के बिना रखे गये यात्री वाहनों पर मोटर वाहन कर की अवसूली

रा.मो.वा.क.अधिनियम के अन्तर्गत यात्री वाहन जो गैर-अस्थाई अनुज्ञापत्र से आच्छादित नहीं है, के संबंध में मोटर वाहन कर समय समय पर निर्धारित पूर्ण दर से देय होगा।

तीन प्रा.प.का./जि.प.का.[5] में जुलाई 2004 तथा सितम्बर 2004 के मध्य पाया कि 89 यात्री वाहनों के स्वामियों द्वारा अप्रैल 2002 तथा अप्रैल 2004 के मध्य की अवधियों के लिए मो.वा.क. का भुगतान नहीं किया जबकि इस दौरान वाहन बिना किसी गैर-अस्थाई अनुज्ञापत्रों के रहे। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भी देय कर की वसूली के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिसके परिणामस्वरूप 32.21 लाख रुपये के मो.वा.कर की अवसूली रही।

अगस्त 2004 तथा अक्टुबर 2004 के मध्य ध्यान में लाने पर विभाग ने मार्च 2005 तथा जुलाई 2005 के मध्य बताया कि बीकानेर, जयपुर तथा श्रीगंगानगर के 13 वाहनों के

[3] बूँदी, धोलपुर, झुन्झुनू तथा नागौर।
[4] स्थाई अनुज्ञापत्र।
[5] बीकानेर, जयपुर तथा श्रीगंगानगर।

संबंध में 2.13 लाख रुपये की राशि वसूल हो चुकी थी। शेष वाहनों की सूचना प्राप्त नहीं हुई (जुलाई 2005)।

मामला सरकार को नवम्बर 2004 तथा जनवरी 2005 के मध्य सूचित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जुलाई 2005)।

3.9 अन्य राज्यों के मंजिली वाहनों के संबंध में विशेष पथ कर की अवसूली/कम वसूली

रा.मो.वा.क. अधिनियम एवं इसके अधीन विरचित नियमों के अन्तर्गत अन्य राज्यों के मंजिली वाहनों के संबंध में जो अन्तर्राज्यीय मार्ग पर चलते हैं, वि.प.क. मासिक रूप से प्रत्येक माह के सातवें दिन या इससे पूर्व देय है तथा वाहन स्वामी को उस माह के 14 वें दिन या इससे पूर्व एक विवरणी/घोषणा प्रस्तुत करनी होती है। यदि कर निर्धारण अधिकारी संतुष्ट होता है कि कर सही रूप से जमा नहीं हुआ है अथवा स्वामी ने विवरणी/घोषणा प्रस्तुत नहीं की है तो वह वाहन स्वामी को सुनवाई का उचित अवसर देते हुए देय कर की गणना तथा वसूली करेगा।

शाहजहाँपुर में दिसम्बर 2004 में ध्यान में आया कि जिला परिवहन प्राधिकारी, फरीदाबाद ने नवम्बर 1997 तथा नवम्बर 2002 के मध्य चार मंजिली वाहनों के अनुज्ञापत्र दिल्ली-जयपुर अन्तर्राज्यीय मार्ग पर प्रति दिन एकल सेवा के आधार पर हरियाणा रोड़वेज के फरीदाबाद डिपो के पक्ष में जारी किये थे। इन चार अनुज्ञापत्रों में से जून 1999 में दो अनुज्ञापत्र हरियाणा रोडवेज के दिल्ली डिपो को स्थानान्तरित कर दिये गये। दिल्ली डिपो द्वारा दाखिल विवरणी/चालान की नमूना जांच में उद्घटित हुआ कि उपरोक्त दो अनुज्ञापत्रों का वि.प.क. दिल्ली डिपो द्वारा स्थानान्तरण की तिथि जून 1999 के स्थान पर मई 2002 से जमा किया गया था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भी देय कर की वसूली के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिसके परिणामस्वरूप जून 1999 से अप्रैल 2002 की अवधि के दौरान 8.52 लाख रुपये की वि.प.क. की राशि की अवसूली/कम वसूली रही।

मामला विभाग को जनवरी 2005 में बताया गया तथा सरकार को मार्च 2005 में प्रतिवेदित किया गया। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (जुलाई 2005)।

अध्याय-IV: भू-राजस्व

4.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2004-05 में लेखापरीक्षा के दौरान भू-राजस्व के अभिलेखों की मापक जांच में 4,011 मामलों में 93.71 करोड़ रुपयों के अवनिर्धारण और राजस्व हानि का पता लगा जो मोटे तौर से निम्न श्रेणियों में आते हैं:-

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि (करोड़ रुपयों में)
1.	सरकारी भूमि पर अतिचारियों के मामलों का अनियमितिकरण	1,846	3.86
2.	खातेदारों से रूपान्तरण प्रभारों की अवसूली	419	2.39
3.	केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों/प्रतिष्ठानों से प्रीमियम और किराये की अवसूली	300	66.14
4.	सिंचित/असिंचित/निष्क्रान्त सीलिंग आदि भूमि की कीमत की अवसूली	197	1.58
5.	भूमि की कीमत की अवसूली/कम वसूली	20	0.04
6.	भूमि के पुनः आवंटन नही होने के कारण राजस्व हानि	150	0.06
7.	अन्य अनियमितताएं	1,079	19.64
	कुल योग	**4,011**	**93.71**

वर्ष 2004-05 के दौरान विभाग ने 208 मामलों में अन्तर्निहित 52 लाख रुपये के अवनिर्धारण स्वीकार किये, जिनमें से 2 लाख रुपये के 126 मामले लेखापरीक्षा में वर्ष 2004-05 के दौरान तथा शेष पूर्व के वर्षों में ध्यान में लाये गये। इसके अतिरिक्त विभाग ने वर्ष 2004-05 के दौरान 127 मामलों में 19 लाख रुपये वसूल किये जो पूर्व वर्षों से संबंधित थे।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों को दर्शाने वाले कुछ निदर्शी मामले जिनमें 3.17 करोड़ रुपये अन्तर्निहित हैं, अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं:

4.2 भूमि की कीमत की कम वसूली

सरकार के मार्च 1987 के आदेश के अनुसार केन्द्रीय सरकार के विभागों तथा प्रतिष्ठानों को शहरी क्षेत्र एवं उसकी परिधि (एक कि.मी.) में स्थित सरकारी भूमि का आवंटन आबादी/परिधि क्षेत्र में लागू प्रचलित बाजार दर पर किया जावेगा। यदि आवंटित भूमि का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ था तो ऐसी भूमि की कीमत जिला स्तरीय समिति (डी.एल.सी.) द्वारा अनुमोदित वाणिज्यिक दर से वसूल की जायेगी।

4.2.1 तहसील कुशलगढ़ (जिला बाँसवाड़ा) में जुलाई 2004 में पाया गया कि कुशलगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के एक कि.मी. के घेरे में स्थित 3,48,480 वर्ग फीट (20 बीघा) माप की सरकारी कृषि भूमि, मोर गाँव में गोदाम स्थापित करने हेतु केन्द्रीय भण्डार निगम, बहरोड़ (वाणिज्यिक संस्थान) को अगस्त 2003 में आवंटित की गई थी। भूमि की कीमत प्रचलित वाणिज्यिक दर के स्थान पर कृषि भूमि पर लगने वाली दर से वसूल की गई। इस प्रकार भूमि की कीमत 1.39 करोड़ रुपये की गणना के विरूद्ध 1.50 लाख रुपये वसूल की गई। भूमि के अवमूल्यांकन के परिणामस्वरूप 1.38 करोड़ रुपये की कम वसूली हुई।

मार्च 2005 में ध्यान दिलाने पर विभाग ने मई 2005 में बताया कि आवंटित भूमि नगर पालिका के परिधि क्षेत्र से 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित थी अतः ग्रामीण क्षेत्र के लिये निर्धारित डी.एल.सी. दर के अनुसार कीमत वसूल की गई। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि तहसीलदार कुशलगढ़ के अभिलेखों (जुलाई 2004) के अनुसार मोर ग्राम जिसमें भूमि स्थित है परिधि क्षेत्र के एक कि.मी. में है अतः इस प्रकरण में भूमि की वाणिज्यिक दर लागू होनी थी।

मामला सरकार को सूचित किया गया (अप्रैल 2005); उनका जवाब प्राप्त नहीं हुआ (जुलाई 2005)।

4.2.2 तहसील रामगंजमण्डी (जिला कोटा) में अगस्त 2004 में यह पाया गया कि 19.59 हैक्टेयर माप की सरकारी भूमि फरवरी 2003 में रामगंजमण्डी-भोपाल रेल मार्ग बिछाने हेतु भूमि की कीमत वसूलने पर रेलवे विभाग को आवंटित की गई। 19.59 हैक्टेयर में से 0.7908 हैक्टेयर (85,090 वर्ग फीट) माप की भूमि रामगंजमण्डी (रांसोली ग्राम) के शहरी क्षेत्र में थी एवं उसकी कीमत वाणिज्यिक दर से वसूलनीय थी जबकि वसूली आबादी दर से की गई। गलती के परिणामस्वरूप 59.56 लाख रुपये की कम वसूली हुई।

मामला सितम्बर 2004 में विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को सूचित किया गया (अप्रैल 2005); उनके जवाब प्राप्त नहीं हुए (जुलाई 2005)।

4.3 रूपान्तरण प्रभारों की अवसूली

सरकार के आदेश दिनांक 2 मार्च 1987 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के विभागों, निगमों तथा प्रतिष्ठानों को गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु राजकीय कृषि भूमि का ग्रामीण क्षेत्रों में आवंटन होने पर कृषि भूमि का प्रचलित बाजार मूल्य के साथ वार्षिक भू-राजस्व का 40 गुणा बतौर पूंजीगत मूल्य तथा रूपान्तरण प्रभार वसूलनीय था।

तीन तहसीलों में मई 2004 एवं अगस्त 2004 के मध्य यह पाया गया कि रेलवे को जनवरी 2003 एवं अक्टूबर 2003 के मध्य 50.6655 हैक्टेयर माप की राजकीय भूमि आवंटित की गई थी। कृषि भूमि का प्रचलित बाजार मूल्य तथा पूंजीगत मूल्य वसूल किया गया तथापि भूमि पर वसूलनीय रूपान्तरण प्रभारों की वसूली नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप 98 लाख रुपये की अवसूली रही, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	तहसील का नाम	भूमि आवंटन की अवधि	भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	रूपान्तरण प्रभार (लाख रुपयों में)
1.	कोलायत (बीकानेर)	मार्च 2003	25.4640	50.79
2.	फलौदी (जोधपुर)	जनवरी 2003 एवं अक्टूबर 2003	6.5235	16.82
3.	रामगंजमण्डी (कोटा)	फरवरी 2003	18.6780	30.39
	योग		**50.6655**	**98.00**

जून 2004 एवं सितम्बर 2004 के मध्य ध्यान दिलाने पर विभाग ने जून 2005 एवं जुलाई 2005 के मध्य बताया कि संबंधित कलक्टरों को मांग कायम करने तथा राशि की वसूली के निर्देश दिये गये हैं।

सरकार जिसे मामला मार्च 2005 एवं मई 2005 के मध्य सूचित किया गया, ने जून 2005 एवं जुलाई 2005 के मध्य कोलायत एवं फलौदी के संबंध में विभाग के उत्तर की पुष्टि की। तथापि, रामगंजमण्डी के प्रकरण में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जुलाई 2005)।

4.4 जुर्माने की कम वसूली

राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि का अकृषि भूमि में रूपान्तरण) नियम, 1961 (नियम) के अनुसार राज्य सरकार की बिना पूर्व अनुमति कृषि भूमि का उपयोग फैक्ट्री या मील के निर्माण अथवा लघु श्रेणी उद्योग या पर्यटन इकाई स्थापित करने पर कलक्टर ऐसे रूपान्तरण के प्रकरणों को नियमित कर सकता है। नियम में आगे प्रावधान है कि ऐसे प्रकरणों में नियमितिकरण जुर्माने के भुगतान पर किया जा सकता है जिसकी गणना भूमि के शहरी क्षेत्र में स्थित होने पर पड़ोस की भूमि की प्रचलित उच्चतम बाजार कीमत के पांच गुणा से कम न हो कि दर पर की जायेगी।

तहसील वल्लभ नगर (जिला उदयपुर) में फरवरी 2005 में यह पाया गया कि उदयपुर में 2,377 वर्ग मीटर माप की खातेदारी भूमि[1] पर बिना पूर्व अनुमति के रिसोर्ट का निर्माण किया गया। तथापि, जिला कलक्टर उदयपुर द्वारा जुलाई 2000 में प्रचलित बाजार कीमत के पांच गुना राशि 19.18 लाख रुपये के स्थान पर भूमि की कीमत की एक गुना राशि 3.84 लाख रुपये के भुगतान पर उक्त उपयोग हेतु रूपान्तरण का नियमन किया गया। गलती के परिणामस्वरूप 15.34 लाख रुपये की कम वसूली हुई।

लेखापरीक्षा में ध्यान दिलाये जाने पर (मार्च 2005) विभाग ने आक्षेप अस्वीकार करते हुए बताया (जुलाई 2005) कि चूंकि टूस डॉगियान ग्राम तहसील वल्लभ नगर में है अतः नगरपालिका क्षेत्र में नहीं आने से उच्च दर पर कीमत नहीं ली जानी है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जून 1983 एवं तदुपरान्त अप्रैल 1999 में जारी अधिसूचना के अनुसार ग्राम टूस डॉगियान उदयपुर शहरी क्षेत्र के पैराफेरी में सम्मिलित है।

मामला सरकार को सूचित किया गया (अप्रैल 2005); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जुलाई 2005)।

4.5 सरकारी भूमि की कीमत की कम वसूली

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन तथा विक्रय) नियम, 1975 में बताया गया है कि पच्चीस हजार या अधिक किन्तु पचास हजार से कम की जनसंख्या वाले नगरपालिका क्षेत्र की 3 कि.मी. परिधि के भीतर स्थित सरकारी भूमि की कीमत का निर्धारण उक्त क्षेत्र की उसी किस्म की भूमि की निर्धारित आरक्षित दर की दुगुनी के चार गुणा पर किया जाना चाहिये। राज्य सरकार की अधिसूचना (अप्रैल 2001) से दरों में वृद्धि की गई।

तहसील रावतसर में सितम्बर 2004 में यह पाया गया कि चार प्रकरणों में 10.21 बीघा[2] माप की सरकारी भूमि के छोटे टुकड़े जो 28,387 की जनसंख्या वाले रावतसर नगरपालिका के 3 कि.मी. के परिधि क्षेत्र के भीतर स्थित थे सितम्बर 2001 एवं नवम्बर 2002 के मध्य कृषकों को आवंटित किये गये। छोटे टुकड़ों की भूमि की कीमत संशोधित दरों, जैसा कि नियमों में निर्धारित है, के आधार पर 7.90 लाख रुपये के स्थान पर 2.05 लाख रुपये निर्धारित की गई। गलती के परिणामस्वरूप भूमि की कीमत के राशि 5.85 लाख रुपये की कम वसूली हुई।

अक्टूबर 2004 में ध्यान दिलाने पर विभाग ने जुलाई 2005 में बताया कि 5.85 लाख रुपयों की मांग कायमी राजस्व लेखों में कर ली गई है।

सरकार ने जिसे मामला अप्रैल 2005 में सूचित किया था, विभाग के उत्तर की पुष्टि की (जुलाई 2005)।

[1] किसी व्यक्ति द्वारा धारित भूमि जिस पर उसे सरकार से अभिधारण अधिकार प्राप्त है खातेदारी भूमि कहलाती है।

[2] 6.00 बीघा अनकमान्ड एवं 4.21 बीघा नहरी।

अध्याय-V: मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

5.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2004-05 में लेखापरीक्षा के दौरान पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के अभिलेखों की मापक जांच मे 2,495 मामलों में 12.10 करोड़ रुपयों के मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की कम वसूली का पता लगा, जो मोटे तौर से निम्न श्रेणियों में आते हैं:-

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि (करोड़ रुपयों में)
1.	प्रलेखों का गलत वर्गीकरण	647	8.76
2.	सम्पत्तियों का कम मूल्यांकन	1,715	3.08
3.	अन्य अनियमितताएं	133	0.26
योग		**2,495**	**12.10**

वर्ष 2004-05 के दौरान विभाग ने 854 मामलों में अन्तर्निहित राशि 2.27 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण स्वीकार किये, जिनमें से राशि 1.90 करोड़ रुपये के 523 मामले वर्ष 2004-05 के दौरान ध्यान में लाये गये थे तथा शेष पूर्व वर्षों में। इसके अतिरिक्त, विभाग ने वर्ष 2004-05 के दौरान 220 मामलों में 13.85 लाख रुपये वसूल किये, जिनमें दो मामले राशि 0.29 लाख रुपये के वर्ष 2004-05 से संबंधित थे तथा शेष पूर्व वर्षों से।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों को दर्शाने वाले कुछ निदर्शी मामले जिनमें राशि 5.20 करोड़ रुपये अन्तर्निहित हैं, आगामी अनुच्छेदों में दिये गये हैं:

5.2 सम्पत्ति के अवमूल्यांकन के कारण मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण

5.2.1 राजस्थान मुद्रांक विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 के अनुसार मुद्रांक कर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर वसूल किया जावेगा। राजस्थान मुद्रांक नियम, 1955 में प्रावधान है कि सम्पत्ति के बाजार मूल्य का निर्धारण जिला स्तरीय समिति (डी.एल.सी.) द्वारा अनुशंसित दरों या महानिरीक्षक, मुद्रांक द्वारा अनुमोदित दरों में जो भी उच्चतम हो, के आधार पर किया जावेगा।

सात उप पंजीयक कार्यालयों (एस.आर.ओ.) में अक्टूबर 2004 एवं जनवरी 2005 के मध्य पाया गया कि व्यावसायिक/आवासीय भूखण्डों एवं कृषि भूमि से संबंधित हस्तान्तरण पत्रों (मई 2001 एवं अक्टूबर 2003 के मध्य पंजीकृत) के 16 मामलों में सम्पत्ति की कीमत का निर्धारण या तो व्यावसायिक भूमि के स्थान पर आवासीय भूमि की दरों से अथवा डी.एल.सी. द्वारा अनुमोदित दरों से कम दरों पर किया गया। इसके परिणामस्वरूप तालिका में दर्शाये विवरणानुसार कुल 3.11 करोड़ रुपये के मुद्रांक कर और पंजीयन शुल्क का कम आरोपण हुआ:-

(लाख रुपयों में)

उप पंजीयक कार्यालय का नाम	प्रकरणों की संख्या	सम्पत्ति की प्रकृति	डी.एल.सी. दर के अनुसार सम्पत्ति का बाजार मूल्य	आंकी गई कीमत	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क		कम प्रभारित मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क
					वसूली योग्य	वसूल किया गया	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
सीकर	1	आवासीय	110.03	13.20	12.35	1.58	10.77
नाथद्वारा (राजसमंद)	5	कृषि/ वाणिज्यिक	100.91	45.98	11.94	6.86	5.08
महुआ (दौसा)	4	वाणिज्यिक	449.64	43.53	50.46	5.22	45.24
केकड़ी (अजमेर)	1	वाणिज्यिक	59.28	10.00	6.77	1.20	5.57
गंगरार (चित्तोड़गढ़)	2	वाणिज्यिक	580.93	33.44	64.37	4.01	60.36
दूदू (जयपुर)	2	वाणिज्यिक	1,601.74	37.27	176.69	4.47	172.22
सिन्धरी (बाड़मेर)	1	वाणिज्यिक	131.40	24.30	14.70	2.91	11.79
योग	16						311.03

नवम्बर 2004 एवं फरवरी 2005 के मध्य ध्यान दिलाने पर विभाग द्वारा दूदू के प्रकरण में मई 2005 को बताया कि विक्रय विलेख के पंजीयन के समय भूमि कृषि उद्देश्य के लिये उपयोग में आ रही थी इसलिये कृषि दर पर मुद्रांक कर की वसूली की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भूमि एक तेल कंपनी द्वारा क्रय की गई थी एवं जुलाई 2003 में जारी परिपत्र के अनुसार यदि भूमि को भविष्य में व्यावसायिक प्रयोजन हेतु उपयोग में लिया जाना था तो मुद्रांक कर की वसूली के लिये भूमि की कीमत

व्यावसायिक दर पर आधारित होगी। एस.आर.ओ., गंगरार के प्रकरण में जून 2005 में बताया गया कि प्रकरण वित्त विभाग के पास विचाराधीन है एवं एस.आर.ओ., सीकर एवं महुआ द्वारा प्रकरण कलक्टर (मुद्रांक) को अधिनिर्णय हेतु भेज दिये गये। शेष मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए (जुलाई 2005)।

मामले सरकार को दिसम्बर 2004 एवं अप्रैल 2005 के मध्य प्रतिवेदित किये गये; जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (जुलाई 2005)।

5.2.2 राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 2002 में जारी स्पष्टीकरण के अनुसार भूमि संपरिवर्तन शुल्क की वसूली हेतु निजी शैक्षणिक संस्थाओं को वाणिज्यिक संस्थाऐं माना जाना है।

तीन उप पंजीयक कार्यालयों में जुलाई 2004 एवं जनवरी 2005 के मध्य पाया गया कि उक्त स्पष्टीकरण के विरूद्ध शैक्षणिक संस्थाओं के पक्ष में जनवरी 2003 एवं मई 2003 के मध्य पंजीकृत विलेखों में वर्णित भूमि की कीमत व्यावसायिक दर के स्थान पर कृषि दर से निर्धारित की गई। गलती के परिणामस्वरूप नीचे दर्शाये अनुसार 66.11 लाख रुपये के मुद्रांक कर और पंजीयन शुल्क का कम आरोपण हुआः-

(लाख रुपयों में)

उप पंजीयक कार्यालय का नाम	संस्था जिसे भूमि विक्रय की गई	व्यावसायिक दर के आधार पर बाजार मूल्य	आंकी गई कीमत	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क		कम प्रभारित मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क
				वसूली योग्य	वसूल किया गया	
अलवर	पब्लिक रोज शिक्षा समिति, अलवर	236.46	17.05	26.26	2.05	24.21
झुन्झुनू	इस्लामिया अरबिया अनवारुलउलूम (स्कूल) झुन्झुनू	74.87	2.25	8.49	0.27	8.22
वजीरपुर (सवाई-माधोपुर)	निजी शैक्षणिक संस्था	307.95	3.73	34.13	0.45	33.68
योग						**66.11**

अगस्त 2004 एवं फरवरी 2005 के मध्य ध्यान दिलाने पर विभाग ने मई 2005 में बताया कि अलवर का प्रकरण अधिनिर्णय के लिये कलक्टर (मुद्रांक) के यहाँ दर्ज कराया गया है। झुन्झुनू के प्रकरण में आक्षेप को स्वीकार नहीं करते हुए विभाग ने बताया (मई 2005) कि क्रय की गई भूमि दस्तावेज के निष्पादन के समय कृषि भूमि थी एवं मामले में भूमि संपरिवर्तन शुल्क का वाणिज्यिक दर से मूल्यांकन करने की शर्त की पूर्ती नहीं होती। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भूमि का क्रय उसी निजी शैक्षणिक संस्था द्वारा किया गया था जिससे भूमि सटती हुई है अतः संपरिवर्तन शुल्क के लिये भूमि की कीमत का निर्धारण व्यावसायिक दर से होना चाहिये था। अन्य मामले में जवाब प्राप्त नहीं हुआ (जुलाई 2005)।

मामले सरकार को जनवरी 2005 एवं मार्च 2005 के मध्य सूचित किये गये; जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (जुलाई 2005)।

5.2.3 महानिरीक्षक, मुद्रांक द्वारा अक्टूबर 1999 में जारी निर्देशों के अनुसरण में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको) क्षेत्र में स्थित भूमि का मूल्यांकन रीको की दर से किया जाना चाहिये, जबकि रीको क्षेत्र से बाहर स्थित भूमि के मामले में डी.एल.सी. द्वारा निर्धारित औद्योगिक दर से भूमि का मूल्यांकन किया जाना चाहिये। इन दरों के अभाव में पास के रीको क्षेत्र की प्रचलित आरक्षित दर को लागू किया जावे।

उप पंजीयक कार्यालय, दूदू (जिला जयपुर) में नवम्बर 2004 में यह पाया गया कि 43.125 बीघा (1,14,133.76 वर्ग मीटर) माप की कृषि भूमि 10 विक्रय पत्रों, जिनका पंजीयन मई एवं नवम्बर 2002 के मध्य हुआ, के माध्यम से कृषि दर से 40.61 लाख रुपये के मूल्यांकन पर एक कंपनी को विक्रय की गई जिस पर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क के 4.87 लाख रुपये वसूल किये गये।

चूंकि भूमि का क्रय नेशनल हाइवे संख्या आठ पर छः लाइन की सड़क निर्माण हेतु प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिये किया गया था अतः भूमि का मूल्यांकन डी.एल.सी. दर के अभाव में पास के रीको क्षेत्र की दर से किया जाना चाहिये था। भूमि की कीमत 1.43 करोड़ रुपये निरूपित करते हुये मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क के 17.12 लाख रुपये वसूली योग्य थे। भूमि के बाजार मूल्य की गलत संगणना के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क के 12.25 लाख रुपये का कम आरोपण किया गया।

नवम्बर 2004 को विभाग के तथा जनवरी 2005 में सरकार के ध्यान में लाया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (जुलाई 2005)।

5.3 पट्टा विलेखों पर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण

5.3.1 राजस्थान मुद्रांक विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 के अनुसार 20 वर्ष से अधिक अवधि का नहीं होने पर पट्टे पर मुद्रांक कर दो वर्ष के औसत किराये के प्रतिफल के बराबर की राशि पर प्रभार्य होगा। तथापि, जहाँ पट्टा 20 वर्ष से अधिक अवधि का है मुद्रांक कर, जैसा कि हस्तान्तरण विलेख पर लगता है, सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर आरोपणीय है। लीज की अवधि में केवल दस्तावेज में दी गई अवधि ही सम्मिलित नहीं होती बल्कि इस अवधि में पूर्व की समस्त अवधि जो उन्हीं पट्टादाता एवं पट्टागृहिता की हो और उस अवधि में कोई अवरोध नहीं हो, भी सम्मिलित की जावेगी। साथ ही राजस्थान मुद्रांक नियम, 1955 के अनुसार डी.एल.सी. द्वारा अनुशंसित दरों या महानिरीक्षक, मुद्रांक द्वारा अनुमोदित दरों में से जो भी अधिक हो, के आधार पर भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण किया जावेगा।

पांच उप पंजीयक कार्यालयों में जून 2004 एवं जनवरी 2005 के मध्य यह पाया गया कि 20 वर्ष से अधिक की अवधि के पट्टा विलेखों के प्रकरण में जो अगस्त 2002 एवं दिसम्बर 2003 के मध्य पंजीकृत हुए थे पर मुद्रांक कर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तान्तरण विलेख की तरह वसूल नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप तालिका में दिये विवरणानुसार मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की कुल 1 करोड़ रुपये की हानि हुईः

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	उप पंजीयक कार्यालय का नाम	पट्टाधारक का नाम	बाजार मूल्य	आंकी गई कीमत	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क		कम प्रभारित मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क
					वसूली योग्य	वसूल किया गया	
1.	नाथद्वारा	भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन	448.87	9.34	49.63	1.12	48.51
2.	उदयपुर-I	इलाहाबाद बैंक	145.26	40.43	16.23	1.06	15.17
3.	बाली	मै.गोपीचन्द रोशनलाल पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	43.04	0.72	4.98	0.09	4.89
4.	भीलवाड़ा	नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी	38.27	1.15	4.46	0.03	4.43
5.	उदयपुर-II	श्री निम्बार्क शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय	249.00	1.20	27.64	0.14	27.50
	योग						**100.50**

जुलाई 2004 एवं मार्च 2005 के मध्य ध्यान दिलाने पर विभाग ने बाली एवं भीलवाड़ा के संबंध में बताया (मई 2005) कि प्रकरणों को अधिनिर्णय हेतु कलक्टर (मुद्रांक) के यहाँ दर्ज कराया गया है। शेष मामलों में जवाब प्राप्त नहीं हुए (जुलाई 2005)।

मामले सरकार को जनवरी 2005 एवं मार्च 2005 के मध्य प्रतिवेदित किये गये; जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (जुलाई 2005)।

- उप पंजीयक कार्यालय, श्री डूंगरगढ़ (बीकानेर) में यह पाया गया (जून 2004) कि 3.50 बीघा (8,840 व.मी.) माप के एक भूखण्ड का पट्टा विलेख सेसोमू शैक्षणिक सोसाइटी के पक्ष में स्कूल चलाने हेतु 30 वर्ष (जनवरी 2003 से दिसम्बर 2032) के लिये फरवरी 2003 में पंजीकृत हुआ। भूमि का मूल्यांकन कृषि दर से किया गया तथा मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क के 0.40 लाख रुपये वसूल किये गये। भूमि को 20 वर्ष से अधिक अवधि के लिये पट्टे पर निजी शैक्षणिक संस्था को स्कूल चलाने के लिये दिया गया था इसलिये भूमि का मूल्यांकन व्यावसायिक दर से 79.56 लाख रुपये निर्धारित किया जाना था जिस पर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क के 9 लाख रुपये वसूली योग्य थे। परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की कुल 8.60 लाख रुपये की कम वसूली हुई।

जून 2004 में ध्यान दिलाने पर विभाग ने जून 2005 में बताया कि प्रकरण अधिनिर्णय हेतु कलक्टर (मुद्रांक) के यहाँ दर्ज कराया गया है।

मामला दिसम्बर 2004 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया; जिसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जुलाई 2005)।

5.3.2 राजस्थान मुद्रांक विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अन्तर्गत समर्पण के जरिये पट्टे का हस्तान्तरण करने पर मुद्रांक कर हस्तांतरित सम्पत्ति के बाजार मूल्य के बराबर प्रतिफल की राशि पर लिया जावेगा। साथ ही महानिरीक्षक मुद्रांक, अजमेर द्वारा अक्टूबर 1999 में जारी परिपत्र के अनुसार अन्य बातों के साथ किसी फर्म का विधिक स्वरूप बदलने या भागीदार बदलने या भागीदारी विघटन होने पर पूरक दस्तावेज के नाम से दस्तावेज निष्पादित करवाया जाता है तो वह "ट्रान्सफर आफ लीज बाई वे ऑफ असाइनमेंट" की श्रेणी में आयेगा।

उप पंजीयक, आमेर (जयपुर) में अक्टूबर 2004 में पाया गया कि रीको द्वारा नवम्बर 2000 में औद्योगिक क्षेत्र कूकस (जयपुर) में 23,814 वर्ग मीटर माप का एक औद्योगिक भूखण्ड 72.91 लाख रुपये के प्रतिफल पर एक औद्योगिक इकाई को आवंटित किया गया। पट्टा इकरारनामा 30 जुलाई 2003 को पंजीकृत हुआ। तत्पश्चात रीको द्वारा औद्योगिक इकाई का नाम बदलने के साथ ही बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स की संख्या पाँच से कम करके दो करने की स्वीकृति प्रदान की। शुद्धि पत्र दिसम्बर 2003 में पंजीकृत हुआ तथा उस पर मुद्रांक कर के 100 रुपये और पंजीयन शुल्क के 150 रुपये प्रभारित किये गये। नई फर्म द्वारा रीको को प्रस्तुत आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन में फर्म के नाम में परिवर्तन के साथ साथ बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स के विधिक स्वरूप में परिवर्तन का उल्लेख किया गया है अतः अनुवर्ती दस्तावेज 'ट्रान्सफर आफ लीज बाई वे ऑफ असाइनमेंट' के रूप में वर्गीकृत कर मुद्रांक कर की वसूली हेतु सम्पत्ति का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर अपेक्षित था। इस प्रकार 1.31 करोड़ रुपये के बाजार मूल्य पर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क के 14.65 लाख रुपये की गणना होगी। "ट्रान्सफर आफ लीज बाई वे ऑफ असाइनमेंट" को शुद्धि पत्र मानने की गलती के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क के 14.65 लाख रुपये की हानि हुई।

नवम्बर 2004 में ध्यान दिलाने पर विभाग ने मार्च 2005 को बताया कि प्रकरण को अधिनिर्णय हेतु कलक्टर (मुद्रांक) के यहाँ दर्ज कराया गया है। अग्रिम प्रगति प्राप्त नहीं हुई।

प्रकरण जनवरी 2005 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया; उनका जवाब प्राप्त नहीं हुआ (जुलाई 2005)।

5.4 पट्टा विलेखों का पंजीयन नहीं होना

पंजीयन अधिनियम, 1908 के अनुसार एक वर्ष से अधिक अवधि के अचल सम्पत्ति के पट्टे अनिवार्य रूप से पंजीयन किये जाने हैं। जहाँ पट्टा 20 वर्ष की अवधि या अधिक अथवा जहाँ समयावधि का उल्लेख नहीं हो, मुद्रांक कर हस्तान्तरण विलेख के समान सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर आरोपणीय होगा।

उप पंजीयक, राजसमन्द एवं नाथद्वारा में नवम्बर 2004 में यह पाया गया कि चार प्रकरणों में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को जून एवं जुलाई 2002 के मध्य 99 वर्ष के पट्टे पर 58.20 लाख रुपये मूल्य की भूमि आवंटित की गई, परन्तु इन प्रकरणों में निगम द्वारा पंजीयन के लिये पट्टे प्रस्तुत नहीं किये। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क के 6.98 लाख रुपये की अवसूली रही।

दिसम्बर 2004 में ध्यान दिलाने पर विभाग ने मई 2005 में संबंधित पक्षों को राशि की प्रभावी वसूली हेतु दस्तावेजों को मंगाने के आदेश दिये।

प्रकरण दिसम्बर 2004 को सरकार को सूचित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जुलाई 2005)।

अध्याय-VI: राज्य उत्पाद शुल्क

6.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2004-05 के दौरान राज्य उत्पाद शुल्क कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में की गई मापक जांच से 195 मामलों में 21.47 करोड रूपये के आबकारी राजस्व की अवसूली/कम वसूली का पता चला जो मोटे तौर पर निम्न वर्गों में आते है:-

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि (करोड़ रूपयों में)
1.	उत्पाद शुल्क एवं अनुज्ञा शुल्क की कम वसूली/ अवसूली	21	1.04
2.	मदिरा की अधिक क्षति से उत्पाद शुल्क की हानि	10	0.02
3.	अन्य अनियमिततायें	164	20.41
	योग	**195**	**21.47**

वर्ष 2004-05 के दौरान विभाग ने 38 मामलों में अन्तर्निहित 7.46 करोड़ रूपये की कम वसूली इत्यादि स्वीकार की जिनमें से 5.15 करोड़ रूपये के 25 मामले लेखापरीक्षा में वर्ष 2004-05 के दौरान तथा शेष पूर्व के वर्षों में बताये गये थे। विभाग ने 44 मामलों में 1.16 करोड़ रूपये की वसूली की जिनमें से 10.11 लाख रूपये के 12 मामले लेखापरीक्षा में वर्ष 2004-05 के दौरान तथा शेष पूर्व के वर्षों में बताये गये थे।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभियुक्तियों के कुछ उदाहरणात्मक मामले जिनमें 1.15 करोड़ रूपये की राशि सन्निहित है, अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं:-

6.2 स्टॉक स्थानान्तरण शुल्क की अवसूली

राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के अन्तर्गत प्रावधान है कि भारत निर्मित विदेशी मदिरा (भा.नि.वि.म.)/बीयर एवं चिरे हुए डोडा पोस्त (एल.पी.एच.) के अंतिम स्टॉक के एक अनुज्ञाधारी से दूसरे अनुज्ञाधारी को स्थानांतरण की दशा में स्टॉक स्थानान्तरण शुल्क क्रमशः 4 रुपये प्रति बल्क लीटर (बी.एल.) एवं 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रभार्य होगी।

तीन जिला आबकारी कार्यालयों[1] में दिसम्बर 2004 एवं मार्च 2005 के मध्य देखा गया कि ठेका अवधि 2002-03 एवं 2003-04 के अन्त में भा.नि.वि.म. 3,69,902.04 बी.एल., बीयर 53,421.4 बी.एल. एवं 21,978.97 क्विंटल एल पी एच का अंतिम स्टॉक आगामी वर्षों के अनुज्ञाधारियों को स्थानान्तरित किया गया तथापि जिला आबकारी अधिकारियों (जि.आ.अ.) के द्वारा उक्त स्थानान्तर पर देय स्टॉक स्थानान्तरण शुल्क एल.पी.एच.पर राशि 43.96 लाख रुपये एवं भा.नि.वि.म./बीयर के 16.93 लाख रुपये वसूल नहीं किये गये जिसके फलस्वरूप स्टॉक स्थानान्तरण शुल्क के 60.89 लाख रुपये की अवसूली हुई।

यह ध्यान दिलाये जाने पर आबकारी आयुक्त ने मई एवं जुलाई 2005 में बताया कि बाड़मेर एवं चित्तोड़गढ़ के अनुज्ञाधारियों से 19.98 लाख रुपये की मांग कायमी कर वसूली कर ली गई। आगे यह भी बताया कि सिरोही एवं चित्तोड़गढ़ के बारे में 40.92 लाख रुपये वसूली योग्य नही हैं क्योंकि उन्हीं अनुज्ञाधारियों को ही अनुज्ञप्तियां स्वीकृत की गई थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रत्येक वर्ष के लिए अलग से निविदाएं आमंत्रित कर अनुज्ञप्तियां स्वीकृत की गई थी। इस प्रकार अनुज्ञप्तियां एक दूसरे से अलग थी इसके अतिरिक्त समान अनुज्ञप्तिधारी से बाड़मेर में वसूली भी की गई।

सरकार ने जुलाई 2005 में विभाग के उत्तर की पुष्टि की।

6.3 उत्पाद शुल्क की कम वसूली

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (अधिनियम) के अन्तर्गत जारी सरकारी अधिसूचना में 1 अप्रैल 1999 से भा.नि.वि.म. पर 100 रुपये प्रति लन्दन प्रुफ लीटर (एल.पी.एल.) की दर से उत्पाद शुल्क देय है। सरकार ने (अप्रैल 2003) हेरिटेज मदिरा को भा.नि.वि.म. घोषित किया। आयुक्त ने 1 अप्रैल 2003 से सोमरस को हेरीटेज मदिरा घोषित किया।

4 जिला आबकारी कार्यालयों[2] में जुलाई 2004 एवं मार्च 2005 के मध्य देखा गया कि बहरोड़ (अलवर) के एक निर्माता से, भा.नि.वि.म. थोक विक्रय अनुज्ञाधारियों ने जुलाई

[1] बाड़मेर, चित्तोड़गढ़ एवं सिरोही।
[2] अलवर, चित्तोड़गढ़, सीकर एवं श्रीगंगानगर।

2003 एवं दिसम्बर 2003 के मध्य 79,200 बी.एल. (47,520 एल.पी.एल.) 'सोमरस मदिरा' खरीदी। इस मदिरा पर गलती से 50 रुपये प्रति एल.पी.एल. की दर से उत्पाद शुल्क लगाया गया। हेरीटेज मदिरा को 1 अंप्रैल 2003 से भा.नि.वि.म. घोषित किया जा चुका था अतः उत्पाद शुल्क गलत दर से लगाने के परिणामस्वरूप राशि 23.76 लाख रुपये के उत्पाद शुल्क की कम वसूली हुई।

जुलाई 2004 एवं मार्च 2005 के मध्य यह ध्यान दिलाये जाने पर विभाग ने मई 2005 में बताया कि हेरिटेज मदिरा पर 50 रुपये प्रति एल.पी.एल. की दर से जो उत्पाद शुल्क वसूल किया गया वह नियमानुसार है। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि हेरिटेज मदिरा को 1 अप्रैल 2003 से भा.न.वि.म. की श्रेणी में रखा गया इस लिए हेरिटेज मदिरा पर उत्पाद शुल्क भा.नि.वि.म. पर लागू दरों के अनुसार होगा।

सरकार ने जुलाई 2005 में विभाग के उत्तर की पुष्टि की।

6.4 एकाकी विशेषाधिकार राशि की कम वसूली

वर्ष 2003-04 के लिए भा.नि.वि.म. एवं बीयर के खुदरा विक्रय अनुज्ञापत्र की शर्तों के अनुसार समूह के अनुज्ञाधारी को एकाकी विशेषाधिकार राशि[3] के भराव में अनुज्ञापत्र की समाप्ति पर अविक्रय या अनिस्तारित मदिरा के संबंध में दी गई आबकारी शुल्क की छूट को वापिस ली जावेगी। तद्नुसार होटल/क्लब बार को बेची गई मदिरा में से अनुज्ञा अवधि समाप्ति पर शेष रही मदिरा की मात्रा पर दी गई छूट वापसी योग्य थी।

तीन जिला आबकारी कार्यालयों[4] में अप्रैल 2004 एवं दिसम्बर 2004 के मध्य यह देखा गया कि वर्ष 2003-04 के मदिरा समूहों के तीन खुदरा अनुज्ञाधारियों द्वारा समूहों में अवस्थित होटल/क्लब बारों के 61 अनुज्ञाधारियों को भारत निर्मित विदेशी मदिरा (भा.नि.वि.म.)/बीयर निर्गम की गई तथा अनुज्ञा अवधि की समाप्ति पर इन होटल/क्लब बारों में बिना निस्तारण रही 12,837.731 एल.पी.एल. भा.नि.वि.म. एवं 46,313.823 बी.एल. बीयर पर एकाकी विशेषाधिकार राशि का भराव प्राप्त किया। इस प्रकार उस पर 18.98 लाख रुपये की छूट की स्वीकृति को वापिस लिया जाना था लेकिन यह न तो वापिस ली गई और न ही वसूली की गई जिसके परिणामस्वरूप 18.98 लाख रुपये के एकाकी विशेषाधिकार राशि की कम वसूली हुई।

इस ओर ध्यान दिलाये जाने के बाद विभाग ने मई 2005 में बताया कि अलवर एवं जोधपुर में 8.71 लाख रुपये की वसूली कर ली गई है अन्य मामलों में उत्तर अपेक्षित था (जुलाई 2005)।

[3] एकाकी विशेषाधिकार राशि वह राशि है जिस पर अनुज्ञाधारी को एक वर्ष के लिए मदिरा बेचने का अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया जाता है जो कि 12 मासिक किश्तों में विभक्त होता है।
[4] अलवर, जोधपुर एवं उदयपुर।

मामला जून 2004 एवं अप्रैल 2005 के मध्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2005)।

6.5 एकाकी विशेषाधिकार राशि की अनियमित छूट

वर्ष 2003-04 के बीयर खुदरा विक्रय अनुज्ञापत्र की शर्तों के अनुसार होटल/क्लब बार द्वारा एकाकी विशेषाधिकार प्रणाली के थोक अनुज्ञाधारी से बीयर की खरीद पर चुकाई गई आबकारी ड्यूटी के बराबर छूट एकाकी विशेषाधिकार प्रणाली के खुदरा अनुज्ञाधारी की मासिक गारंटी के भराव के प्रति स्वीकृत की जा सकेगी।

जयपुर, कोटा व अलवर में अक्टूबर 2004 एवं दिसम्बर 2004 में देखा गया कि होटल/क्लब बारों द्वारा राजस्थान पर्यटन विकास निगम (आर.टी.डी.सी.) जो कि एकाकी विशेषाधिकार प्रणाली के अन्तर्गत थोक विक्रय अनुज्ञाधारी नहीं थे, से बीयर की खरीद की गई। इस तथ्य के बावजूद कि आर.टी.डी.सी. एकाकी विशेषाधिकार प्रणाली के अन्तर्गत थोक विक्रय अनुज्ञाधारी नहीं था, प्रावधानों की अवहेलना कर, विभाग द्वारा एकाकी विशेषाधिकार राशि के भराव हेतु खुदरा अनुज्ञाधारी को 10.81 लाख रुपये के आबकारी शुल्क की छूट दी गई। इसके परिणामस्वरूप राशि 10.81 लाख रुपये की अनियमित छूट प्रदान की गई।

नवम्बर 2004 एवं फरवरी 2005 में इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर विभाग ने मई 2005 में बताया कि अलवर के अनुज्ञाधारी से राशि 1.11 लाख रुपये वसूल कर लिये गये हैं लेकिन जयपुर एवं कोटा के अनुज्ञाधारियों से संबंधित शेष राशि 9.70 लाख रुपये के बारे में बताया कि बीयर आर.टी.डी.सी. के होटल बार को निर्गम की गई थी इसलिये यह राशि वसूली योग्य नहीं थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आर.टी.डी.सी. एकाकी विशेषाधिकार प्रणाली के अन्तर्गत थोक विक्रय अनुज्ञाधारी नहीं था। उत्तर अपेक्षित था (जुलाई 2005)।

सरकार ने जुलाई 2005 में विभाग के उत्तर की पुष्टि की।

अध्याय-VII: कर-इतर प्राप्तियाँ

7.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2004-05 के दौरान खान विभाग के अभिलेखों की लेखापरीक्षा की मापक जांच में 1,704 मामलों में 329.14 करोड़ रुपये की राशि के राजस्व की अवसूली/कम वसूली का पता चला, जो कि मुख्यतः निम्न श्रेणियों में आते हैं:-

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि (करोड़ रुपयों में)
अ. देवस्थान विभाग			
1.	**देवस्थान प्राप्तियाँ एवं सम्पत्ति प्रबन्धन**	1	4.25
ब. खान व भूविज्ञान विभाग			
2.	स्थिर भाटक/अधिशुल्क की कम वसूली/ अवसूली	144	49.97
3.	अनाधिकृत उत्खनन	129	97.77
4.	धरोहर राशि का जब्त न करना	116	0.40
5.	शास्ति/ब्याज का न लगाना	397	5.57
6.	अन्य अनियमिततायें	916	14.58
7.	**समीक्षाः खान एवं खनिजों से प्राप्तियाँ**	1	156.60
	योग	**1,704**	**329.14**

वर्ष 2004-05 के दौरान विभाग ने 738 मामलों में 21.54 करोड़ रुपये की कम वसूली आदि को स्वीकार किया जिसमें से 316 मामलों में, जिनमें 13.73 करोड़ रुपये निहित थे, लेखापरीक्षा में वर्ष 2004-05 के दौरान तथा शेष मामले पूर्व के वर्षों में ध्यान में लाये गये। इसके अतिरिक्त विभाग ने 195 मामलों में 1.50 करोड़ रुपयें की वसूली की जिसमें से 83 लाख रुपये के 14 मामले लेखापरीक्षा में वर्ष 2004-05 के दौरान तथा शेष मामले पूर्व के वर्षों में ध्यान में लाये गये थे।

देवस्थान प्राप्तियाँ एवं सम्पत्ति प्रबन्धन पर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियाँ, तथा **'खान एवं खनिजों से प्राप्तियाँ पर समीक्षा'** पर लेखापरीक्षा के निष्कर्ष, जिसमें 160.85 करोड़ रुपये सन्निहित हैं, अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं:

अ.देवस्थान विभाग

7.2 देवस्थान प्राप्तियाँ एवं सम्पत्ति प्रबन्धन

7.2.1 परिचय

देवस्थान विभाग राज्य के सभी मंदिरों एवं अन्य धार्मिक संस्थानों पर रखरखाव तथा नियंत्रण रखता है, विभाग सार्वजनिक प्रन्यासों के पंजीयन का कार्य भी सम्हालता है, यह विभिन्न श्रेणियों के 994, जैसेकि राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार 390, आत्मनिर्भर 204 एवं सुपर्दगी[1] 400 मंदिरों का नियंत्रण करता है।

विभाग की राजस्व आय मुख्य रूप से (i) मंदिरों एवं धार्मिक संस्थानों से जुड़े भवनों/ धर्मशालाओं, होटल भूमि और दुकानों के किराये (ii) उपासकों से चढ़ावा (नकदी एवं सामान) एवं (iii) सम्पत्तियों के निस्तारण से प्राप्तियाँ एवं ब्याज वाले निधि निक्षेप खातों पर ब्याज से होती है।

विभागाध्यक्ष देवस्थान आयुक्त, राजस्थान एवं 10 सहायक आयुक्तों (स.आ.)[2] के कार्यालयों के अवधि 1999-2000 से 2003-04 के अभिलेखों की लेखापरीक्षा मापक जांच जुलाई 2004 से फरवरी 2005 के दौरान की गई, जिसमें निम्न तथ्य प्रकट हुए:-

7.2.2 वित्तीय प्रबन्धन

- मार्च 2004 को समाप्त गत पांच वर्षों में बजट अनुमान एवं उनके विरूद्ध वास्तविक प्राप्तियाँ निम्न प्रकार थीः-

(लाख रुपयों में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	कमी	प्रतिशत कमी
1999-2000	50	30	20	40
2000-2001	100	91	9	9
2001-2002	100	99	1	1
2002-2003	112	74	38	34
2003-2004	115	97	18	16

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 1999-2000, 2002-03 एवं 2003-04 के दौरान राजस्व वसूली के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया। इन वर्षों में कमी 16 से 40 प्रतिशत के मध्य थी। अप्रैल 2000 से नई किराया नीति लागू होने के कारण किराया आय में वृद्धि से वर्ष 2000-01 एवं 2001-02 के लक्ष्यों को प्राप्त किया गया। आयुक्त ने जुलाई 2005 में राजस्व वसूली में कमी के कारणों को मुख्यतः सरकारी विभागों से किराया के बकाया की अवसूली तथा मुकदमेंबाजी को बताया।

---

[1] पूर्व शासक या उनके परिवार के सदस्यों द्वारा निर्मित मंदिर जो दिन प्रतिदिन की पूजा एवं प्रबन्धन के लिए पुजारियों को सौंप दिये गये।

[2] अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर (मंदिर एवं न्यास), जोधपुर, कोटा, ऋषभदेव, उदयपुर एवं वृंदावन।

- राजस्थान कोषागार नियमों में आवश्यक है कि प्रतिदिन संग्रहित विभागीय प्राप्तियाँ तुरन्त कोषालय में जमा करानी चाहिये।

सहायक आयुक्त (मंदिर) जयपुर के कार्यालय में यह ज्ञात हुआ कि उक्त नियमों का उल्लंघन कर विभिन्न मंदिरों की सम्पत्तियों से वसूल किराये को कोषालय में जमा नहीं कराया गया। सहायक आयुक्त के यहाँ नीचे दिखाये अनुसार भारी नकदी अवशेष रहीः-

(लाख रुपयों में)

वर्ष	राशि
1999-2000	8.44
2000-2001	11.32
2001-2002	9.25
2002-2003	8.58
2003-2004	7.34

7.2.3 बकाया की स्थिति

देवस्थान आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर एवं आठ सहायक आयुक्तों[3] के अभिलेखों में पाया गया कि 31 मार्च 2004 को विभिन्न मंदिरों एवं अन्य धार्मिक संस्थानों से जुड़े आवासीय/व्यापारिक सम्पत्तियों के किराये के पेटे किरायेदारों के विरूद्ध राशि 2.16 करोड़ रुपये बकाया थे यद्यपि बकाया का वर्ष वार विवरण मांगा गया था किन्तु लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। विभिन्न स्तरों पर बकाया निम्नानुसार थीः-

(करोड़ रुपयों में)

1.	विभिन्न सरकारी विभागों से देय बकाया	1.07
2.	मुकदमेंबाजी/अन्य कारणों से रुकी बकाया	1.09
	योग	**2.16**

यह ध्यान दिलाये जाने के बाद विभाग ने बताया (जुलाई 2005) कि भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार वसूली हेतु मई 2005 में निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

7.2.4 सम्पदा प्रबन्ध

देवस्थान विभाग की नियमावली में विहित है कि विभाग द्वारा (i) मंदिरों से जुड़ी कृषि भूमि सहित अचल सम्पत्तियों का सर्वे एवं उसका मूल्यांकन कार्य (ii) अपने स्वयं के पुराने अभिलेखों से सम्यक अन्वेषण के बाद स्वत्व का सत्यापन करना एवं ऐसे

[3] भरतपुर 1.10 लाख रुपये, बीकानेर 0.60 लाख रुपये, जयपुर 123.56 लाख रुपये, जोधपुर 54.06 लाख रुपये, कोटा 7.61 लाख रुपये, ऋषभदेव 2.51 लाख रुपये, उदयपुर 22.89 लाख रुपये, तथा वृंदावन 3.75 लाख रुपये।

अभिलेखों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखना (iii) अवैध कब्जे के मामले में तुरन्त कार्यवाही करना एवं संबंधित जिलाधीश को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम) के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन देने संबंधी कार्य करने चाहिये। मंदिरों से संबंधित कृषि भूमि को अवैध रूप से किसी पुजारी/अन्य व्यक्ति के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित कर दिये जाने के मामले में भूमि वापिस लेने हेतु अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए।

सात सहायक आयुक्तों[4] द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार विभागीय अभिलेखों में 63 प्रत्यक्ष प्रभार मंदिरों से संबंधित 10,363 बीघा[5] एवं 11 बिस्वा[6] कृषि भूमि का विवरण निम्नानुसार था:-

	बीघा
भूमि सौंपने संबंधी अभिलेख उपलब्ध नहीं	2,496.02
अतिक्रमियों/पुजारियों के अनाधिकृत कब्जे	5,832.10
अन्य व्यक्तियों/पुजारियों के नाम भूमि	936.06
विभागीय कब्जे के अन्तर्गत	1,098.13
योग	**10,362.31** **अर्थात 10,363.11**

भूमि सौंपने संबंधी अभिलेखों के अनुपलब्धता के कारण 1.30 करोड़ रुपये मूल्य की 2,496.02 बीघा भूमि के बारे में विभाग उससे कोई आय प्राप्त करने अथवा अनाधिकृत कब्जे में होने के मामले में भूमि वापिस प्राप्ति के लिए कार्यवाही प्रारंभ करने में असफल रहा। 5,832.10 बीघा भूमि जिसका मूल्य 3.03 करोड़ रुपये (जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित न्यूनतम दरों के आधार पर) पुजारियों/अतिक्रमियों के अनाधिकृत कब्जे में थी। तथापि अभिलेखों से यह व्यक्त नहीं होता कि अतिक्रमियों को बेदखल करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भूमि वापसी हेतु किसीस्तर पर कोई भी प्रयत्न किये गये थे।

सहायक आयुक्त बीकानेर, कोटा, उदयपुर एवं वृन्दावन के अभिलेखों से ज्ञात हुआ कि 10 मामलों में प्रत्यक्ष प्रभार के 10 मंदिरों के नाम से राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित 936.06 बीघा भूमि को पुजारियों/अन्य व्यक्तियों के नाम में हस्तांतरित/अंकित कर दिया गया। भूमि को वापिस प्राप्त करने हेतु कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई सिवाय 6 मामलों में निहित 561.05 बीघा भूमि, जिनमें निर्देश जारी किये गये तथापि वे विभिन्न राजस्व न्यायालयों में लंबित थे।

यह ध्यान दिलाये जाने पर विभाग ने बताया (जुलाई 2005) कि अतिक्रमियों को बेदखल करने एवं भूमि को वापिस प्राप्त करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई थी।

4 अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, कोटा, ऋषभदेव, उदयपुर तथा वृंदावन।

5 बीघा भूमि की माप की एक इकाई है जो सामान्यतया 3,025 वर्ग गज का होता है।

6 बिस्वा भूमि की माप की इकाई है जो बीघा के 1/20 वें भाग को दर्शाता है।

7.2.5 किराया प्राप्ति

अप्रैल 2000 से लागू नई किराया नीति के अन्तर्गत प्रत्यक्ष प्रभार के मंदिरों के भवनों एवं दुकानों का किराया व्यक्तियों से 1995 के पी.डब्ल्यु.डी. स्थाई आदेशों के अनुसार निर्धारित किराया के 30 प्रतिशत की दर से तथा सरकारी विभागों, स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं जन कल्याण समितियों से 100 प्रतिशत की दर से वसूली योग्य था। इस प्रकार निर्धारित किराये को प्रत्येक तीन वर्ष बाद 15 प्रतिशत की दर से बढ़ाया जाना था। इसके अतिरिक्त पी.डब्ल्यु.डी. नियमावली में प्रावधान है कि जब सरकार कार्यालय उपयोग के लिए निजी भवनों को किराये पर लेती है तो भवन की लागत के 9 प्रतिशत की दर से किराया निर्धारित किया जाना है एवं जब सरकारी सम्पत्ति को एक निजी व्यक्ति/निकाय को किराये पर दी जाती है तो किराया 10 प्रतिशत प्रति माह की दर से वसूली योग्य है।

- आठ सहायक आयुक्तों[7] के अभिलेखों की मापक जांच में ज्ञात हुआ कि आवासीय/वाणिज्यिक प्रयोजन के लिये निजी व्यक्तियों को किराये पर दिये गये प्रत्यक्ष प्रभार के मंदिरों के भवनों के संबंध में किराया 10 प्रतिशत के बजाय भवन की कीमत का 9 प्रतिशत लगाया गया। परिणामस्वरूप अवधि अप्रैल 2000 से मार्च 2004 के दौरान 12.75 लाख रुपये (पी.डब्ल्यु.डी. दरों पर निर्धारित किराये के 30 प्रतिशत होने से) कम वसूल हुये।

यह ध्यान दिलाये जाने पर विभाग ने बताया (जुलाई 2005) कि किराये का निर्धारण पी.डब्ल्यु.डी. द्वारा मार्च 1995 में जारी परिपत्र के अनुसार 9 प्रतिशत की दर से किया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यह परिपत्र सरकार द्वारा निजी भवनों को किराये पर लेने पर लागू होता है।

- सहायक आयुक्त जोधपुर एवं वृंदावन के अभिलेखों से ज्ञात हुआ कि चार भवनों का किराया स्वायत्तशासी संस्थाओं/जन कल्याण समितियों से अवधि 2000-01 से 2003-04 के दौरान पी.डब्ल्यु.डी. दरों पर निर्धारित किराये के 100 प्रतिशत के बजाय 30 प्रतिशत की दर से वसूल किया गया जिसके परिणामस्वरूप 4.03 लाख रुपये की कम वसूली हुई।

यह ध्यान दिलाये जाने पर विभाग ने जुलाई 2005 में बताया कि वृंदावन में कोई भवन जन कल्याण समितियों को किराये पर नहीं दिया गया। उत्तर मान्य नहीं क्योंकि वृंदावन में दो मामलों में सम्पत्तियों को समितियों को किराये पर दिया हुआ है।

7.2.6 अप्रैल 1993 में जारी सरकारी आदेशों के अनुसार, जब देवस्थान विभाग की सम्पत्तियों को सरकारी विभागों, स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं जन कल्याण समितियों को किराये पर दिया जाता है तो किराया उनके उपयोग के अनुसार निर्धारण योग्य है।

---

[7] भरतपुर 0.02 लाख रुपये, बीकानेर 0.11 लाख रुपये, जयपुर (मंदिर) 5.18 लाख रुपये, जोधपुर 4.30 लाख रुपये, कोटा 1.39 लाख रुपये, ऋषभदेव 0.30 लाख रुपये, उदयपुर 0.93 लाख रुपये तथा वृन्दावन 0.52 लाख रुपये।

- चार सहायक आयुक्तों[8] के अभिलेखों से ज्ञात हुआ कि 17 प्रत्यक्ष प्रभार मंदिरों की 29 सम्पत्तियाँ जिन्हें गैर आवासीय उद्देश्य के लिए विभिन्न सरकारी विभागों, स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं जन कल्याण समितियों को किराये पर दी गई थी, का किराया गलती से वाणिज्यिक भूमि दरों के स्थान पर आवासीय भूमि दरों से निर्धारण कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप अवधि अप्रैल 2000 से मार्च 2004 के दौरान 2.50 करोड़ रुपये की कम वसूली हुई।

यह ध्यान दिलाये जाने पर विभाग ने जुलाई 2005 में बताया कि इन भवनों का किराया निर्धारण वाणिज्यिक दरों पर करना उचित नहीं था क्योंकि उनका उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए नहीं हो रहा था। उत्तर मान्य नहीं क्योंकि इन सम्पत्तियों को गैर आवासीय उद्देश्य के लिए किराये पर दिया गया था।

- सहायक आयुक्त जयपुर (मंदिर) के अभिलेखों से ज्ञात हुआ कि प्रत्यक्ष प्रभार के मंदिर श्री आनन्द कृष्ण बिहारी जी, चाँदनी चौक, जयपुर के अन्तर्गत एक सम्पत्ति के तीन हिस्सों को दिसम्बर 1986 एवं दिसम्बर 1993 के मध्य 'राजस्थान ज्योतिष परिषद आवाम शोघ संस्थान' को किराये पर दिया गया। एक प्रकरण में किराये का निर्धारण वाणिज्यिक भूमि दर की 7.5 प्रतिशत पर एवं शेष दो प्रकरणों में वाणिज्यिक भूमि दर की 10 प्रतिशत के बजाय 9 प्रतिशत की आवासीय भूमि दर पर किया गया। इसके साथ ही स्वायत्तशासी संस्थाओं/जन कल्याण समितियों के लिए नई किराया नीति के अनुसार निर्धारित किराया के शत प्रतिशत के विरूद्ध 30 प्रतिशत तक ही वसूल किया गया जिससे 6.31 लाख रुपये की कम वसूली हुई।

यह ध्यान दिलाये जाने पर आयुक्त ने जुलाई 2005 में बताया कि किराये की वसूली प्रशासनिक विभाग से अनुमोदन प्राप्ति के बाद की गई थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यह अनुमोदन सरकार द्वारा बनाई गई किराया नीति पर आधारित नहीं है।

7.2.7 अक्टूबर 1996 में जारी सरकारी आदेशों के अनुसार उदयपुर स्थित सराय फतेह मेमोरियल (प्रत्यक्ष प्रभार) के 8,076.25 वर्ग फुट माप की भूमि को अक्टूबर 1996 में पी.डब्ल्यु.डी. द्वारा किराये के निर्धारण के बाद अंतिम निर्णय को विचाराधीन रखते हुये 7,500 रुपये मासिक किराये पर इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशल (आई.ओ.सी.) को सौंप दिया। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने जनवरी 1998 में 1.51 लाख रुपये की दर से मासिक किराया निर्धारित किया। देवस्थान आयुक्त द्वारा मामला मार्च 1998 में सरकार की स्वीकृति हेतु भेजा गया। सरकार ने किराये को अधिक एवं अव्यावहारिक मानते हुए मई 1998 में मामले को पुनर्विचार के लिए पी.डब्ल्यु.डी. को वापिस भेजा। अधिशाषी अभियन्ता, शहरी संभाग ने जून 1998 में उत्तर में बताया कि निर्धारित किराया नियमों के अनुसार सही एवं युक्तियुक्त था। आयुक्त ने इसे जुलाई 1998 में सरकार को प्रतिवेदित किया तथा स्वीकृति हेतु फरवरी एवं जून 1999 में स्मरण पत्र जारी किये लेकिन अभी तक स्वीकृति जारी नहीं हुई। सरकार की स्वीकृति के अभाव में आई.ओ.सी. 7,500 रुपये प्रति माह की दर से ही किराये का भुगतान कर रहा है।

[8] जयपुर (मंदिर) 210.53 लाख रुपये, जोधपुर 24.39 लाख रुपये, कोटा 14.53 लाख रुपये तथा उदयपुर 0.85 लाख रुपये।

परिणामस्वरूप अवधि अप्रैल 1999 से मार्च 2004 के दौरान 86.10 लाख रुपये किराये की कम वसूली हुई।

यह ध्यान दिलाये जाने पर विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं सूचित किया (जुलाई 2005) कि सरकार के निर्देशानुसार किराये की वसूली हेतु कार्यवाही की जावेगी।

7.2.8 सितम्बर 2000 में जारी सरकारी आदेशों के अनुसार नवीन किराया नीति की शर्तों के अनुसार निश्चित किराया या पुराना किराया में जो भी अधिक है, प्रभार्य होगा।

सराय फतेह मेमोरियल, उदयपुर की सम्पत्ति अक्टूबर 1994 में पर्यटन विभाग को 13,800 रुपये मासिक किराये पर पट्टे पर दी गई। पर्यटन विभाग दिसम्बर 1993 में तय पट्टे की पुरानी शर्तों एवं निबन्धनों के अनुसार प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ लगातार किराया भुगतान करता रहा यद्यपि सहायक आयुक्त उदयपुर द्वारा नई नीति के अन्तर्गत अप्रैल 2000 से 57,340 रुपये प्रति माह की दर से किराया निर्धारण किया गया लेकिन उसकी मांग नहीं की गई। परिणामस्वरूप अवधि अप्रैल 2000 से मार्च 2004 के दौरान राशि 15.56 लाख रुपये के किराये की कम वसूली हुई।

सहायक आयुक्त उदयपुर ने उत्तर में बताया कि पट्टेदार 10 प्रतिशत की वृद्धि को शामिल करने के बाद किराये का भुगतान कर रहा था तथा इस तरह नई किराया नीति इस मामले में लागू की जाने योग्य नहीं थी। सहायक आयुक्त का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि नई नीति के अन्तर्गत 57,340 रुपये प्रति माह उच्च किराया निर्धारण हुआ था एवं तद्नुसार उच्च किराया ही वसूली योग्य था।

7.2.9 राजस्थान सिविल सेवायें (आवासीय मकानों का आवंटन) नियम, 1958 में वर्णित है कि सेवा निवृत्ति के मामले में सरकारी कर्मचारी को आवंटित सरकारी मकान दो महीने में खाली हो जाना चाहिये यदि मकान निहित अवधि में खाली नहीं किया जाता तो आवंटी अगले दो महीनों तक बाजार दर पर किराया भुगतान करेगा। उक्त अवधि की समाप्ति पर मकान खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की जावेगी। नियमों में यह भी उपबन्धित है कि निहित समयावधि में किराये का भुगतान नहीं किये जाने के मामले में 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज प्रभार्य होगा।

सहायक आयुक्त, कोटा के अभिलेखों से ज्ञात हुआ कि 1983 में एक सहायक आयुक्त को आवंटित प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री फूल बिहारी जी, कोटा की आवासीय सम्पत्ति को दिसम्बर 1996 में सेवानिवृत्ति के बाद भी अब तक खाली नहीं कराई गई। अधिशाषी अभियन्ता, शहरी संभाग, कोटा ने जनवरी 2004 में वर्ष 1997 से बाजार किराया 4,053 रुपये प्रति माह की दर से निर्धारित किया। अधिकारी द्वारा न तो भवन खाली किया गया और न ही आज तक किराये का भुगतान किया। परिणामस्वरूप अवधि 1999-2000 से 2003-04 तक 18 प्रतिशत की दर से देय ब्याज सहित 3.54 लाख रुपये की अवसूली हुई। विभाग भी आवंटी से मकान खाली कराने में असफल रहा।

7.2.10 गलत नियमितिकरण के कारण राजस्व हानि

किराया नीति 2000 की शर्तों के अनुसार देवस्थान की सम्पत्ति को उप-किरायेदारों के पक्ष में किरायेदारी का नियमन अप्रैल 2000 से निर्धारित किराये का 120 गुणा राशि एक मुश्त वसूली के बाद किया जाना है।

पाँच सहायक आयुक्तों[9] के अभिलेखों की मापक जाँच में ज्ञात हुआ कि 27 उप किरायेदारों के मामलों में मार्च 2001 से मार्च 2003 के मध्य उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन कर निर्धारित किराये का 30 प्रतिशत प्राप्त करने के बाद नियमितिकरण किया गया इसके परिणामस्वरूप 38.41 लाख रुपये की हानि हुई।

यह ध्यान दिलाये जाने पर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार नहीं किया तथा जुलाई 2005 में बताया कि एक मुश्त राशि, किरायेदारों द्वारा दिये जा रहे किराये के 30 प्रतिशत वसूल की गई। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि किराया नीति 2000 की शर्तों के अनुसार दिये जा रहे किराये के बजाय निर्धारित किराये का 120 गुणा राशि एक मुश्त वसूली योग्य थी।

7.2.11 अन्य रुचिकर प्रकरण

आयुक्त ने अक्टूबर 2000 में निर्देश जारी किये कि सहायक आयुक्तों द्वारा प्रत्येक वर्ष अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत समस्त अचल सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन करंगे एवं आगामी वर्ष के अप्रैल में इस प्रकार का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

समस्त सहायक आयुक्तों के अभिलेखों की जांच में ज्ञात हुआ कि उनके द्वारा अक्टूबर 2000 से मार्च 2004 की अवधि के दौरान अचल सम्पत्तियों का कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।

सहायक आयुक्त अजमेर द्वारा जुलाई 2004 में किये गये भौतिक सत्यापन में ज्ञात हुआ कि प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री बन्नाठ जी को जनवरी 1986 में एक निजी कंपनी को बेच दिया गया एवं भीलवाड़ा जिले के आसींद में श्री महादेव जी मंदिर का अस्तित्व ही नहीं था। भौतिक सत्यापन के परिणामों पर फरवरी 2005 तक कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी।

यदि भौतिक सत्यापन नियमित रूप से किया गया होता तो इस प्रकार की स्थिति से बचा जा सकता था। पूर्ण विवरणों के अभाव में इन सम्पत्तियों के मूल्य की गणना नहीं की जा सकी।

यह ध्यान दिलाये जाने पर विभाग द्वारा तथ्यों को जुलाई 2005 में स्वीकार किया गया।

उपरोक्त मामला सरकार (अप्रैल 2005) को प्रतिवेदित किया लेकिन कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जुलाई 2005)।

---

[9] बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर तथा वृन्दावन।

ब.खान एवं भूविज्ञान विभाग

7.3 खान एवं खनिजों से प्राप्तियों पर समीक्षा

7.3.1 मुख्य मुख्य बिन्दु

कार्यानुमति अवधि के बाद दो मामलों में 105.22 करोड़ रुपये मूल्य के खनिज का अनाधिकृत उत्खनन एवं प्रेषण किया गया।

(अनुच्छेद 7.3.8)

पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति धारक बिना लागत भुगतान के अनुज्ञप्ति में निहित मात्रा से 1.76 करोड़ रुपये मूल्य की विभिन्न खनिजों की 22,892 मैट्रिक टन अधिक मात्रा ले गये।

(अनुच्छेद 7.3.13)

ईंटों के उत्पादन के लिए ईंट मिट्टी के उपयोग पर अधिशुल्क के 4.89 करोड़ रुपये प्रभार्य नहीं किये।

(अनुच्छेद 7.3.17)

अनुमति से अधिक उत्खनन के कारण खनिजों के मूल्य की राशि 11.75 करोड़ रुपये प्रभार्य नहीं किये।

(अनुच्छेद 7.3.18)

7.3.1 परिचय

राजस्थान खनिजों का भण्डार कहलाता है तथा इसके विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के खनिज पाये जाते हैं।

खनिज सम्पदा का विदोहन खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 (एम.एम.आर.डी.), खनिज रियायत नियम, 1960 (एम.सी.आर.), खनिज संरक्षण तथा विकास नियम, 1988 (एम.सी.डी.) नियम एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 (आर.एम.एम.सी.आर.) के प्रावधानों के अन्तर्गत खनन पट्टे, स्वीकृत कर किया जाता है।

खान एवं खनिजों से मुख्यतया आवेदन शुल्क, अनुज्ञा शुल्क, परमिट शुल्क, स्थिर भाटक, अधिशुल्क, विकास शुल्क एवं पूर्वेक्षण प्रभारों से प्राप्ति होती है।

7.3.2 संगठनात्मक ढाँचा

खान एवं भूविज्ञान विभाग का पूर्ण प्रभार सचिव, खान एवं पेट्रोलियम के पास होता है। निदेशक, खान एवं भूविज्ञान (डी.एम.जी.) विभागाध्यक्ष होता है जिसकी सहायता के

लिये पाँच अतिरिक्त निदेशक (खान) होते हैं जो सात संभागों के प्रमुख अधीक्षण खनि अभियन्ताओं के द्वारा विभाग पर नियंत्रण करते हैं। 38 खनि अभियन्ता/ सहायक खनि अभियन्ता जो अपने नियंत्रण के क्षेत्रों में खनिज सम्पदा के अनाधिकृत उत्खनन को रोकने एवं राजस्व के संग्रहण एवं अधिशुल्क निर्धारण के लिए जिम्मेदार है। विभाग में अलग से दो अधीक्षण खनि अभियन्ता जयपुर एवं राजसमंद द्वारा नियंत्रित सतर्कता शाखा है।

7.3.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि क्याः-

- खान पट्टों या खनन अनुज्ञप्तियों की समाप्ति पर उनका नवीनीकरण समय पर किया गया;
- विभिन्न फीस, किराये एवं अधिशुल्क आदि की उचित संगणना एवं वसूली की गई;
- राजस्व की छीजत या हांनि रोकने के लिये विभागीय कार्य सम्पादन में पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण प्रणाली विद्यमान है;
- खनिजों के अवैध उत्खनन या चूक के मामले में अनुवर्ती कार्यवाही का पर्याप्त होना ताकि ऐसे दृष्टान्तों में उनके तार्किक निष्कर्ष को सुनिश्चित किया जा सके।

7.3.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

राजस्व वसूली की प्रक्रिया एवं प्रणाली के प्रभावीपन एवं पर्याप्तता को सुनिश्चित करने के विचार से, निदेशक खान एवं भूविज्ञान, उदयपुर तथा सचिव खान एवं पेट्रोलियम (सचिव) द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों के साथ 38 खनि अभियन्ता/सहायक अभियन्ताओं में से 16[10] के वर्ष 1999-2000 से 2003-04 के अभिलेखों की मापक जांच की गई।

लेखापरीक्षा के परिणामों को सरकार/विभाग को मई 2005 में सूचित किया गया। समीक्षा के निष्कर्षों पर परिचर्चा करने हेतु लेखापरीक्षा समीक्षा समिति (ए.आर.सी.) की बैठक 20 जुलाई 2005 को आयोजित की गई ताकि समीक्षा को अंतिम रूप देने से पूर्व सरकार/विभाग के दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जा सके। सरकार का प्रतिनिधित्व उप शासन सचिव (खान) तथा खान विभाग का प्रतिनिधित्व वित्तीय सलाहकार द्वारा किया गया। समीक्षा को अंतिम रूप देते समय, सरकार/विभाग द्वारा बैठक में रखे दृष्टिकोण को ध्यान में रखा गया है।

---

[10] खनि अभियन्ताः-अजमेर, आमेट, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी-II, जयपुर, राजसमंद I, II, सिरोही, सोजत सिटी तथा उदयपुर ।
सहायक खनि अभियन्ताः- जैसलमेर, कोटपूतली, ऋषभदेव, श्रीगंगानगर तथा टौंक।

7.3.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

एम.एम.आर.डी. एक्ट के प्रावधानों एवं उसके अधीन बनाये नियमों तथा समय समय पर जारी विभागीय अनुदेशों के आधार पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों को अनुवर्ती अनुच्छेदों में अभिलिखित किया गया है।

7.3.6 राजस्व की बकाया

31 मार्च 2004 को समाप्त गत पाँच वर्षों के दौरान संग्रहण हेतु बकाया राजस्व का वर्ष वार विवरण निम्नानुसार थाः

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान मांग कायमी	कुल	वसूली की गई	शेष	प्रतिशत कमी
1999-00	36	269	305	267	38	12
2000-01	38	283	321	279	42	13
2001-02	42	330	372	331	41	11
2002-03	41	375	415	364	51	12
2003-04	51	437	488	425	63	13

बकाया की श्रेणीवार स्थिति निम्न प्रकार थीः

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	विवरण	राशि
(i)	उच्च न्यायालय एवं न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा वसूलियों पर स्थगन	20
(ii)	राजस्व वसूली प्रमाण पत्रों के अन्तर्गत वसूलियाँ	29
(iii)	सरकार/विभाग द्वारा वसूली पर स्थगन	3
(iv)	अन्य कारण	11
	योग	**63**

प्रधान खनिज

7.3.7 वित्तीय आश्वासन की अवसूली

एम.सी.डी. नियमावली के प्रावधानों के अनुसार अप्रैल 2003 से 'अ' एवं 'ब' श्रेणी खानों[11] के लिए वित्तीय आश्वासन (पर्यावरण पुनर्सुधार की लागत) क्रमशः 25,000 रुपये एवं 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से न्यूनतम 2 लाख रुपये एवं 1 लाख रुपये सावधि जमा रसीदों के रूप में प्रतिभूतियों में जमा किया जाना था। यदि सक्षम अधिकारी को विश्वास करने का कारण हो कि खान के बन्द होने की अवस्था में पट्टाधारी द्वारा पुनर्ग्रहण एवं पुनर्सुधार के कदम नहीं उठाये गये या नहीं किये जायेंगे तो वह आश्वास्त राशि जब्त कर सकेगा।

- सात खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता[12] के अभिलेखों की जांच में यह ज्ञात हुआ कि पट्टेधारियों द्वारा 28,821 हेक्टेयर क्षेत्र से आच्छादित 316 चालू खनन पट्टों के संबंध में पर्यावरण पुनर्सुधार की लागत 44.05 करोड़ रुपये (न्यूनतम दर से) जमा नहीं किये गये थे।

- निदेशक खान एवं भूविज्ञान के अभिलेखों की मापक जांच में उदग्रहित हुआ कि 13 पट्टेधारियों द्वारा 894 हेक्टेयर क्षेत्र से आच्छादित पट्टों का अप्रैल 2003 से मार्च 2004 के दौरान 1.34 करोड़ रुपये के वित्तीय आश्वासन का भुगतान किये बिना परित्याग किया गया। इसके परिणामस्वरूप खानों के पुनर्ग्रहण एवं पुनर्सुधार के लिए 1.34 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई क्योंकि सरकार को पुनर्ग्रहण एवं पुनर्सुधार पर व्यय भार सहना होगा।

यह तथ्य कि विभाग जमाओं को संग्रहण करने में असफल रहा, अनुश्रवण प्रणाली की कमी को इंगित करता है।

7.3.8 वैध स्वीकृति के बिना खनन कार्य

एम.एम.आर.डी. अधिनियम के प्रावधान के अनुसार जब कभी कोई व्यक्ति बिना किसी विधि सम्मत प्राधिकार के किसी भूमि से कोई खनिज उठाता है तो राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति से ऐसा उठाया गया खनिज बरामद कर सकेगी या जहाँ ऐसा खनिज पहले से ही निराकृत कर दिया गया हो तो उसकी कीमत वसूलेगी। इसके अतिरिक्त संबंधित व्यक्ति लगान किराया, अधिशुल्क, टैक्स, जो भी हो उस अवधि के लिए जिसमें ऐसी भूमि ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी विधि सम्मत प्राधिकार के बिना कब्जे में रही है, भुगतान करने का दायी है।

---

[11] 'अ' श्रेणी की खानें: पूर्ण यंत्रीकृत खान जिसमें 150 मजदूर एवं पूर्ण समयावधि के लिए खनि अभियन्ता रखते हों।
'ब' श्रेणी की खानें: जिस खान में अस्थाई खनि अभियन्ता रखते हों एवं 150 से कम मजदूर कार्य करते हों।

[12] खनि अभियन्ताः भीलवाड़ा, जयपुर, सिरोही तथा सोजत सिटी; सहायक खनि अभियन्ताः कोटपूतली, ऋषभदेव तथा श्रीगंगानगर।

सहायक खनि अभियन्ता, जैसलमेर के अभिलेखों से यह ज्ञात हुआ कि राजस्थान स्टेट मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन (आर.एस.एम.डी.सी.) को अप्रैल 1997 से 1 वर्ष की अवधि के लिए ग्राम सानू के निकट 1,000 हेक्टेयर क्षेत्र में लाईम स्टोन (स्टील ग्रेड) के उत्खनन के लिए कार्यानुमति प्रदान की गई थी। आर.एस.एम.डी.सी. ने कार्यानुमति अवधि के बाद खनन कार्य जारी रखा एवं अप्रैल 1999 से मार्च 2004 की अवधि के दौरान उत्खनित 30.32 लाख मैट्रिक टन (एम.टी.) स्टील ग्रेड लाइमस्टोन को अनाधिकृत रूप से प्रेषित किया। इस प्रकार खनिज का मूल्य राशि 99.21 करोड़ रुपये वसूली योग्य थे जो वसूल नहीं किये गये।

- सहायक खनि अभियन्ता, श्रीगंगानगर के अभिलेखों से ज्ञात हुआ (अक्टूबर 2004) कि तीन पट्टेधारियों[13] ने मई 1996 से अप्रैल 2003 के मध्य कार्यानुमति की अवधि समाप्ति के बाद 2,281 हेक्टेयर क्षेत्र से आच्छादित 8 खानों से 1999-2000 से 2003-04 के दौरान 5.46 लाख मैट्रिक टन जिप्सम का उत्खनन किया। न तो पट्टावधि बढ़ाने के लिए कोई कार्यवाही की गई और न ही कोई कार्यानुमति स्वीकृत की गई। यद्यपि पट्टेधारी ने अधिशुल्क का भुगतान तो किया किन्तु अनाधिकृत उत्खनित खनिज की कीमत 6.01 करोड़ रुपये की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की।

यह खनन कार्य केवल वैध स्वीकृति पर किये जाने को सुनिश्चित करने की अनुश्रवण प्रणाली की कमी को इंगित करता है।

7.3.9 पट्टेधारी द्वारा सीमेंट संयंत्र स्थापित नहीं करना

एम.सी.आर. के अनुसार जहाँ पट्टे के निष्पादन की दिनांक से दो वर्ष की अवधि के भीतर खनन क्रियाएं प्रारंभ नहीं की जाती है अथवा ऐसी क्रियाओं के प्रारम्भ होने के पश्चात लगातार दो वर्ष के लिए बन्द की जाती हैं तो खनन पट्टा व्ययगत हो जावेगा।

चार खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता के अभिलेखों की मापक जांच में उद्घटित हुआ कि लाइमस्टोन के चार खनन पट्टे एक विहित अवधि में सीमेन्ट संयंत्र की स्थापना की शर्त पर स्वीकृत किये गये थे। तथापि सीमेन्ट संयंत्र स्थापना में असफल रहने की दशा में पट्टा विलेख में शास्ति आरोपण का कोई प्रावधान, जो संविदा प्रावधानों से बंधे रहने के लिये पट्टेधारियों को रोक सके, नहीं था।

[13] आर.एस.एम.डी.सी./आर.एस.एम.एम. एवं फर्टीलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया (एफ.सी.आई.)।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया कि पट्टा विलेखों की शर्तों के अनुसार पट्टेधारियों द्वारा कोई संयंत्र स्थापित नहीं किया गया जैसा कि नीचे दिखाया गया:-

क्र. सं.	खनि अभियन्ता/ सहायक खनि अभियन्ता का नाम	पट्टेधारी का नाम	क्षेत्र	दिनांक जिस तक सीमेन्ट संयंत्र स्थापित किया जाना था	पट्टा क्षेत्र की धारित अवधि	प्रति वर्ष सीमेंट संयंत्र की क्षमता	प्रति वर्ष प्रयोज्य लाइम स्टोन (लाख मैट्रिक टन में)
1	बाँसवाड़ा	माही सीमेन्ट लिमिटेड (19.6.96 से 20 वर्ष)	65.82 हेक्टेयर	19.6.1998	6 वर्ष	5 मिलियन टन	76.00
2	नागौर	इण्डो निप्पोन स्पेशल सीमेन्ट लिमिटेड (21.9.88 से 20 वर्ष)	10 वर्ग कि.मी.	21.9.1998	11 वर्ष	4 मिलियन टन	60.80
3	चित्तौड़गढ़	ओरियेन्टल पेपर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (16.2.99 से 20 वर्ष)	7.2456 वर्ग कि.मी.	16.2.2001	3 वर्ष	1.5 मिलियन टन	22.80
4.	सोजत शहर	डी.एल.एफ. इण्डस्ट्रीज (13.6.97 से 20 वर्ष)	183.53 हेक्टेयर	13.6.1999	5 वर्ष	1.5 मिलियन टन	22.80
	कुल						**182.40**

सीमेंट संयंत्र स्थापित नहीं करने के बावजूद पट्टे को निरस्त करने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई। साथ ही पट्टा करार में प्रावधानों के अभाव में सीमेंट संयंत्र स्थापित नहीं करने के लिये किसी प्रकार की शास्ति नहीं लगाई जा सकी।

सीमेंट संयंत्रों के स्थापित नहीं करने के परिणामस्वरूप ऊपर वर्णित अनुसार न्यूनतम मात्रा 182.40 मैट्रिक टन के लाइम स्टोन के उपयोग में प्रभार्य योग्य अधिशुल्क से विभाग वंचित रहा।

7.3.10 खनिज संरक्षण नियमों की पालना नहीं करने के परिणामस्वरूप अधिशुल्क की हानि

एम सी डी आर में प्रावधान है कि खनन क्रियाओं के दौरान प्राप्त अधिभार[14] और रद्दी पदार्थ को विक्रय के अयोग्य या उप श्रेणी के अयस्क/खनिजों के साथ मिश्रित किये जाने की अनुमति नहीं दी जावेगी तथा इनका अलग से चिन्हित भूमि पर ढेर एवं भण्डारण किया जावेगा। खनन पट्टेधारी द्वारा पट्टा क्षेत्र से हटाये गये या उपभोग किये गये खनिज के बारे में अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर अधिशुल्क भुगतान योग्य है।

[14] अधिभार खानों से निकाला गया वह अनुपयोगी पदार्थ है जो कि उपयोगी खनिज की प्राप्ति हेतु उत्खनित/हटाया जाता है।

सहायक खनि अभियन्ता, जैसलमेर के अभिलेखों एवं आर.एस.एम.एम. (पट्टेधारी) द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणियों से सितम्बर 2004 में उद्घटित हुआ कि पट्टेधारी ने खान से 1999-2000 से 2003-04 के दौरान 10 से 30 मि.मी. आकार की 7,04,949 मैट्रिक टन बेचान योग्य लाइमस्टोन (स्टील ग्रेड) ग्रिट का उत्खनन किया लेकिन अलग भण्डारण की बजाय रद्दी पदार्थ एवं मिट्टी आदि के साथ उन्हें खनन क्षेत्र में ढेर लगा दिया गया। पट्टेधारी द्वारा बेचने योग्य मात्रा को रद्दी एवं मिट्टी आदि में मिलाने की कार्यवाही के परिणामस्वरूप राशि 4.23 करोड़ रुपये के अधिशुल्क एवं विकास प्रभार की हानि हुई क्योंकि इसमें खनिज वापिस प्राप्त करने की संभावना नहीं हैं।

7.3.11 जिप्सम पर सेवा शुल्क की अवसूली

राज्य सरकार ने फर्टीलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया (एफ.सी.आई.) द्वारा कार्यानुमति पर खनन क्षेत्र से निकाले गये जिप्सम के निर्गमन पर विकास शुल्क एवं अधिशुल्क के साथ 50 रुपये प्रति टन की दर से सेवा शुल्क आरोपित किया।

सहायक खनि अभियन्ता, श्रीगंगानगर के अभिलेखों से ज्ञात हुआ कि एफ.सी.आई. को सितम्बर 1966 से कार्यानुमति पर खनिज उत्खनन के लिए चार जिप्सम खाने आवंटित की गई थी एवं समय समय पर सरकार द्वारा अवधि को बढ़ाया गया। अभिलेखों की जांच में ज्ञात हुआ कि यद्यपि वर्ष 2000-01 से 2003-04 के दौरान एफ.सी.आई. ने 4.09 लाख मैट्रिक टन जिप्सम का निर्गमन किया लेकिन पट्टेधारी से 2.05 करोड़ रुपये सेवा शुल्क के वसूल नहीं किये गये।

7.3.12 खनिज लाइमस्टोन का अनाधिकृत निर्गमन

एम.एम.आर.डी. एक्ट के प्रावधानानुसार जब कभी कोई व्यक्ति बिना किसी विधिक प्राधिकार के किसी भूमि से कोई खनिज उठाता है तो राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति से ऐसे उठाया गया खनिज बरामद कर सकेगी या जहाँ ऐसा खनिज पहले ही निराकृत कर दिया गया हो तो उसकी कीमत वसूलेगी। नियम उपबन्धित करते हैं कि पट्टेधारी द्वारा राज्य सरकार को पाँच वर्षों के लिए वर्ष वार उत्खनन के लिए योजना एवं वार्षिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना आवश्यक है।

खनि अभियन्ता, सोजत शहर के अभिलेखों से उद्घटित हुआ कि 803 हेक्टेयर क्षेत्र से आच्छादित एक लाइमस्टोन खनन पट्टा एक सीमेंट उद्योग को 20 वर्षों की अवधि के लिए नवम्बर 1995 में स्वीकृत किया गया था। पट्टेधारी द्वारा फरवरी 2002 में प्रस्तुत खनन योजना[15] में आरक्षित लाइमस्टोन के रिक्तिकरण की मात्रा दिसम्बर 1999 से नवम्बर 2001 तक की अवधि के दौरान 49.65 लाख मैट्रिक टन दिखाई गयी थी जबकि इसी अवधि के दौरान रवन्नाओं के आधार पर अधिशुल्क निर्धारण अभिलेखों मे 54.79 लाख मैट्रिक टन लाइमस्टोन निर्गमन दिखाया गया। अधिशुल्क निर्धारण अभिलेखों में दिखाया गया 5.14 लाख मैट्रिक टन अधिक निर्गमन अनाधिकृत था। खनि अभियन्ता खनिज के रिक्तिकरण के बारे में खनन योजना में प्राप्त सूचना को उसके

[15] खनन योजना वह योजना है जिसमें खनिज के पूर्व में रिक्तिकरण एवं भविष्य के आरक्षण को दिखाया जाता है।

द्वारा निर्धारित अधिशुल्क की मात्रा से सह संबंध स्थापित करने में असफल रहा इस प्रकार अनाधिकृत उत्खनन एवं निर्गमित खनिज की कीमत 20.57 करोड़ रुपये आंकी गई।

7.3.13 पूर्वेक्षण के दौरान खनिज का अनाधिकृत उत्खनन

एम.सी.आर. के प्रावधानों के अनुसार अगर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट मात्रा से अधिक खनिज ले जाया जाता है तो इस प्रकार ले जाये गये खनिज की कीमत उससे वसूल की जावेगी। अनुज्ञप्तिधारी अपने द्वारा किये गये कार्य की एक छमाही रिपोर्ट विभाग को पेश करेगा। इसके अतिरिक्त विभाग के अधिकृत अधिकारियों द्वारा खान का निरीक्षण भी किया जायेगा।

सहायक खनि अभियन्ता, ऋषभदेव एवं पांच खनि अभियन्ताओं[16] के अभिलेखों से ज्ञात हुआ कि पूर्वेक्षण अनुज्ञाधारियों द्वारा अवधि 2000-01 से 2003-04 के दौरान कीमत के भुगतान के बिना ही पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट मात्रा से अधिक 22,892 मैट्रिक टन (लेखापरीक्षा में गणना अनुसार) विभिन्न खनिजों को उठा लिया गया परिणामस्वरूप खनिज की कीमत 1.76 करोड़ रुपये की हानि हुई। यह हानि नियमों में प्रावधानों के बावजूद भी अनुज्ञप्तिधारियों से विवरणियाँ प्राप्त नहीं करने एवं खानों का निरीक्षण न करने के कारण हुई।

7.3.14 अधिशुल्क की गलत दर लगाना

भारत सरकार ने 1 सितम्बर 2000 से लाइमस्टोन (स्टील ग्रेड) की अधिशुल्क की दर 50 रुपये प्रति मैट्रिक टन तय की।

सहायक खनि अभियन्ता, जैसलमेर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि एक पट्टेधारी ने जनवरी 2004 से जून 2004 के दौरान 44,561.51 मैट्रिक टन लाइमस्टोन (स्टील ग्रेड) का निर्गमन किया तथा 50 रुपये प्रति टन के बजाय 32 रुपये की दर से अधिशुल्क का भुगतान किया। जिसके परिणामस्वरूप 8.02 लाख रुपये के अधिशुल्क की कम वसूली हुई।

7.3.15 ब्याज का अनारोपण

एम.सी.आर के प्रावधानों के अनुसार सरकार को अधिनियम के अन्तर्गत देय किराया, अधिशुल्क या फीस अन्य राशि पर सरकार द्वारा भुगतान के लिये निश्चित दिनांक की समाप्ति के साठवें दिन से देय के भुगतान तक के लिए 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज प्रभारित कर सकेगी।

- सात खनि अभियन्ताओं[17] एवं दो सहायक खनि अभियन्ताओं[18] के अभिलेखों की मापक जांच में ज्ञात हुआ कि विभाग द्वारा वर्ष 2002-03 से 2003-04 के दौरान देरी से

---

[16] भीलवाड़ा, राजसमन्द-II, सीकर, सिरोही तथा सोजत सिटी।
[17] आमेट, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तोड़गढ़, करोली, नागौर तथा उदयपुर।
[18] जैसलमेर तथा ऋषभदेव।

भुगतान पर ब्याज राशि 92.29 लाख रुपये की मांग कायम नहीं की गई। विलम्ब 15 दिनों से 458 दिनों के मध्य रहा।

- आर.एम.एम.सी.आर. में प्रावधान है कि स्थिर भाटक, अधिशुल्क, खान अनुज्ञप्ति फीस और अधिशुल्क संग्रहण संविदा[19] राशि का भुगतान इनके देय होने की तारीख से 15 दिवस के पश्चात नहीं किये जाने पर 20 प्रतिशत की दर से ब्याज प्रभारित किया जावेगा।

11 खनि अभियन्ताओं/सहायक खनि अभियन्ताओं[20] के अभिलेखों की जांच में देखा गया कि 2002-03 एवं 2003-04 में मांग के विलम्ब से भुगतान पर देय 59.54 लाख रुपये ब्याज की मांग कायमी नहीं की गई। विलम्ब 15 दिवस से 586 दिवसों के मध्य रहा।

इस प्रकार नियमों में स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद विभाग राजस्व की मांग एवं संग्रहण की एक अनुश्रवण प्रणाली के अभाव में मांग कायम करने में असफल रहा।

अप्रधान खनिज

7.3.16 एकल व्हील कटर्स के स्वामियों से परमिट फीस एवं न्यूनतम अधिशुल्क की अवसूली

आर.एम.एम.सी.आर. के नियम 65 'अ' द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने जनवरी 2000 में एकल व्हील कटर्स की सहायता से मारबल के असमान ढेरों के प्रसंस्करण के लिये परमिट जारी करने की प्रक्रिया अधिसूचित की। अनुमति प्राप्ति के लिए प्रार्थना पत्र 250 रुपये अप्रत्यर्पणीय शुल्क के साथ की जानी थी। कटे ब्लाक के लिए अधिशुल्क 1 अप्रैल 2000 से 23 दिसम्बर 2001 तक 70 रुपये एवं उसके बाद 85 रुपये प्रति मैट्रिक टन भुगतान योग्य था।

राज्य सरकार ने अक्टूबर 2001 में तय किया कि व्हील कटर्स के स्वामी द्वारा व्हील के व्यास के आधार पर ब्लॉक्स काटने की न्यूनतम मात्रा निम्नानुसार होगीः-

व्हील कटर्स का व्यास	मैट्रिक टनों में न्यूनतम वार्षिक मात्रा	
	1.4.2000 से	1.4.2001 से
60 सेन्टी मीटर (से.मी.) तक	145	230
60 से.मी. से अधिक किन्तु 90 से.मी. तक	260	350
90 से.मी. से अधिक	400	600

[19] खनिज के अधिकृत निर्गमन हेतु अधिशुल्क संग्रहण के लिये विभाग द्वारा ठेका देना।
[20] भरतपुर, बूंदी-I एवं II, जयपुर, जैसलमेर, कोटपूतली, नागौर, रामगंजमण्डी, ऋषभदेव, सीकर तथा सोजत सिटी।

खनि अभियन्ता राजसमन्द I, II, आमेट एवं सहायक खनि अभियन्ता, बांसवाड़ा की लेखापरीक्षा में अभिलेखों की जांच में ज्ञात हुआ कि अवधि 2000-01 से 2003-04 के दौरान इन खनि अभियन्ताओं/सहायक खनि अभियन्ताओं के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत क्षेत्र मे 697 एकल व्हील कटर्स कार्यरत थे। किसी भी व्हील कटर्स स्वामी ने परमिट के लिए आवेदन नहीं किया। सरकार द्वारा नियत ब्लॉक्स काटने की न्यूनतम मात्रा (वार्षिक) के आधार पर वर्ष 2000-01 से 2003-04 के दौरान व्हील कटर्स स्वामियों के विरूद्ध भुगतान योग्य अधिशुल्क की गणना 6.34 करोड़ रुपये की गई इसके साथ ही परमिट फीस 6.97 लाख रुपये भी वसूली योग्य थी। विभाग ने इसकी वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की।

7.3.17 ईंट मिट्टी पर अधिशुल्क की अप्राप्ति

आर.एम.एम.सी.आर. के अनुसार कुम्हारों द्वारा मिट्टी के बर्तन के लिए एवं अवा-कजावा प्रक्रिया से पकाई जाने वाली ईंटें बनाने के लिए प्रयुक्त मिट्टी के उत्खनन पर अधिशुल्क से पूर्णतया छूट है। बिना किसी प्रकार की चिमनी का उपयोग किये, यदाकदा चलने वाले भट्टों में, खुले में ईंटों का पकाया जाना अवा-कजावा प्रक्रिया से पकाया गया माना जावेगा।

- जिला कलक्टर बून्दी, राजसमन्द एवं उदयपुर से संग्रहित सूचनाओं के अनुसार यह देखा गया कि उक्त प्रावधानों के विपरीत, चार खनि अभियन्ताओं[21] के क्षेत्राधिकार में स्थित 646 अवा-कजावा स्वामियों ने 1999-2000 से 2003-04 के दौरान वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए लगातार 86.70 लाख मैट्रिक टन ईंट मिट्टी के उपयोग से 247.73 करोड़ ईंटें, उन पर प्रभारित अधिशुल्क 4.89 करोड़ रुपये का भुगतान किये बिना बनाई।

- सरकार ने जून 1994 में अधिसूचित किया कि ईंट भट्टा स्वामियों द्वारा ईंट मिट्टी के उपयोग के लिये अल्पावधि अनुमति पत्र (एस.टी.पी.) प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

खनि अभियन्ता, जयपुर के अभिलेखों का तहसीलदार, फागी के अभिलेखों से प्रति परीक्षण में ज्ञात हुआ कि फरवरी 2005 में अप्रैल 1999 से मई 2004 की अवधि के दौरान चार ईंट भट्टे अनाधिकृत रूप से कार्यरत थे एवं ईंटों के विनिर्माण के लिए 94,516 मैट्रिक टन ईंट मिट्टी का उपयोग किया। विभाग ने अधिशुल्क वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जिसके परिणामस्वरूप 5.67 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

उपरोक्त अधिशुल्क की हानि, संबंधित खनि अभियन्ताओं के क्षेत्रों में अनाधिकृत रूप से चालू विभिन्न ईंट भट्टों पर अपर्याप्त अनुश्रवण के कारण थी।

7.3.18 एस.टी.पी. पर खनिजों का अनाधिकृत उत्खनन

आर.एम.एम.सी.आर. के अन्तर्गत विनिर्माण ठेकेदारों को निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाले खनिजों के लिए संबंधित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता से अग्रिम में

[21] आमेट, बूंदी-II, राजसमन्द-II तथा उदयपुर।

एस.टी.पी. प्राप्त करनी होगी। यदि एस.टी.पी. धारक एस.टी.पी. में स्वीकृत मात्रा से 25 प्रतिशत अधिक मात्रा में खनिज उत्खनित करता है एवं निकाल ले जाता है तो अनुमति पत्र में स्वीकृत मात्रा से अधिक उत्खनित एवं हटाये गये खनिज को अनाधिकृत उत्खनन माना जावेगा तथा अनुमति पत्र धारक इस अधिक उत्खनित खनिज की कीमत भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।

- आठ खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता[22] के अभिलेखों से उद्घटित हुआ कि 62 विनिर्माण ठेकेदारों, जिन्हें 68 एस.टी.पी. विभिन्न खनिजों जैसे मुर्रम, स्टोन, सैण्ड, ग्रेवल आदि के उपयोग के लिए जारी हुए थे, ने अवधि अक्टूबर 2001 से मार्च 2004 के दौरान अनुमति पत्र में दिखाई मात्रा से 25 प्रतिशत से अधिक मात्रा में उत्खनन कर ले गये। इन खनिजों की कीमत 8.54 करोड़ रुपये आंकी गई जिसकी वसूली हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

- 13 खनि अभियन्ताओं/सहायक खनि अभियन्ताओं[23] के अभिलेखों की जांच के दौरान यह देखा गया कि 30 विनिर्माण ठेकेदारों ने अक्टूबर 2001 से मार्च 2004 के दौरान बिना एस.टी.पी. प्राप्त किये अनाधिकृत रूप से 21.40 लाख मैट्रिक टन साधारण सैण्ड का उपयोग किया। सैण्ड की कीमत 3.21 करोड़ रुपये गणना की गई। विभाग द्वारा इसकी वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई।

7.3.19 अधिशुल्क का अपवंचन

आर.एम.एम.सी.आर. में उपबन्धित है कि पट्टाधारी, सिवाय विभागीय मोहर धारित रवन्नाओं के खानों से खनिज का उपयोग नहीं करेगा या निर्गमन नहीं करेगा अथवा खनिज को नहीं हटायेगा। मार्च 2002 से लागू मारबल नीति के अनुसार विद्यमान पट्टेधारी द्वारा इस नीति के प्रारंभ होने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के अन्दर खनन योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

सहायक खनि अभियन्ता कोटपूतली एवं ऋषभदेव के क्षेत्राधिकार में आने वाले दो पट्टेधारियों द्वारा जनवरी एवं फरवरी 2004 में प्रस्तुत खनन योजनाओं की जाँच में ज्ञात हुआ कि पट्टेधारियों ने अधिकृत रवन्नाओं में दिखाये गये निर्गमन की मात्रा की तुलना में

[22] भीलवाड़ा, जयपुर, करोली, मकराना, राजसमन्द-II, ऋषभदेव, सलूम्बर तथा सिरोही।
[23] अलवर, आमेट, भीलवाड़ा, बूंदी-II, जैसलमेर, कोटा, मकराना, नागौर, राजसमन्द-II, सलूम्बर, सिरोही, सोजत सिटी तथा टौंक।

अधिक खनिज उत्खनित किया गया इस त्रुटी के परिणामस्वरूप राशि 2.94 करोड़ रुपये के अधिशुल्क का अपवंचन हुआ जिसका विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र. सं.	खनि अभियन्ता/ सहायक खनि अभियन्ताओं के नाम	पट्टेधारी का नाम खनन पट्टे की अवधि	खनन योजना अनुसार उत्खनित मात्रा (मैट्रिक टन में)	रवन्नाओं से निर्गमित मात्रा (मैट्रिक टन में)	रवन्नाओं के बिना अधिक निर्गमन (मैट्रिक टन में)	अधिशुल्क (करोड़ रुपयों में)[24]
1.	कोटपूतली	नेशनल लाइम स्टोन कं. प्रा. लि. 9/1985 से 9/2003	2,14,100.64	18026.18	196074.46	2.45
2.	ऋषभदेव	कल्पतरू ग्रेमी मार्मो प्रा.लि. 9/1994 से 9/2003	18,900.00	822.00	18078.00	0.23
3.	कोटपूतली	श्रीमती प्रमिला मोदी 8/1984 से 6/2004	43,680.00	6,094.00	37,380.00	0.26
योग						2.94

7.3.20 बापी पट्टा का कब्जा नहीं लेने के कारण राजस्व की हानि

आर.एम.एम.सी.आर. के अनुसार सरकार किसी खनिज धारित भूमि में बापी पट्टा (पैतृक पट्टा) या स्वामित्व अधिकार को मान्यता नहीं देगी जब तक कि सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित नहीं कर दिया जावे।

खनि अभियन्ता मकराना के अभिलेखों की मापक जाँच में फरवरी 2004 में ज्ञात हुआ कि 49 बापी पट्टा धारक बिना क्वारी रेंट भुगतान के वर्ष 1968 से खनिज मारबल का उत्खनन कर रहे थे। संबंधित पट्टा धारकों द्वारा अधिशुल्क के भुगतान पर इन खानों को नियमितिकरण हेतु सरकार ने फरवरी 1978 में अधिसूचना जारी की। 49 पट्टाधारकों में से 15 बापी पट्टा धारकों ने उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट/अपील (1979) दायर की किन्तु माननीय उच्च न्यायालय ने राजस्व हित में मार्च 1998 में अपील खारिज कर दी।

न्यायालय निर्णय के बाद भी, विभाग द्वारा किसी भी बापी पट्टा धारक से जो बिना क्वारी रेंट भुगतान के खानों से लगातार खनिज निकाल रहे थे, से खानों का कब्जा नहीं लिया विभाग ने क्वारी रेंट की वसूली हेतु कोई कदम नहीं उठाये जो की अवधि अप्रैल 1999 से मार्च 2004 में 19.01 लाख रुपये बनते थे।

7.3.21 निष्कर्ष

- विभाग अधिक खनिज निर्गमन पर अधिशुल्क एवं अन्य देय राशि को वसूल करने एवं अनाधिकृत उत्खनन को रोकने में भी असफल रहा जो प्रणाली की असफलता का स्पष्ट सूचक है।

---

[24] 2002 की मार्बल नीति के परिणामस्वरूप यह टिप्पणी की गई। अवधि का पृथक करना संभव नहीं है।

- नियमित निरीक्षणों के मामले में अनुश्रवण अपर्याप्त था जिससे राज्य सरकार के राजस्व की भारी हानि हुई।

7.3.22 सिफारिशें

समीक्षा में व्यक्त विचारों की दृष्टि में सरकार निम्न सिफारिशों को लागू करने पर विचार कर सकती है:-

- सरकार को देय राशियों की शीघ्र वसूली, तथा खनिज के अधिक निर्गमन के साथ ही अनाधिकृत उत्खनन को रोकने को सुनिश्चित करने के लिए एक ठोस प्रणाली के विकास को सुनिश्चित करना।

- यह सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी कठम उठाना कि नियमों एवं प्रक्रिया के अनुसार अनाधिकृत उत्खनित खनिज की कीमत वसूली हो।

- सरकारी राजस्व की सुरक्षा हेतु उत्खनन के अनाधिकृत मामलों का त्वरित निस्तारण एवं खानों का नियमित निरीक्षण के द्वारा आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है।

मामला राज्य सरकार को मई 2005 में प्रतिवेदित किया गया उत्तर अपेक्षित है।

सरोज पुनहानि

जयपुर **(सरोज पुनहानि)**
दिनांक **महालेखाकार**
(वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

वि. ना. कौल

नई दिल्ली **(विजयेन्द्र नाथ कौल)**
दिनांक **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट-अ

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.14)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाये गये अनुच्छेद एवं जो 31 जुलाई 2005 को जन लेखा समिति में चर्चा हेतु बकाया थे, की स्थितिः

कर का नाम		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	योग
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	12	10	15	7	44
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	-	15	7	22
मोटर वाहनों पर कर	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	8	7	7	3	25
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	-	-	3	3
भू-राजस्व	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	4	1	2	2	9
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	-	2	2	4
मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	5	4	1	4	14
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	5	4	1	4	14
राज्य उत्पाद शुल्क	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	7	5	5	3	20
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	-	5	3	8
भूमि एवं भवन कर	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	1	4	3	5	13
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	-	3	5	8
खनन	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	6	9	8	5	28
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	9	8	5	22
अन्य	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	2	5	4	2	13
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	5	4	2	11
योग	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	45	45	45	31	166
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	5	18	38	31	92

परिशिष्ट-ब

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.14)

31 जुलाई 2005 को विभागों से बकाया क्रियान्विति विषयक प्रतिवेदनों की स्थितिः

क्र. सं.	जन लेखा समिति के प्रतिवेदनों के क्रमांक	विधानसभा में उपस्थापित दिनांक	विभाग का नाम	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	बकाया क्रियान्विति विषयक प्रतिवेदन
1.	134 वां प्रतिवेदन 2002-03	1.7.2003	खान	1997-98	3
2.	135 वां प्रतिवेदन 2002-03	1.7.2003	खान	1998-99	3
3.	219 वां प्रतिवेदन 2003-04	25.8.2003	सिंचाई	1998-99 से 2000-01	9
4.	88 वां प्रतिवेदन 2004-05	16.2.2005	बिक्री कर	2001-02	3
5.	89 वां प्रतिवेदन 2004-05	16.2.2005	भू-राजस्व	2000-01	5
6.	90 वां प्रतिवेदन 2004-05	16.2.2005	भू-राजस्व	2001-02	2
7.	97 वां प्रतिवेदन 2004-05	31.3.2005	मुद्रांक एवं पंजीयन	2000-01	7
8.	98 वां प्रतिवेदन 2004-05	31.3.2005	आबकारी	2001-02	6
9.	99 वां प्रतिवेदन 2004-05	31.3.2005	आबकारी (आबकारी नीति)	2001-02	16
	योग				**54**